

11वीं वार्षिक रिपोर्ट 11th ANNUAL REPORT

2012-2013



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, पोस्ट ऑफिस : पर्बतपुर, जिला डिब्रूगढ़ - 786623, असम

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

Regd. Office: Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist. Dibrugarh - 786623, Assam





श्री एस.डी. सिंह, चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक, एमओयू 2013–14 के हस्ताक्षर के उपरांत श्री सुधीर मित्तल, सचिव (उर्वरक), उर्वरक विभाग के साथ

Shri S.D.Singh, CMD, BVFCL with Shri Sudhir Mittal, Secretary (Fertilizers), DOF after signing of MOU 2013-14

श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक) और श्री राजीव कुमार, उपसचिव (पी एण्ड के), उर्वरक विभाग नामरूप संयंत्र के निरिक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हुए Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers), DOF and Shri Rajiva Kumar, Deputy Secretary (P & K), DOF discussing with Sr. Officials of Plants during their visit to Namrup Unit





श्री शाम लाल गोयल, संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग नामरूप संयंत्र के निरिक्षण के दौरान अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री एस.डी. सिंह से वार्तालाप करते हुए

Shri Sham Lal Goel, Joint Secretary, DOF discussing with Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL about the Namrup Plants during his visit to Namrup



विषय सूची

CONTENTS

| | पृष्ठ : | सं. / Page No. |
|--|--|----------------|
| निदेशक मण्डल | Board of Directors | 5 |
| प्रबंधन दल | Management Team | 6 |
| नागरिक घोषणा–पत्र | Citizen Charter | 8 |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण | Speech of Chairman and Managing Director | 11 |
| वार्षिक आमसभा की सूचना | Notice of Annual General Meeting | 17 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | Directors' Report | 19 |
| प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट | Management Discussion and Analysis Report | 27 |
| ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के विवरणों का उल्लेख | Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo | 50 |
| अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से विकलांग का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण | Annual statement showing representation of SCs, STs, OBCs and PHS | 55 |
| कार्पोरेट गवर्नेस | Corporate Governance | 57 |
| आचार-संहिता के अनुपालन की घोषणा | Declaration of Compliance of Code of Conduct | 74 |
| सदस्यों की लेखा-परीक्षक रिपोर्ट | Auditor's Report to the Members | 87 |
| लेखाओं पर भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणियाँ | Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts | 100 |
| सांविधिक लेखा—परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर | Management Reply on the observations of Statutory Auditors | 102 |
| तुलन–पत्र | Balance Sheet | 127 |
| लाभ एवं हानि का विवरण | Statement of Profit & Loss | 129 |
| नकदी प्रवाह विवरण | Cash Flow Statement | 131 |
| टिप्पणी 1 से 2 | Note 1 to 2 | 134 |
| निष्पादन एक नज़र में | Performance at glance | 168 |

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

पंजीकृत कार्यालय

पोस्ट : पर्वतपुर, नामरूप — 786623, जिला — डिब्रूगढ़ (असम) दूरभाष : 0374—2500207; फैक्स : 0374—2502777 ई—मेल : info@bvfcl.co.in वेबसाइट पता : www.bvfcl.com

Registered Office

P.O.: Parbatpur, Namrup-786623, District- Dibrugarh (Assam) Phone: 0374-2500207; Fax: 0374-2502777 Email: info@bvfcl.com
Website address: www.bvfcl.com

इकाई

नामरूप (असम)

UNIT

Namrup (Assam)

विधिक सलाहकार

मैसर्स स्टील एंड हैडो, डिब्रूगढ़

LEGAL ADVISORS

M/s Steel & Hadow, Dibrugarh

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भारतीय स्टेट बैंक यूको बैंक सिंडिकेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया

BANKERS

State Bank of Patiala
State Bank of India
UCO Bank
Syndicate Bank
Punjab National Bank
Bank of India



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री एस.डी. सिंह निदेशक (उत्पादन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Shri S.D. Singh Director (Production) & Chairman & Managing Director (Additional Charge)



श्री विजय रंजन सिंह निदेशक (उर्वरक) (30.08.2012 सें) Shri Vijay Ranjan Singh Director (Fertilizer) (From 30.08.2012)



श्री राजीव कुमार उप सचिव (पी एंड के), उर्वरक विभाग (30.08.2012 से) Shri Rajiva Kumar Deputy Secretary (P&K), DOF (From 30.08.2012)



श्री सी.वी. कृष्णा निदेशक (स्वतंत्र) **Shri C.V. Krishna** Director (Independent)

निदेशक मण्डल

- श्री एन.के. साहा निदेशक (उत्पादन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (*) (30.09.2012 तक)
- 2. श्री एस.डी. सिंह निदेशक (उत्पादन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (*) (01.10.2012 से)
- श्री विजय रंजन सिंह निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग
- श्री राजीव कुमार उप सचिव (पी एंड के), उर्वरक विभाग
- श्री सी.वी. कृष्णा निदेशक (स्वतंत्र)
- (*) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल के पद का अतिरिक्त प्रभार

BOARD OF DIRECTORS

- Shri N.K. Saha
 Director (Production) & CMD (*)
 (Upto 30.09.2012)
- Shri S.D. Singh
 Director (Production) & CMD (*)
 (From 1.10.2012)
- Shri Vijay Ranjan Singh Director (Fertilizer), DOF
- Shri Rajiva Kumar
 Deputy Secretary (P & K), DOF
- Shri C.V. Krishna Director (Independent)
- (*) additional charge of the post of CMD, BVFCL

कम्पनी सचिव

श्री आर.के. गुप्ता

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री दीपक कुमार, निदेशक (संचलन), उर्वरक विभाग (30.04.2013 तक)

श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग (30.04.2013 से)

COMPANY SECRETARY

Shri R.K. Gupta

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Shri Deepak Kumar, Director (Movement), DOF (upto 30.04.2013)

Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers), DOF (From 30.04.2013)



नामरूप इकाई

श्री एस.के. सिंह — महाप्रबंधक

(अनुरक्षण)

श्री एसएबीएम सुल्तान – महाप्रबंधक

(तकनीकी और मानव संसाधन)

श्री एस. रेड्डी – महाप्रबंधक

(प्रचालन) 26.07.2013 तक

श्री वाई.के. गोयल – उप महाप्रबंधक

(विपणन)

श्री बिनोद कुमार — उप महाप्रबंधक

(यांत्रिक)

श्री डी.जे. सेन — उप महाप्रबंधक

(अनुरक्षण)

NAMRUP UNIT

Shri S.K. Singh - General Manager

(Maintenance)

Shri SABM Sultan - General Manager

(Technical & HR)

Shri S. Reddy - General Manager

(Operation) upto 26.07.2013

Shri Y.K. Goel - Dy. General Manager

(Marketing)

Shri Binod Kumar - Dy. General Manager

(Mechanical)

Shri D.J. Sen - Dy. General Manager

(Maintenance)

सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैंसर्स जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) STATUTORY AUDITORS

M/s. G. Choudhury & Associates, Chartered Accountants, Siliguri (West Bengal)

लागत लेखा-परीक्षक

मैसर्स सुभद्रा दत्त एण्ड एसोसिएट्स लागत लेखाकार, गुवाहाटी **COST AUDITORS**

M/s. Subhadra Dutta & Associates Cost Accountants, Gauhati

नागरिक घोषणा-पत्र

प्रस्तावना

यह घोषणा-पत्र हमारे लक्ष्य, उद्देश्यों, मूल्यों, वचनबद्धताओं, मानकों और अन्य व्यक्तियों से हमारी अपेक्षाओं की घोषणा है।

लक्ष्य

- दक्षतापूर्वक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उर्वरकों का उत्पादन करना।
- लाभ कमाने वाले उद्यम के रूप में स्वयं को स्थापित करना।
- देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भागों के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य करना।
- अन्य औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में विविधता लाना।
- क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास प्रदान करना।

उद्देश्य

बीवीएफसीएल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ऊर्जा बचत के लिए योजनाओं को अपनाना और उन्हें लागू करना।
- संयंत्र प्रचालन सुरक्षा में निरंतर सुधार करना।
- क्षमता उपयोग के उच्च स्तर को प्राप्त करना।
- कंपनी के मानव संसाधनों की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देना।

मूल्य

हम अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरी

• निष्टा

CITIZENS' CHARTER

Preamble

This Charter is a declaration of our mission, objectives, values, commitments, standards and our expectations from others.

Mission

- To produce fertilizer efficiently, economically and in environment friendly manner.
- To established itself as profit making enterprises.
- To work for all round improvement of the strategically important North Eastern parts of the country.
- To diversify into production of other industrial products.
- To provide balanced economic growth in the region.

Objective

BVFCL has the following objectives:

- To take up and implement schemes for energy savings.
- To continuously improve plant operation safety.
- To attain high level of capacity utilisation.
- To continuously upgrade the quality of human resources of the company and promote organizational development.

Values

We shall carry out our functions and duty with utmost :

Sincerity



- गति
- समानता
- ईमानदारी
- पारदर्शिता और बिना किसी भय या पक्षपात के साथ करेंगे।

मानक

 हमने आपके साथ किए गए सभी लेन—देन में अपने मानक निर्धारित किए हैं। हम वचन देते हैं कि संभावित या अवांछित विलंब होने की स्थिति में हम संबंधित पार्टी को इसकी सूचना तुरंत देंगे।

हमारी वचनबद्धताएं

हम निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध हैं:

- विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करना।
- उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अपने उर्वरकों का समय पर वितरण करना।
- प्रौद्योगिकी को लगातार उन्नत बनाना और मानव संसाधनों का विकास करना।
- निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना।

ग्राहकों / नागरिकों को प्रदान की गई सेवाएं

कंपनी द्वारा उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से ग्राम/ब्लॉक स्तर पर किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबंध में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

कंपनी में निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है:

- 1. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति
- 2. उप-नगरीय कल्याण समिति
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी देना

- Speed
- Equity
- Integrity
- Transparency and without any fear or favour.

Standards

 We have set up upon ourselves the standards for all transactions with you. We undertake that in case of likely or inevitable delay, we shall promptly communicate the same to the party concerned.

Our Commitments

We commit to:

- Produce and distribute quality fertilizers conforming to the specifications.
- Timely distribution of our fertilizers to ensure consumer satisfaction.
- Continual upgradation of Technology and Development of Human Resources.
- Strict adherence to the prescribed Safety, Health and environmental Protection Standards.

SERVICE EXTENDED TO THE CUSTOMERS/CITIZENS'

Training is imparted to the farmers free of cost by the Company in village/block level for balanced use of fertilizers for improving productivity.

FOLLOWING GRIEVANCES REDRESSAL MACHANISM HAS BEEN CONSTITUTED IN THE COMPANY.

- 1. Employees Grievance Redressal Committee
- 2. Township Welfare Committee
- 3. Information under the Right to Information Act, 2005



- 4. ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
- 5. रिश्वतखोरी या वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जनता कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकती है।

शिकायतों के निपटान के लिए समय-सीमा

- क. आवेदक को रसीद देना/अंतरिम उत्तर देना — **2 सप्ताह**
- ख. संबंधित प्राधिकारी को शिकायत आवेदन का अग्रेषण — **3 सप्ताह**
- ग. शिकायत याचिका का अन्तिम निपटान

- 2 माह

ग्राहकों / नागरिकों से अपेक्षाएं

हम ग्राहकों / नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे कंपनी के साथ लेन—देन के दौरान बिना किसी प्रलोभन के अपने अधिकारों और दायित्वों का युक्तिसंगत एवं तत्परता से निर्वहन करें तथा किसी तुच्छ मृद्दे को नहीं उठाएं।

- क. ग्राहकों द्वारा खरीदे गए उत्पाद, उनकी गुणवत्ता और वजन, आदि के बारे में समय से सूचना देना।
- ख. आगे सुधार के लिए सुझाव देना।

- 4. Customer Grievances Redressal Cell
- Complaints involving redressal for bribes or financial irregularities, public may approach to the Chief Vigilance Officer of the Company

TIME LIMIT FOR DISPOSAL OF GRIEVANCES

- a. Issue of acknowledgement/interim reply to petitioner2 weeks
- Forwarding of the grievance petition to the concerned authority3 weeks
- c. Final disposal of the grievance petition

2 months

EXPECTATION FROM CUSTOMERS/ CITIZENS

We expect from the customers / citizens to be reasonable and prompt in exercising your rights and obligations in all your transactions with the company without extending inducement of any kind and not raising any frivolous issues.

- Timely feed back of information about the product purchased by the customer, its quality, weight, etc.
- Suggestion for further improvement.





बीवीएफसीएल की 11वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण

प्रिय सदस्यगण.

मुझे आपकी कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं उन सभी शेयरधारकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आज किसी कारणवश यहां उपस्थित नहीं हो सके हैं। आप सभी को वित्तीय वर्ष 2012—13 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा और मैं इसे पढ़ा हुआ मान रहा हूं।

मैंने 1 अक्तूबर 2012 से इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला था और इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए चुने जाने पर मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

CMD'S ADDRESS AT THE 11TH ANNUAL GENERAL MEETING OF BVFCL

Dear Members.

It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all of you to the 11th Annual General Meeting of your Company. I also extend my good wishes to those shareholders of BVFCL who could not be present here today. By now you have received copies of the Annual Report for the financial year 2012-13. I assume you have gone through the Annual Report and consider it as read.

I took over the additional charge of Chairman and Managing of this company w.e.f. 1st October, 2012 and it made feel highly privileged on being considered worthy for the job.



कंपनी के लिए वित्त वर्ष 2012—13 काफी प्रभावशाली वर्ष रहा है जिसके दौरान आपकी कंपनी ने नामरूप—III और नामरूप—III संयंत्रों के निष्पादन में सुधार के कारण रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया। नामरूप—III संयंत्र ने 1987 में अपनी स्थापना के बाद से इस वर्ष के दौरान अमोनिया और यूरिया का रिकार्ड उच्चतम उत्पादन किया है जिसका वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग 104.17% रहा। नामरूप—II संयंत्र ने यूरिया का 1,09,428 मी. टन उच्चतम उत्पादन (2005 में पुनरुद्धार के बाद) किया है। तथापि, इस उत्पादन को गैस की सीमित उपलब्धता के बावजूद यूरिया—II संयंत्र के दो स्ट्रीम में से एक का प्रचालन करके प्राप्त किया गया है और इसलिए ऊर्जा खपत वर्ष 2012—13 में घटकर 10.37 जीकैल / मी.टन यूरिया हो गई थी। यह किसी वर्ष की सबसे कम ऊर्जा खपत है।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वास्तविक परिणामों के आधार पर कंपनी की एमओयू दर अनंतिम रूप से "बहुत अच्छी" रही है और हम इसमें आने वाले वर्ष में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि वर्ष 2013—14 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पिछले वर्ष से अधिक रखा गया है।

संयंत्रों को स्थायी आधार पर पूरे लोड पर चलाने के अपने प्रयासों के तहत संयंत्र के रखरखाव को उच्च प्राथमिकता दी गई। संयंत्र सुविधाओं के सुधारात्मक रखरखाव में गुणवत्ता तथा कड़े निवारक रखरखाव के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कार्यकारी प्रबंधन ने नामरूप—II में आरजी बॉयलर के क्षितग्रस्त कंपार्टमेंट नं.1 को बदलकर कमजोर क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने, नामरूप—III के आरजी बॉयलर के ट्यूब बंडल तथा अन्य पुनरुद्धार और उपचारी कार्यों की एक विस्तृत योजना बनाई है, जिन्हें वर्ष 2013—14 के वार्षिक कारोबार के दौरान लागू किया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने तथा आगामी कारोबार के दौरान अमोनिया—III संयंत्रों में इस्तेमाल किए गए कैटेलिस्ट को बदलने पर हमें लोड को बनाए रखने से बेहतर स्ट्रीम दिनों के प्राप्त होने की उम्मीद है जिससे उच्च उत्पादन और ऊर्जा दक्षता प्राप्त हो सके।

The fiscal year 2012-13 has been an eventful one when your Company could achieve record production due to improvement in performance of Namrup-II and Namrup-III plants. Namrup-III Plant recorded highest Ammonia and Urea production during the year since commissioning in 1987 with average capacity utilization of 104.17% for the year. Namrup-II Plant could achieve highest urea production (after revamp in 2005) of 1,09,428 MT of urea. However, this production has been achieved by operating only one of the two streams of the Urea-II plant due to limitation in Gas availability and hence the capacity utilization of Namrup-II plant was recorded at 45.60%. The average specific energy consumption of Namrup-III plant was brought down to 10.37 Gcal/MT of urea for the year 2012-13. This is lowest ever energy consumption for a year.

I am delighted to announce that the company's MOU rating for the reporting year, based on the actual results provisionally stands at "VERY GOOD" and we are committed to improve further in the coming year even though the targets set for the year 2013-14 have been kept higher than the previous year.

In our endeavor to operate the plants at on full load on sustained basis the plant's maintenance have been given top priority. Quality in corrective maintenance and rigorous preventive maintenance of the plant facilities has shown excellent results. The executive management has chalked out a detailed plan for strengthening the weak areas by replacing damaged 1st compartment of RG Boiler in Namrup-II, tube bundle of RG Boiler of Namrup-III along with other renovation and corrective works, all to be carried out during the Annual Turn Around of 2013-2014. On completion of these jobs along with replacement of used up catalyst of Ammonia-III plants during the upcoming Turn Around we expect to achieve better stream days at sustained load thereby higher production and energy efficiency.



कंपनी ने मौजूदा बीवीएफसीएल-नामरूप स्थल पर उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता सहित सर्वाधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी वाला एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। संयुक्त उद्यम प्रणाली के अंतर्गत ऐसी परियोजना की स्थापना हेत् योजना आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के साथ ही इस संबंध में पहले ही काफी प्रगति हो चुकी है। मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम सरकार ने संयुक्त उद्योग में क्रमशः 26% और 11% की इक्विटी धारिता की पृष्टि की है। बीवीएफसीएल की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के अनुसार कंपनी, परिसंपत्तियों के आधार पर कम से कम 11% की निजी इक्विटी प्राप्त कर सकती हैं जिनका नई परियोजना में लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है। ऐसी आशा है कि आवश्यक प्रक्रियाएं नवंबर 2013 तक पूरी हो जाएंगी ताकि बोली के जरिए शेष 52% इक्विटी में रुचि दर्शाने वाले भागीदारों को आमंत्रित करके एक संयुक्त उद्यम लगाने हेतू सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सीसीईए नोट प्रस्तुत किया जा सके।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012—13 के दौरान अपने प्रचालन लाभ को बढ़ाया है और उसकी हानि अब 128.81 करोड़ रुपए से घटकर 32.64 करोड़ रुपए रह गई है। वर्ष के दौरान निवल हानि ब्याज के उच्च प्रभार के कारण थी। कंपनी ने अपने वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है। प्रस्ताव में भारत सरकार के ऋणों पर प्राप्त कुल संचयी ब्याज को माफ करना शामिल है। बीआरपीएसई नोट के प्रारूप पर अंतर—मंत्रालयीन परामर्श किया जा रहा है और इसके बाद इसे सीसीईए को भेजे जाने की संभावना है।

आपकी कंपनी जनशक्ति की भर्ती करने और उन्हें बनाए रखने में अत्यधिक कित्नाई का सामना कर रही है — इसका मुख्य कारण हमारे कर्मचारियों के वेतन ढांचे का कम होना है। वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव में वेतनमान के संशोधन के कार्यान्वयन के लिए लाभप्रदत्ता शर्त को माफ करना और अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना भी शामिल है। यदि वेतनमान में संशोधन करने और अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने को अनुमोदन दे दिया जाता है तो हम बेहतरीन जनशक्ति को आकृष्ट करने के लिए प्रतिस्पर्धी मुआवजा पैकेज प्रदान करने में सक्षम होंगे और जनशक्ति के पलायन की उच्च दर पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। The company has proposed to establish a new brown field Ammonia-Urea plant with most modern technology with best energy efficiency at the existing BVFCL Namrup site. With in principle clearance of Planning Commission for setting up such a project under JV mode, a good deal of progress has already been made in this regard. M/s Oil India Ltd. and Government of Assam have confirmed to take 26% and 11% equity holding in the JV. As per the valuation of assets of BVFCL, the company can own equity at least 11% by pledging of assets that could be gainfully utilized in the new project. It is expected that needful processes will be completed by November 2013 to put up note to CCEA for approval of the Government for formation of a JV by inviting interested partners for rest 52% equity through Bidding.

Your Company could increase its operating profit during the year 2012-13 against previous year and brought down losses to Rs. 32.64 crores from Rs. 128.81 crores. Net losses during the year were due to high interest charges. The Company has submitted a comprehensive plan for financial restructuring of the Company. The proposal includes waiver of total cumulative interests accrued on GOI loans. The draft BRPSE note has been under inter-ministerial consultations and likely to be forwarded to CCEA through BRPSE thereafter.

The company is facing acute crisis in manpower recruitment and retention - major reason being low salary structure of our employees. In the financial restructuring proposal, waiver of profitability clause for implementation of revision of Pay Scale and enhancement of superannuation age from 58 to 60 years are also included. If the approval is accorded to revise Pay Scale and enhancement of superannuation age to 60 years, we will be able to offer competitive compensation package to attract quality manpower and arrest rate of high attrition.



अच्छा निगमित शासन हमेशा से आपकी कंपनी का उद्देश्य रहा है। कंपनी का सिद्धांत यह है कि उसके द्वारा किए जा रहे लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा देश के कानूनों और विनियमों का अनुपालन किया जाए ताकि व्यवसाय मे नीतिगत आचरण को प्रोत्साहित किया जा सके। विद्यमान दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय को निगमित शासन के संबंध में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाती है।

में निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों द्वारा बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए उनकी खुले दिल से सराहना करता हूं। इस अवसर पर मैं उर्वरक विभाग का सतत् सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्य सरकारों तथा अन्य सभी प्राधिकारियों और एजेंसियों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं बीवीएफसीएल के सभी कर्मचारियों का संगठन के समक्ष रखी गई चुनौतियों को पूरा करने में उनके सतत् प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं ट्रेड यूनियनों का भी उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। उनकी ओर से मैं आप सभी से हमेशा की तरह सतत् समर्थन की अपेक्षा करता हूं। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आने वाले त्योहारों और उत्सवों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

Good corporate governance has always been the hallmark of your Company. The philosophy of the Company is to ensure transparency in its dealings and compliance of country's laws and regulations in order to promote ethical conduct of business. Quarterly compliance report for corporate governance is sent to the administrative Ministry as per the applicable guidelines.

I wish to place on record my sincere appreciation to my colleagues in the Board of Directors for the valuable support and guidance. I take this opportunity to thank Department of Fertilizers for its unstinted support. I also acknowledge the support extended by the State Governments and all other authorities and agencies we had to deal with. I thank all the employees of BVFCL for their sustained endeavours in meeting the challenges posed before the organisation. My sincere thanks are due to the trade unions for their constructive cooperation and maintaining harmonious and productive ambience. At last on behalf of everyone in the BVFCL family and my own, I seek your continued support as have been in the past. Once again I thank all of you and offer my best wishes for a very joyous festive season ahead.


हस्ता० / — एस.डी. सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Sd/-S.D. Singh Chairman and Managing Director





श्री एस.डी. सिंह, चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक अग्नि सेवा दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए Shri S.D. Singh, CMD BVFCL addressing to employees on Fire Service Day

श्री सी.वी. कृष्णा, निदेशक बीवीएफसीएल नामरूप संयंत्र की यात्रा के दौरान वृक्षारोपण करते हुए Shri C.V. Krishna, Director, BVFCL planting tree during his visit to Namrup Unit





महिला क्लब की अध्यक्षा, श्रीमती सविता सिंह स्कूल के बच्चों को पारितोषिक वितरण करती हुई Smt. Sabita Singh, President Ladies Club distributing prizes to School children





श्री एस.डी. सिंह, चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक, श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक) और श्री राजीव कुमार, उपसचिव (पी एण्ड के), उर्वरक विभाग विभागाध्यक्षों से वार्तालाप करते हुए Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL, Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers), DOF and Shri Rajiva Kumar, Deputy Secretary (P & K), DOF deliberating with HODs



श्री एस.डी. सिंह, चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक डीलरों एवं ग्राहकों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर संबोधित करते हुए Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL addressing to Dealers and Customers during Vigilance Awareness Week



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, पोस्ट ऑफिस : पर्बतपुर, जिला : डिब्रूगढ़ - 786623, असम

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

Regd. Office: Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist. Dibrugarh - 786623, Assam

11वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों की 11वीं आम सभा की बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 4.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सभागार, प्रशासनिक भवन, नामरूप, डाकघरः पर्वतपुर, जिला : डिब्रूगढ़ (असम) में होगी। इस आम सभा में 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लेखा—परीक्षित वार्षिक लेखों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा—परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों और वित्तीय वर्ष 2013—14 के सांविधिक लेखा—परीक्षकों के पारिश्रमिक पर सामान्य कारोबार के रूप में विचार किया जाएगा और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन के पारित किया जाएगा।

सामान्य कारोबार :

- "यह निर्णय लिया जाता है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखा—परीक्षित वार्षिक लेखों को निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा—परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित एतदद्वारा स्वीकार किया जाए।"
- 2. "यह निर्णय लिया जाता है कि लेखा—परीक्षा समिति / बोर्ड को ऐसे पारिश्रमिक की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जैसा कि वह वर्ष 2013—14 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा—परीक्षकों के संबंध में निर्णय ले, और सांविधिक लेखा—परीक्षक इस वार्षिक आम सभा के

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of the members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited will be held on Friday, 27th day of September, 2013 at 4.30 P.M. at the registered office of the Company in the Conference room, Administrative Building, Namrup, P.O.: Parbatpur, District: Dibrugarh (Assam) to consider the audited annual accounts of the Corporation for the financial year ended 31st March, 2013 along with Director's Report, Auditors Report, Comments of C&AG thereon and remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2013-14 as Ordinary Business, and if thought fit, to pass the following resolution with or without modification(s):

ORDINARY BUSINESS:

- "RESOLVED THAT the Audited Annual Accounts of the Corporation for the financial year ended 31st March, 2013 along with the Director's Report, Auditors' Report and the Comments of the C & AG thereon be and are hereby adopted."
- 2. "RESOLVED THAT the Audit Committee/ Board be and is hereby authorised to review and approve such remuneration as it may decide for the Statutory Auditors to be appointed by Comptroller and Auditor General of India for the year 2013-14 and the Statutory Auditors shall hold office from the conclusion of this



समाप्त होने से लेकर अगली वार्षिक आम सभा के अंत तक कार्यालय में पद ग्रहण करेंगे।"

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

हस्ता./— आर. के. गुप्ता कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 सितम्बर, 2013

टिप्पणीः बैठक में उपस्थित होने और मत देने का पात्र कोई भी सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति कम्पनी का सदस्य हो। सेवा में

बीवीएफसीएल के सभी सदस्य बीवीएफसीएल बोर्ड के सभी निदेशक कॉर्पोरेशन के सांविधिक लेखा—परीक्षक Annual General Meeting till the conclusion of next Annual General Meeting."

By Order of the Board of Directors

Sd/-R.K. Gupta Company Secretary

Place: New Delhi

Date: 25th September, 2013

Note: A member is entitled to attend and vote is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company.

To

All Members of BVFCL
All the Directors on the BVFCL Board
Statutory Auditors of the Corporation



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी क्षेत्रों में कार्य—निष्पादन को दर्शाने वाले लेखा—परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण सहित 11वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं सांविधिक लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन की समीक्षाः

पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:—

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd.

Dear Members,

Your Directors have great pleasure in presenting the Eleventh Annual Report of the Corporation reflecting overall performance of the company along with the Audited Annual Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2013 together with Statutory Auditors' Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.

1. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The summarized financial performance of the Company during the year under review vis-a-vis previous year are stated as under:

(करोड़ रुपए में) (Rs. in Crores)

| विवरण Particulars | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31.03.2013 | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31.03.2012 |
|--|---|---|
| मूल्यहास और ब्याज से पूर्व लाभ (+)/(–) Profit (+) / Loss (-) before Dep. & Interest | 115.41 | 38.60 |
| मूल्यहास / Depreciation | 44.33 | 43.64 |
| ब्याज / Interest | 90.78 | 81.12 |
| पूर्व अवधि समायोजनों से पहले लाभ (+) / हानि (–) Profit (+) / Loss (-) before prior period adjustments | (-) 19.70 | (-) 86.16 |
| पूर्व अवधि समायोजन (नेट) (–) डेबिट / (+) क्रेडिट Prior Period Adjustments (Net) (-) Dr. / (+) Cr. | (-) 12.94 | (-) 42.65 |
| पूर्व अवधि / विशिष्ट मदों के समायोजन के बाद निवल लाभ(+) / हानि(–) Net Profit (+) / Loss (-) after prior period adjustments | (-) 32.64 | (-) 128.81 |



वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने पिछले वर्ष में 38.60 करोड़ रुपए के प्रचालन लाभ की तुलना में 115.41 करोड़ रुपए (मूल्य ह्रास, ब्याज और पूर्व अवधि समायोजन) का प्रचालन लाभ अर्जित किया है। ऐसा मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हैं:

- i) यूरिया की निर्यात बिक्री में वृद्धि। इस वर्ष नेपाल को 62500 मी.टन यूरिया (पिछले वर्ष 47500 मी.टन) का निर्यात किया गया।
- ii) वर्ष के दौरान यूरिया का कुल उत्पादन 390693 मी. टन (पिछले वर्ष 278889 मी.टन) था।

2. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेशन के प्रचालनों और भावी संभावनाओं को दर्शाते हुए प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक—। पर संलग्न है जो निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

3. कारपोरेट गवर्नेस

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेशन शासन दिशा—िनर्देशों का अनुपालन करने संबंधी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड सदस्यों की आचरण नियमावली की संहिता के अनुपालन की घोषणा सिहत कारपोरेट गवर्नेस पर एक रिपोर्ट तथा सचिवालय लेखा—परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक—॥ में दिए गए हैं।

4. निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

श्री एन.के. साहा, निदेशक (उत्पादन) और अध्यक्ष एवं

During the year, Corporation has earned operating profit of Rs. 115.41 crores (Before Depreciation, Interest and Prior Period adjustments) against operating profit of Rs.38.60 crores in the previous year. This is mainly due to the following reasons:

- i) Increase in export sale of Urea. This year 62500 MT urea exported to Nepal (Previous year Rs. 47500 MT);
- ii) During the year total production of urea was 390693 MT (Previous year 278889 MT).

2. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

A Report on Management Discussion and Analysis Report covering the operations and future prospects of the Corporation is enclosed at **Annexure-I**, forming part of the Directors' Report.

3. CORPORATE GOVERNANCE

A report on Corporate Governance along with declaration of compliance of code of conduct rules of Sr. Management and Board members, Secretarial Audit Report, Certificate from Practising Company Secretaries firm conforming the compliance of corporate governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Department of Public Enterprises (DPE) and the management replies on the observations made in Secretarial Audit Report are enclosed at **Annexure-II**, forming part of the Directors' Report.

4. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS'

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

Shri N.K. Saha, Director (Production) and



प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 30.09.2012 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा—निवृत्त हो गए।

 श्री एस.डी. सिंह ने 1.10.2012 को बीवीएफसीएल बोर्ड में निदेशक (उत्पादन) का कार्यभार ग्रहण किया था। तत्पश्चात् भारत सरकार ने उन्हें दिनांक 01.10.2012 से अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, बीवीएफसीएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।

निदेशक मण्डल, श्री एन.के. साहा द्वारा बीवीएफसीएल बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

5. निदेशकों के दायित्व से संबंधित विवरणः

निदेशकों के दायित्व से संबंधित विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:

- (i) वर्ष 2012—13 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय सामग्री के प्रेषण से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- (ii) बोर्ड ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करके उन्हें इस प्रकार से लागू किया है कि लिए गए निर्णय और तैयार किए गए अनुमान औचित्यपूर्ण और विवेकसंगत हों, ताकि 31 मार्च, 2013 के अनुसार कंपनी की गतिविधियों के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त अविध के लिए लाभ व हानि का लेखा प्रस्तुत किया जा सके।
- (iii) बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और किसी प्रकार की गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए लेखांकन रिकार्डों को तैयार करने की ओर पर्याप्त और उचित ध्यान दिया है।

Chairman & Managing Director (additional charge) has retired on attaining his age of superannuation on 30.09.2012.

 Shri S.D. Singh, joined the BVFCL Board as Director (Production) on 1.10.2012.
 Subsequently, Govt. of India assigned additional charge of the post of CMD, BVFCL w.e.f. 1.10.1012.

Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri N.K. Saha, during his tenure on the BVFCL Board.

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to the provisions of Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to the Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirm:

- (i) That in the preparation of annual accounts for the year 2012-13, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- (ii) That the Board has selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at 31st March 2013 and of profit and loss for the financial year ended 31st March, 2013.
- (iii) That the Board have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.



(iv) बोर्ड ने कंपनी के भविष्य में बने रहने के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

> उपर्युक्त के अलावा, आपके निदेशकों ने तिमाही आधार पर विभिन्न विभागों के सभी कार्यात्मक प्रमुखों से पुष्टि/अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके कॉर्पोरेशन पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

6. सांविधिक लेखा-परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भैसर्स गोपाल चौधरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सिलिगुड़ी को कॉर्पोरेशन के वित्तीय वर्ष 2012—13 के लेखाओं की लेखा—परीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखा—परीक्षक नियुक्त किया गया। उपर्युक्त लेखा—परीक्षकों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन के वार्षिक लेखाओं पर दिनांक 30.08.2013 को अपनी लेखा—परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

प्रबंधन ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर अनुलग्नक—III पर संलग्न है, जो निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है।

भारत के नियंत्रक और महालेखाकार (सीएण्डएजी) की टिप्पणी:

सीएण्डएजी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा—परीक्षित वार्षिक खातों पर अनुपूरक लेखा—परीक्षा की है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा—परीक्षित वार्षिक लेखाओं पर सीएण्डएजी की टिप्पणियां अनुलग्नक—IV पर संलग्न हैं जो निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा हैं और इसका कोई उत्तर नहीं देना है क्योंकि सीएएण्डएजी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(iv) That the Board have prepared the Annual Accounts on a going concern basis.

Besides the above, your directors have ensured the compliance of all laws applicable to the Corporation by obtaining confirmation/compliance certificates from the all the functional heads of the various departments on quarterly basis.

6. STATUTORY AUDITORS:

M/s. Gopal Choudhury & Co., Chartered Accountants, Siliguri were appointed as Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller & Auditor General of India to audit the accounts of the Corporation for the financial year 2012-13. The above Auditors have submitted their Audit Report dated 30.08.2013 on the annual accounts of the company for the financial year ending 31st March, 2013.

The management replies on the observations of Statutory Auditors' report on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2013 is enclosed at **Annexure-III**, forming part of the Directors' Report.

7. COMMENT OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG):

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has undertaken supplementary audit on the Audited annual accounts of the Company for the year ended 31st March, 2013 under the provisions of Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956. The comments of the C & AG on the Audited Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2013 is enclosed at **Annexure-IV**, forming part of the Directors' Report and do not requires for any reply as no comments has been made by C&AG.



लागत लेखा—परीक्षकः

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के प्रावधानों के अनुसरण में कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लागत लेखाओं की लेखा—परीक्षा करने के लिए मैसर्स सुभद्रा दत्त एण्ड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, गुवाहाटी को नियुक्त किया है। वर्ष 2011—12 की लागत लेखा—परीक्षाा रिपोर्ट 19 मार्च, 2013 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदन देने के बाद वेबसाइट www.mca.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

वर्ष 2012—13 के लिए लागत लेखा—परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उचित तारीख 30 सितम्बर, 2013 है। उपर्युक्त लेखा—परीक्षाओं ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और उसे बोर्ड के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया है, जिसे लागत लेखा—परीक्षकों द्वारा वेबसाइट www.mca.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा विदेशी विनिमय अर्जन तथा रिलीज के संबंध में कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पठित भाग 217 (1)(ड.) के प्रावधानों के अनुसार सूचना की जानकारी अनुलग्नक—। (क) और (ख) में संलग्न है।

10. राजभाषा का प्रगामी प्रयोगः

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेशन में हिंदी राजभाषा के प्रयोग को बढावा देने के लिए निम्नलिखित

8. COST AUDITORS:

In compliance of the provisions of Section 233B of the Companies Act, 1956, Board of Directors of the Corporation have re-appointed M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants, Guwahati to carry out the audit of cost accounting records of the Company for the financial year ending 31st March, 2013. Cost Audit Report for the year 2011-12 were filed / uploaded on the website of www.mca.gov.in after duly approved by the Board of Directors of the company on 19th March, 2013.

The due date of filing of cost audit report for the year 2012-13 is 30th September, 2013. The above auditors have finalized their report and submitted to the Board for their consideration and approval, which shall be filed /upload on the website of www.mca.gov.in by the Cost Auditors in due course.

9. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO.

The Disclosure of information in accordance with the provisions of Section 217 (1) (e) read with Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 regarding conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earning and outgo are enclosed at **Annexure-I** (A) & (B).

10. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE:

All govt. directions for implementation of Official Language Policy of the Govt. of India are being followed. During the year under review, following activities were take place to increase the



कार्यकलाप किए गए:

- i) हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 'प्रशिक्षण कक्षाएं' आयोजित की गईं। 'प्रवीण' कक्षा में 13 कर्मचारियों और 'प्राज्ञ' कक्षा में 11 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया:
- ii) 14.09.2012 से 30.09.2012 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अविध के दौरान निबंध—लेखन, कविता पाठ और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसने कर्मचारियों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
- iii) वर्ष के दौरान चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- iv) कार्पोरेशन के उच्चाधिकारियों की द्विभाषी सरकारी मोहर का सरकारी प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया।

11. धारा 217(2क) के अधीन कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी यथासंशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) तथा के अंतर्गत नहीं आता है।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर उत्तर देना अनिवार्य होता है। बीवीएफसीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन करने का हर संभव प्रयास करती है। बीवीएफसीएल ने पारदर्शी अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी, वैकल्पिक पीआईओ तथा कंपनी के सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नामांकन किया है तािक अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों के अनुरोध का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जा सके। अधिनियम के अंतर्गत नािमत अधिकारियों का ब्यौरा बीवीएफसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया

awareness of use of Hindi Raj Bhasha in the Corporation:

- i) Conducted 'Training classes for the employees and officers, who is not knowing Hindi language.
 In Praveen' Classes -13 and 'Pragya' classes
 - 11 employees were educated;
- Hindi fortnight was celebrated from 14.09.2012 to 30th September, 2012. In this week, essay writing, poem and speech competition were organized, which resulted encouraging participation by the employees;
- iii) Four Hindi workshops were organized during the year;
- iv) Bi-lingual official seals of higher officials of the Corporation were made for official use.

11. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217(2A):

There is no employee in the company covered under Section 217(2A) of the Companies Act,1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975 as amended.

12. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Right to Information Act, 2005 mandates timely response to citizen's requests for government information. BVFCL is a wholly owned Government company under Ministry of Chemicals and Fertilizers. As per the provisions of Right to Information Act, 2005 the Company makes all efforts to follow the directives so issued under the Act. BVFCL has nominated Transparency Officer, Appellate Authority, Public Information Officer, Alternate PIO and Assistant Public Information Officer of the Company to respond effectively to the requests of the applicants under the Act. The details of the officers nominated under the Act have



है ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में सूचना दी जा सके।

कंपनी की वेबसाइट (www.bvfcl.com) में अद्यतन सूचना अपलोड की जाती है और सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को अपलोड किया गया है। वर्ष 2012–13 में छब्बीस आवेदन (जिनमें तीन आवेदन स्थानांतरण के थे) प्राप्त हुए थे और सभी आवेदनों का निर्धारित समय–सीमा में उत्तर दिया गया था।

13. एमसीए 21

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा यह ई-शासन पहल वर्ष 2006 में आरंभ की गई थी। यह दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, कंपनियों का पंजीकरण करने और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के जिए कारपोरेट सूचना जनता की पहुंच तक बनाने सिहत सभी एमसीए सेवाएं उपलब्ध कराता है। बीवीएफसीएल कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा सितंबर, 2006 से इसके अंतर्गत ऑनलाइन बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित इसके सभी फार्म, विवरणियां और दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है। सभी निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) विद्यमान है तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (उत्पादन) और कंपनी सचिव के डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए गए हैं।

14. आभार:

निदेशक मण्डल भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों जैसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी. सी.), कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सांविधिक लेखा—परीक्षकों, लागत—लेखा परीक्षकों, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इण्डिया लिमिटेड, आरसीएफ, पीडीआईएल, एनएफएल, सम्मानित डीलरों और ग्राहकों से प्राप्त हुए मार्गदर्शन

been uploaded on the website of BVFCL to facilitate information about the affairs of the Company.

The Company's web site (www.bvfcl.com) is maintained with updated information and all provisions of Right to Information Act have been kept uploaded. Twenty Six applications were received in 2012-13 (three applications received as transfer) and all the applications were replied within time limit.

13. MCA 21

This e-Governance initiative was started by Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the year 2006. It offers availability of all MCA services including filing of documents, registration of companies and public access to corporate information through the portal of Ministry of Corporate Affairs. BVFCL has been filing all its forms, returns and documents required under the provisions of Companies Act, 1956 and rules made thereunder online since September, 2006. Director Identification Number (DIN) of all the Directors are in place and Digital Signatures of Chairman and Managing Director, Director (Production) and Company Secretary have been obtained.

14. ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors acknowledges the valuable guidance and continued support extended by the various Departments and Ministries of the Govt. of India viz. Ministry of Chemicals & Fertilizers, Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), Ministry of Agriculture, Indian Council for Agricultural Research, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Home, Department of Public Enterprises, Statutory Auditors, Cost Auditors,



और सतत् सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल सभी पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सिण्डिकेट बैंक तथा बैंक ऑफ इण्डिया के बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल नामरूप—II और III संयंत्रों के उत्पादन संबंधी कार्य—निष्पादन में सुधार करने के लिए कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता है और उनकी सराहना करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. / — एस.डी. सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Practicising Company Secretaries, Comptroller & Auditor General of India, Assam Gas Company Limited, Oil India Limited, RCF, PDIL,NFL, valued dealers and customers.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation to all the North Eastern States, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Punjab National Bank, UCO Bank, State Bank of Patiala, Syndicate Bank and Bank of India for their valued co-operation.

The Board of Directors also acknowledges and appreciates the untiring efforts put in by the employees of the Corporation for improving production performance of Namrup-II and III plants.

For and on behalf of the Board

Sd/-

S.D. Singh

Chairman & Managing Director



निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-।

प्रबंधक चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. व्यवसाय

वर्ष 2002 में निगमित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसूची 'बी' श्रेणी का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) है। बीवीएफसीएल नामरूप (असम) में यूरिया जैव—उर्वरकों, कृमि—खाद का उत्पादन करता है और बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों (एमओपी, डीएपी / एसएसपी / रॉक फॉस्फेट) और सूक्ष्म पोषक—तत्वों का व्यापार करता है। कार्पोरेशन "मुक्ता" ब्रांड नाम के अंतर्गत अपने उत्पादों का विपणन करता है।

2. दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2012—13 के दौरान नामरूप—II और नामरूप—III संयंत्रों के कार्य—निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ। दोनों संयंत्रों ने रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया। नामरूप—II संयंत्र ने 1987 में इसके चालू होने के बाद से अमोनिया और यूरिया में सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है जिसकी वर्ष की औसत क्षमता उपयोग 104.17% है। तथापि नामरूप—II संयंत्र, दो स्ट्रीमों की कुल क्षमता की तुलना में 45.60% का क्षमता उपयोग ही प्राप्त कर सका। लेकिन वास्तव में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सीमित होने के कारण यूरिया संयंत्र की दो स्ट्रीमों में से केवल एक स्ट्रीम को ही चलाया जा सका था।

भारत सरकार द्वारा कंपनी की दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र (नामरूप—IV) की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजना की संयुक्त उद्यम के अंतर्गत स्थापना की जाएगी। योजना

ANNEXURE-I TO DIRECTOR'S REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. BUSINESS

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) incorporated in the year 2002 is a Schedule 'B' category Central Public Sector Enterprise (CPSU) under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt of India. BVFCL is engaged in the manufacture of Urea, Bio- fertilizers, Vermi-Compost manure at Namrup (Assam) and trading of Seeds, Pesticides, Fertilizers (MOP, DAP/SSP/Rock Phosphate) and Micronutrients. Corporation is marketing its products under the brand name "Mukta".

2. OVERVIEW

There was significant improvement in the performance of Namrup-II and Namrup-III plants during the financial year 2012-13. Both the plants could achieve record production. Namrup-III Plant recorded highest Ammonia and Urea production during the year since commissioning in 1987 with average capacity utilization of 104.17% for the year. However Namrup-II plants could achieve capacity utilization of 45.60% against the total capacity of two streams running. But in actual only one of the two streams of urea plant could be operated due to limitation in Natural Gas availability.

For long term viability of the Company, a proposal for setting up new brown field ammonia urea plant (Namrup-IV) has been under consideration of Govt. of India. The proposed project will be set up under Joint Venture. The



आयोग ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कंपनी में कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। यहां विशेषकर मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर कुशल जनशक्ति की अत्यधिक कमी है। कुशल और अनुभवी जनशक्ति की भर्ती करने के प्रयास किए गए हैं लेकिन वांछित सफलता नहीं मिली है — इसका कारण स्थानीय स्थिति का अच्छा न होना और बीवीएफसीएल में वेतन की अवसंरचना काफी कम है।

3. उद्योग ढांचा और सरकारी नीतिः

रासायनिक उर्वरकों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म—निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1951—52 में उर्वरक खपत 1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर से कम थी, जो वर्ष 2011—12 में बढ़कर 143.130 कि.ग्रा. हो गई है। वर्तमान में यूरिया उत्पादन की स्वदेशी क्षमता लगभग 222 लाख मी. टन (2011—12) है, जो इस क्षेत्र में नए निवेश के अभाव में पिछले एक दशक से लगभग स्थिर रही है। इससे घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि हुई है। जबिक भारत वर्ष 2002—03 में स्वदेशी स्नोतों से यूरिया की अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करता है। वर्ष 2013—14 में यूरिया का आयात लगभग 80 लाख मी. टन है जो लगभग यूरिया की घरेलू आवश्यकता का लगभग 25% बैठता है।

भारत सरकार किसानों को सीधे राजसहायता देने की अपनी पहल को धीरे—धीरे किंतु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा रही है। भारत सरकार खुदरा व्यापरियों को अंतर्र्निहित थर्मल प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित बिक्री स्थल (पीओएस) उपकरण उपलब्ध करा रही है। पूरे देश में छः चयनित जिलों में एक प्रायोगिक स्कीम चलाए जाने की योजना है।

भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2008 में एक नई निवेश नीति की घोषणा की है। तथापि यह नीति पुनरुद्धार को छोड़कर यूरिया क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने में असफल रही है। भारत सरकार ने हाल में यूरिया क्षेत्र में नया planning commission has accorded approval to the proposal.

The manpower position of the Company remains critical with acute shortage of skilled manpower especially in middle and senior level. Efforts have been made to recruit skilled and experienced manpower without desired success, due to its locational remoteness and lower salary structure in BVFCL.

3. INDUSTRY STRUCTURE & GOVERNMENT POLICY:

Chemical fertilizers have played an important role in making the country self-reliant in food grain production. The fertilizer consumption has increased from less than 1 kg per hectare in 1951-52 to 143.130 kg in 2011-12. The indigenous capacity of urea production which is presently around 222 LMT (2011-12) has remained almost stagnant over last decade for want of new investment in this sector. This has led to increase import to meet the domestic requirement. While India fully met its domestic requirement of urea from indigenous sources in 2002-03, imports of urea in 2013-14 are estimated around 80 LMT roughly 25% of domestic requirement of urea.

The Government of India is slowly but firmly pursuing its initiatives to transfer subsidy directly to the farmers. The GOI is planning to provide Point of Sale (POS) devices with an inbuilt thermal printer and internet connectivity to retailers. A pilot plan has been planned in six selected District across the country.

The Government of India announced New Investment Policy in 2008 to attract new investment in the urea sector. However, the policy failed to enthuse investment in urea sector barring revamps. The GOI has recently



निवेश करने के लिए वर्ष 2012 में एक नई नीति (एनआईपी 2012) की घोषणा की है।

आपका कॉर्पोरेशन पूरे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में एकमात्र यूरिया उत्पादन इकाई है, अतः उस पर इस क्षेत्र में किसानों को समय पर यूरिया की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी है।

अखिल भारत औसत की तुलना में पूर्वोत्तर में उर्वरकों की खपत कम है। वर्ष 2010—11 में 144.6 कि.ग्रा. /हेक्टे. के अखिल भारत आंकड़ों की तुलना में असम में प्रति इकाई सकल फसल क्षेत्र संयंत्र पोषकतत्व (एन, पी॰ ओ॰ और के॰ ओ) की खपत 67.2 कि.ग्रा. /हेक्टेयर थी। इससे पता चलता है कि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उर्वरकों की खपत में वृद्धि की संभावना है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके कॉर्पोरेशन ने नामरूप में एक ब्राउनफील्ड अमोनिया संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है, जिससे यूरिया का उत्पादन दुगुने से अधिक हो जाएगा। बीवीएफसीएल ने अपने मौजूदा डीलर नेटवर्क के जरिए उर्वरकों की बिक्री — एमओपी, एसएसपी, डीएपी, रॉक फॉस्फेट, सूक्ष्म पोषकतत्व का व्यापार भी शुरू किया है।

4. उत्पादन निष्पादन की समीक्षाः

वर्ष 2012—13 के दौरान नामरूप—II और नामरूप—III संयंत्र दोनों के निष्पादन में समग्र सुधार हुआ है जिसका नीचे उल्लेख किया गया है:

- नामरूप—III में अमोनिया और यूरिया संयंत्रों ने क्रमशः
 1,61,198 मी. टन तथा 2,81,265 मी. टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया है। नामरूप—III संयंत्र को
 104.17% के औसत लोड पर चलाया जा सका था।
- नामरूप—III संयंत्र की औसत विशिष्ट ऊर्जा खपत वर्ष 2012—13 में घटकर 12.74 जीकैल/मी.टन अमोनिया तथा 10.30 जीकैल/मी.टन यूरिया हो गई थी। यह एक वर्ष में होने वाली सर्वाधिक न्यूनतम ऊर्जा खपत

announced a new policy in 2012 (NIP 2012) in order to facilitate fresh investment in urea sector.

Your Corporation, being the only urea manufacturing unit in entire north-east and eastern India, bears responsibility of supplying timely urea to farmers across the region.

The consumption of fertilizers in north-east is low in comparison to all India average. In the year 2010-11, consumption of plant nutrients (N,P2O5 & K2O) per unit of gross cropped area in Assam was 67.2 kg/ha against all India figure of 144.6 kg/ha. This shows that the fertilizer consumption in Assam and other north-eastern states has potential to grow. Keeping these points in view, Your Corporation has proposed to set up a new high capacity brown field ammonia-urea plant at Namrup which will more than double the urea production. BVFCL has also taken up trading business for sale of fertilizers - MOP, SSP, DAP, Rock Phopshate, Micro nutrient through its existing dealer's network.

4. REVIEW OF PRODUCTION PERFORMANCE:

There has been overall improvement in performance of both Namrup-II and Namrup-III Plants during the year 2012-13 as stated below:

- Ammonia and urea plants in Namrup III recorded highest production of 1,61,198 MT and 2,81,265 MT respectively. Namrup-III plant could be operated at average load of 104.17% load.
- The average specific energy consumption of Namrup-III plant was brought down to 12.74 GCal/MT of ammonia and 10.30 Gcal/MT of urea for the year 2012-13. These are lowest



है। वर्ष 1989—90 में पिछली न्यूनतम ऊर्जा खपत 11.12 जीकैल/मी.टन थी।

- वर्ष के दौरान, नामरूप—III संयंत्रों ने उच्चतम 329.59
 ऑन—स्ट्रीम दिवस रिकार्ड किए हैं।
- वर्ष के दौरान नामरूप—II 1,09,428 मी.टन का उच्चतम यूरिया उत्पादन (पुनरुद्धार के बाद) प्राप्त कर सका था। वर्ष के लिए नामरूप—II की विशिष्ट यूरिया ऊर्जा खपत 16.29 जीकैल / मी.टन यूरिया थी।

उच्च लोड पर मानरूप—॥ संयंत्र का प्रचालन करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 1.72 एमएमएससीएमडी तक सीमित है। इससे नामरूप—॥ का अधिकतम संयंत्र भारत 50% तक सीमित हो गया है। नामरूप—॥ संयंत्रों का निष्पादन भी प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर के कूलरों और कंडेंसरों में ट्यूब पुनरुद्धार किए गए गैस बॉयलर के पहले कंपार्टमेंट से ट्यूब शीट से रिसाव होने तथा अन्य खराबी के कारण प्रभावित हुआ था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं, परिणामस्वरूप संयंत्रों के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, नामरूप—॥ संयंत्र पुरानी प्रौद्योगिकी, बार—बार उपकरणों के खराब होने तथा मूल स्पेयर पार्ट की उपलब्ध न होने के कारण पंग् बने हए हैं।

कंपनी ने वर्ष 2012—13 के दौरान 22.63 मी.टन जैव—उर्वरकों का उत्पादन किया था।

5. शक्तियां और कमियां

कंपनी की शक्तियां:

- यह पूरे असम, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार में यूरिया का उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी है जहां 40 लाख मी. टन तक की आपूर्ति की अभी भी कमी है।
- इकाई फील्ड / ईंधन एनजी के स्रोत के समीप है तथा एनजी की मूल्य लागत कम है।
- इकाइयों में उत्पादन की न्यूनतम संपूर्ण लागत।

ever energy consumption for a year. Previous lowest energy consumption was 11.12 Gcal/MT in the year 1989-90.

- During the year, Namrup-III plants recorded highest ever on-stream days of 329.59 days.
- Namrup-II could achieve highest urea production (after revamp) of 1,09,428 MT during the year. The specific energy consumption of urea of Namrup-II was 16.29 Gcal/MT of urea for the year.

One of the major impediments in operating Namrup-II Plant at higher load remained limitation in Natural Gas supply to 1.72 MMSCMD. This has restricted maximum plant load of Namrup-II to 50%. The performance of Namrup-II Plants was also affected due to tube leakage in coolers and condensers of Process Refrigeration Compressor, tube sheet of first Compartment of Reformed Gas Boiler and other breakdowns. Steps have been taken to mitigate these problems resulting in improvement in performance of the plants. However Namrup-II plants are plagued by obsolete technology, frequent equipment failures and non availability of original spares.

The company produced 22.63 MT of Bio Fertilizer during 2012-13.

5. STRENGTH AND WEAKNESS

The strengths of the company:

- It is the only urea producing company in the entire Assam, North-Eastern States, West Bengal and Bihar where still a supply shortfall to the extent of 40 Lakh MT exists.
- The unit being close to the source of Feed/ Fuel NG and lower basic cost of NG.
- Lower absolute cost of production in the units.



- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अन्य दूरस्थ राज्यों में स्थित कंपनियों से यूरिया की आपूर्ति हेतु परिवहन की उच्च लागत कम होगी।
- नामरूप इकाइयों के गैस सृजन बिंदुओं के निकट होने के कारण प्राकृतिक गैस की परिवहन लागत कम होगी।
- असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृजन, जो मुख्यतः आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है।

कंपनी की खामियांः

- इकाइयों में पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।
- संयंत्रों का अधिक पुराना होना।
- पुरानापन के कारण अतिरिक्त पुर्जों का उपलब्ध न होना।
- कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति का उपलब्ध न होना।
- कर्मचारियों की उच्च औसत आयु।
- जनशक्ति की अत्यधिक कमी।

6. मुख्य अवसर और खतरे

कंपनी के अवसरः

- पड़ोसी देशों को यूरिया का निर्यात करने की संभावना।
- रसायनों के उत्पादन तथा विद्युत सृजन के लिए विविधिकरण की संभावना।
- एकल मद यूरिया विपणन से अन्य किसान / कृषि उत्पादों में विविधिकरण।
- नई ब्राउन फील्ड परियोजना की स्थापना करना।

कंपनी के जोखिमः

- अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली यूरिया उत्पादन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा जिनकी ऊर्जा खपत और उत्पादन लागत कम है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के मूल्य का अत्यधिक उतार—चढ़ाव तथा आयात की छूट देना।

- Transportation advantage for supply of Urea from other companies situated outside North-Eastern states of India.
- Lower transportation cost of the natural gas because of location of Namrup plants near to the gas generation points.
- Direct and indirect generation of employment in the states of Assam & other North- Eastern states, which are predominantly economically backward.

The Weakness of the company:

- Old technology adapted in the units.
- Old age of the plants.
- Non-availability of spares due to obsolescence.
- Non-availability of skilled & trained manpower.
- High average age of the employees.
- Acute shortage of manpower.

6. KEY OPPORTUNITIES AND THREATS

The Opportunities to the company:

- Scope for exporting of urea to neighbouring states.
- Scope for diversification to produce chemicals and generation of power.
- Diversification into other farmer/agricultural products from single item Urea Marketing.
- Setting up new brown field project.

The Threats to the company:

- Competition from other urea manufacturing companies having lower Energy consumption and lower cost of production.
- Highly fluctuating prices of urea in the International Market and opening of import.



- रियायती दर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बनाए रखने की अनिश्चितता।
- मैसर्स ऑयल इंडिया से कम से कम 0.23 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस की सुदृढ़ प्रतिबद्धता।
- नई मूल्य—निर्धारण प्रणाली।
- उत्पादन तथा अव्यवहार्यता की उच्च लागत के परिणामस्वरूप पुराने प्रौद्योगिकी संयंत्रों के कारण कंपनी को बंद करना।

7. भावी दृष्टिकोण और वर्तमान वर्ष के लिए पहल

वर्ष 2013—14 के दौरान प्रमुख कार्यों की पुनरुद्धार योजना बनाई गई थी। कार्यों को निर्धारित समय में कारगर ढंग से करने के लिए सभी तैयारियां की गई थीं। वर्ष 2013—14 की पहली तिमाही के दौरान पुनरुद्धार कार्यों का नीचे उल्लेख किया गया है:

नामरूप-॥:

- आरजी बॉयलर के पहले कंपार्टमेंट को बदला गया।
- ट्यूबों की क्रीप जांच के परिणामों के आधार पर खराब
 प्राथमिक रिफार्मर ट्यूबों को बदला गया।
- प्रोसेसे एयर कंप्रेशर तथा सिंथेसिस गैस कंप्रेशर की मरम्मत की गई।
- एनजी बूस्टर कंप्रेशर के इंटरकूलर और बॉयपास कूलर,
 प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर के एफ-100, पीएसी के ल्यूब
 ऑयल कूलर, नाइट्रोजन कूलर आदि को उनके उसी
 स्थान पर बदला गया।
- यूरिया रिएक्टरः लाइनर बेल्ड जोड़ों को घिसकर उनकी वेल्डिंग की गई।

नामरूप-III:

 आरजी बॉयलर के ट्यूब बंडल को बदला गया तथा रिफ्रेक्टरी और लाइनर के नीचे विस्तार किया गया।

- Uncertainty of continuation of supply of Natural Gas at a concessional rate.
- Firm commitment of at least 0.23 MMSCMD
 Natural Gas from M/S OIL India.
- New Pricing Mechanism.
- Closure of the company due to high cost of production & un-viability.

7. FUTURE OUTLOOK AND INITIATIVE FOR THE CURRENT YEAR

Major renovation jobs were planned to be taken up during the year 2013-14. All preparations for carrying out the jobs in efficient way within stipulated time were carried out. The renovation jobs were carried out during 1st quarter of the year 2013-14 as stated below:

Namrup-II:

- Replacement of 1st Compartment of RG Boiler.
- Replacement of defective Primary Reformer tubes was replaced based on results of creep test of tubes.
- Overhauling of Process Air Compressor and Synthesis Gas Compressor.
- In-situ replacement of tubes of intercooler & bypass cooler of NG Booster compressor, F-100 of Process refrigeration Compressor, lube oil cooler of PAC, Nitrogen cooler etc was done.
- Urea Reactor: Liner weld joints were grinded and welded.

Namrup-III:

 Replacement of tube bundle of RG Boiler along with expansion below, refractory & liner.



- न्यूमेरिक प्रणाली को सहायक बॉयलर में पीएलसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आधारित पीएलसी में बदलकर इंस्ट्रमेंटेशन का पुनरुद्धार किया गया।
- द्वितीयक रिफार्मर, एलटी और एचटी कंवर्टर और मेथानेटर में कैटैलिटर के नए चार्ज के साथ स्पेंट कैटेलिस्ट को बदला गया।
- प्राइमरी रिफार्मर ट्यूब का अविशष्ट आयु विश्लेषण (आरएलए) किया गया। कैटेलिस्ट स्थिति की जांच करने के लिए ट्यूब में अलग—अलग दबाव को मापा गया। जहां डीपी अधिक थी, वहां कंटेलिस्ट को बदला गया।
- द्वितीयक रिफार्मर, आरजी बॉयलर, सहायक बॉयलर ट्यूबों के खोल की धातु ग्राफिक जांच की गई।
- एनजी बॉयलर कंप्रेशर और सिंथेसिस गैस कंप्रेशर की मरम्मत की गई।

8. नए ब्राउन फील्ड अमोनिया—यूरिया संयंत्र की स्थापनाः

दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए नामरूप में बाउनफील्ड अमोनिया—यूरिया संयंत्र (नामरूप—IV) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना को संयुक्त उद्यम के अंतर्गत स्थापित करने के लिए योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम सरकार ने क्रमशः 26% और 11% इक्विटी धारिता के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में भाग लेने में अपनी रुचि दिखलाई है। नए संयंत्र की क्षमता और ऊर्जा दक्षता उच्च होगी और यह मौजूदा संयंत्रों के स्थान पर लगाया जाएगा।

मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ब्राउनफील्ड अमोनिया—यूरिया संयंत्र लगाने के लिए पीएसयू द्वारा 100% निवेश सिंत विकल्प का विश्लेषण किया है तथा विभिन्न संयुक्त उद्यम मॉडलों का सुझाव दिया है। परियोजना में बीवीएफसीएल की हिस्सेदारी मौजूदा परिसंपत्तियों (मूर्त और अमूर्त दोनों) के मूल्य तक सीमित होगी। मैसर्स आरबीएसए वेल्यूएशन एडवाजर्स एलएलपी, अहमदाबाद, जो एक प्रमाणित सरकारी मूल्यांकनकर्ता हैं, द्वारा बीवीएफसीएल की मूर्त

- Renovation of instrumentation by replacing pneumatic system to PLC based electronic system in Auxiliary Boiler.
- Replacement of spent catalysts with fresh charge of catalysts in Secondary Reformer, LT & HT convertor and Methanator.
- Residual life analysis (RLA) of Primary Reformer tubes. Measurement of differential pressure across tubes to check catalyst condition. Replacement of catalyst where dP is high.
- Metallographic test of shell of Secondary Reformer, RG Boiler, Auxiliary Boiler tubes.
- Overhauling of NG Booster Compressor and Synthesis Gas Compressor.

8. SETTING UP OF NEW BROWN FIELD AMMONIA-UREA PLANT:

For long term viability, setting up a new Brown field Ammonia-Urea Plant (Namrup-IV) at Namrup has been proposed. The proposal has received in-principle approval of the Planning Commission for setting up the project under Joint Venture. M/S Oil India Ltd and Government of Assam have shown their interest to participate in the proposed Joint Venture with 26% and 11% equity holding respectively. The new plant will be of high capacity and energy efficient and will replace existing plants.

M/s. Price Waterhouse Coopers Private Ltd has carried out option analysis and suggested various JV models including 100% investment by PSU for establishment of a Brownfield Ammonia Urea Plant. BVFCL's stake in the project will be to the extent of the value of existing assets (both tangible and intangible). The tangible and intangible assets of BVFCL has been assessed by M/s RBSA Valuation



और अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन किया गया है। मूर्त परिसंपत्तियों का आकलन 834.48 करोड़ रुपए लगाया गया है। एपीएम गैस उपलब्धता के विभिन्न परिदृश्य के आधार पर अमूर्त संपत्तियों का आकलन 190.16 करोड़ रुपए से 365.26 करोड़ रुपए के बीच लगाया गया है। उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर मैसर्स पीडीआईएल ने नामरूप—IV की उपयोग होने वाली मौजूदा परिसंपत्तियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है— चयनित उपयोग होने वाली परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य 245.29 करोड़ रुपए लगाया गया है। उर्वरक विभाग ने संयुक्त उद्यम को सुनिश्चित करने के लिए कुछेक बैठकें बुलाई है।

9. नामरूप—॥ और नामरूप—॥ का मौजूदा व्यापक अध्ययन :

कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए बीवीएफसीएल ने उर्वरक विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है ताकि उसे सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन उद्यम बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। बीआरपीएसई नोट का एक प्रारूप अंतर—मंत्रालयी परामर्श के लिए सभी हितधारकों, मंत्रालयों / विभागों को परिचालित किया गया है। प्रस्ताव में अन्य छूट के साथ कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल हैं।

10. सूचना प्रौद्योगिकी अंगीकरण/उन्नयन

कंपनी में संसाधन योजना (ईआरपी) को कार्यान्वित करने की संभाव्यता की खोज की जा रही है। सैप द्वारा ईआरपी पर एक प्रदर्शन हाल ही में आयोजित किया गया था।

45 कार्यपालकों को बीवीएफसीएल की मेल आई.डी. (अर्थात् name@bufcl.co.in) उपलब्ध कराई गई है। 120 कार्य स्थलों पर पट्टे पर ली गई लाइन इंटरनेट सुविधा सहित स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाओं का आगे और विस्तार किया गया था।

Advisors LLP, Ahmedabad, a certified Government Valuer. Tangible assets has been assessed at Rs.834.48 crores. Based on different scenario of APM gas availability, intangible assets has been assessed in the range of Rs.190.16 crores to Rs.365.26 crores. Based on the above valuation, M/s PDIL has submitted a report on usable existing assets for Namrup-IV - market value of identified usable assets has been estimated at Rs.245.29 crores. DoF has convened a few rounds of meetings to firm up the Joint Venture.

9. COMPREHENSIVE STUDY OF EXISTING NAMRUP-II AND NAMRUP-III:

For financial restructuring and rehabilitation of the company, BVFCL has submitted a proposal to Department of Fertilizer for submission before Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE). A draft BRPSE note has been circulated to all stake holder ministries/departments for inter-ministerial consultations. The proposal contains financial restructuring of the company with other dispensations.

10. IT ADOPTION / UPGRADATION

Possibility to implement Enterprise Resource Planning (ERP) in the Company is being explored. A demonstration on ERP by SAP was conducted recently.

The company has corporate email service using Rediffmail platform. 45 executives have been provided with BVFCL's mail-id (i.e., name@bvfcl.co.in). A Local Area Network covering 120 work stations at different location is in position along with leased line internet facility.



उच्च मूल्य मदों के लिए कंपनी में ई—प्रापण कार्यान्वित किया गया है। इस सुविधा का प्रयोग बढ़ाया जाएगा ताकि इसमें मानक विशिष्टियों तथा 5.00 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली गैर—स्वामित्व मदें शामिल हैं।

कम्पनी की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है और सूचना का अधिकार अधिनियम तथा कारपोरेट गवर्नेंस के सभी प्रावधानों को अपलोड किया गया है।

11. जोखिम प्रबंधन

कम्पनी ने आकलन और न्यूनतमीकरण की निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाने वाली समीक्षा के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। पता लगाए गए संभावित जोखिमों को विभिन्न किस्मों के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है अर्थात् फीड / ईंधन, संयंत्र प्रचालन, संयंत्र प्रचालन एवं रखरखाव, उपयोगिताएं, पर्यावरण विनियामक, कारोबार प्रतिस्पर्धा, बाजार, वित्त, मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक और आंतरिक नियंत्रण जोखिम।

12. पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का अनुपालन

आपका कॉर्पोरेशन पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी संगत और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रहा है जैसे जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, जल (जल की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, बैटरियां (प्रबंधन और हैण्डलिंग) नियम 2001 आदि। विभिन्न कानूनों/नियमों/सरकारी आदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों/रिपोर्टों आदि को समय पर नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से "डिस्चार्ज की सहमति" प्रमाण—पत्र को नियमित रूप से प्राप्त किया जाता है।

E-procurement has already been implemented in the Company for high value items. The use of this facility has been extended to include non-proprietary items having standard specifications and of value higher than Rs.5.00 Lakhs.

The Company's web site is maintained with updated information and all provisions of Right to Information Act and Corporate Governance have been kept uploaded.

11. RISK MANAGEMENT

The company had laid down Risk Management Policy for assessment & minimization procedures, which is reviewed by the Board of Directors on quarterly basis. The possible risks have been identified and grouped under specific responsibility areas such as Feed/Fuel, Plant Operation & Maintenance, Utilities, Environment Regulatory, Business Competition, Market, Assents, Finance, Human Resources, Project Management, Information Technology, Legal and Internal Control.

12. COMPLIANCE OF ENVIRONMENT AND SAFETY STANDARDS

Your Corporation is committed to work for the protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/standards etc. viz. The Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, Environment Protection Act 1986, The Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977, Batteries (Management & Handling) Rules 2001 etc. All the returns/reports etc., which are required to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are being submitted regularly in time. "Consent to Discharge" from the Pollution Control Board, Assam is regularly obtained as



बीवीएफसीएल ने किसी आपदा की स्थिति में आसपास रहने वाले लोगों की बीमा कवरेज के लिए सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए की एक पालिसी ली है।

सभी सुरक्षा मानदण्डों का बीवीएफसीएल में सख्ती से पालन किया जा रहा है। कर्मचारियों को समय-समय पर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) जारी किए जाते हैं और उनकी समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जाती है। सभी कार्य सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार किए जाते हैं। बीवीएफसीएल में अत्याध्निक उपकरणों से लैस एक फॉयर ब्रिगेड भी है, जो बीवीएफसीएल संयंत्रों और आसपास के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में पड़ोसी उद्योगों के साथ परस्पर सहायता योजना के अनुसार बाहरी सहायता भी मांगी जाती है और इसे आपात स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है। मॉक ड्रिल का नियमित रूप से प्रबंधन किया जाता है और परस्पर सहायता योजना के सदस्य उद्योग इसमें भाग लेते हैं। एनएफ रेलवे को हाल में परस्पर सहायता योजना के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बीवीएफसीएल की आपदा प्रबंधन योजना को असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीए) के निर्देशानुसार अद्यतन बनाया गया था और यह अभी भी विद्यमान है।

तथापि, यदि संगत मानदण्डों / मानकों को और अधिक सख्त बनाया जाता है तो बीवीएफसीएल सभी लागू शर्तों का पालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने परिवेशी वायु निगरानी को लगातार अपलिंक करने की प्रणाली स्थापित करने तथा दिनांक 31.12.2013 तक स्टैक गैस विश्लेषण आंकड़ों को सीपीसीबी की वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। तथापि, मौजूदा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लगभग 10 वर्ष पुरानी है और नवीनतम सॉफ्टवेयरों को स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामला विचाराधीन है और इसे आपूर्तिकर्ता के साथ उठाया जा रहा है। इसके अलावा, आर्सेनिक और क्रोमियम अपशिष्टों के रूप में पूर्व में सृजित खतरनाक अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैण्डलिंग) नियम, 1989 के अनुसार

per Water Act and Air Act. BVFCL is having a policy of Rs.15 crores under Public Liability Insurance Act 1991 to give insurance coverage to the nearby people, in case of any disaster.

All safety norms are strictly followed in BVFCL. Personnel Protective Equipments (PPE) are periodically issued to employees and periodic health check-ups are also carried out. All jobs are executed as per safety norms. Steps have been taken for external Safety Audit of BVFCL plants and facilities. BVFCL is also having a well equipped Fire Brigade, which is meeting the regular need of BVFCL plants and near-by areas. As per Mutual Aid Scheme with the neighbouring industries in Dibrugarh and Tinsukia district, external assistance is also sought and made available in case of emergency. Mock Drills are regularly arranged and the member industries of the Mutual Aid Scheme participate in the same. NF Railway has been included as the 9th member of the Mutual Aid Scheme recently. Disaster Management Plan of BVFCL was updated as directed by Assam Disaster Management Authority (ASDA) and the same is in force.

However, if the relevant norms/standards are made more stringent, then BVFCL may face difficulty to adhere to all applicable stipulations. Pollution Control Board, Assam has instructed to install a system of continuous uplinking of ambient air monitoring and stack gas analysis data to CPCB website by 31.12.2013. However, the existing online monitoring system is about 10 years old and problems are being faced in installing latest softwares. The matter is in hand and being taken-up with the supplier. Moreover, the hazardous wastes generated earlier in the form of Arsenic and Chromium Wastes, are still lying in RCC chambers within the factory premises, which could not be



निपटाया नहीं जा सकता क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई समान उपचार भण्डारण सुविधा (टीएसडीएफ) निर्मित नहीं की गई है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी मानक, 2009 की शर्तों के अनुसार एक पीएम 2.5 आरएसपीएम परिवेशी वायु विश्लेषक खरीदा गया है और उसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। नामरूप—II और नामरूप—III संयंत्रों में प्राइमरी रिफार्मर और सहायक बॉयलर के लिए ऑनलाइन फ्लू गैस विश्लेषक उपलब्ध हैं।

13. विपणन समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने विपणन कार्यकलाप किए हैं:

क. निजी उत्पाद:-

- मुक्ता यूरिया:— 320854 मी.टन यूरिया की बिक्री की गई।
- यूरिया उर्वरकों का निर्यात:
 — आयात सममूल्य के अंतर्गत
 नेपाल को 62500 मी.टन यूरिया का निर्यात किया गया
 था।
- 3. जैव—उर्वरक:— 20.88 मी.टन (मूल्य 10.44 लाख रुपए) जैव—उर्वरकों की बिक्री की गई।
- 4. कृमि—खाद:— 32.74 मी.टन कृमि—खाद, जिसका मूल्य 3.68 लाख रुपए था, की बिक्री की गई।

ख. व्यापार उत्पाद:-

बीवीएफसीएल ने विभिन्न कृषि आदानों के व्यापार कार्यकलाप शुरू किए हैं और विभिन्न बाधाओं के बावजूद वर्ष 2012—13 के दौरान निम्नलिखित व्यापार कार्यकलाप निष्पादित किए हैं:

(i) खाद्यान्न बीज:— 454.49 लाख रुपए मूल्य के 2320 मी. टन बीजों (धान / गेहूं / अन्य) की बिक्री की गई। disposed as per Hazardous Waste (Management & Handling) Rule 1989 because no common Treatment Storage Disposal Facility (TSDF) has been constructed in the North Eastern region under the guidance of state Pollution Control Boards.

In view of the stipulations in Ambient Air Quality Monitoring Standard, 2009, a PM 2.5 RSPM ambient air analyzer has been procured and commissioned successfully. Online flue gas analyzer for Primary Reformer and Auxiliary Boiler in Namrup-II and Namrup-III plants are in line.

13. MARKETING REVIEW

During the year under review, company has done following marketing activities:

A. Own products:-

- 1. MUKTA Urea:- 320854 MT of urea were sold.
- Export of Urea Fertilizers:- 62500 MT Urea was exported to Nepal under Import Parity Price.
- 3. Bio-Fertilizer:- Sold Bio-Fertilizers 20.88 MT (Value Rs 10.44 lacs).
- Vermi Compost: 32.74 MT of Vermi Compost valued Rs 3.68 Lacs were sold.

B. Trading activities:-

Company has done trading business of various Agri Inputs and performed following trading activities during 2012-13 despite various constraints:

(i) Food Grain Seeds:- 2320 MTs of seeds {Paddy, Wheat and others} valued Rs. 454.49 Lacs was sold.



- (ii) एमओपी उर्वरक :- 448.16 लाख रुपए मूल्य की 2766.55 मी. टन एमओपी उर्वरकों की बिक्री की गई।
- (iii) कीटनाशक:— 215.58 लाख रुपए मूल्य के 66278 मी. टन / कि. लीटर कीटनाशक मात्रा की बिक्री की गई।
- (iv) एसएसपी उर्वरक:— 466.53 लाख रुपए मूल्य के 6304.40 मी.टन एसएसपी उर्वरकों की बिक्री की गई।
- (v) रॉक फॉस्फेट:— 419.41 लाख रुपए मूल्य का 7515 मी. टन रॉक फॉस्फेट बेचा गया।
- (vi) सूक्ष्म—पोषकतत्वः— 12.70 लाख रुपए मूल्य का 45 मी.टन सूक्ष्म—पोषकतत्व बेचा गया।

उपर्युक्त व्यापार कार्यकलापों से कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान 2016.87 लाख रुपए के वार्षिक कारोबार से 73.07 लाख रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया है। व्यापार व्यवसाय और हमारे लाभ को बढ़ाने के लिए नई कंपनियों और अधिक उत्पादों को लगातार लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन आपूर्तिकर्ताओं से प्रमुख उत्पादों की काफी सीमित आपूर्तियां होने के कारण व्यापार व्यवसाय में गिरावट आई है। हम विपणन में शामिल विभिन्न लागत को कम करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जैसे गोदाम में भण्डारण से बचने के लिए असम में रैक प्वाइंट से प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा भाड़े को तर्कसंगत बनाना, सड़क परिवहन लागत को न्यूनतम करना, निजी गोदाम के जिए बिना किसी छूट के बिक्री करना।

ग. कृषि संवर्धन कार्यक्रम (एपीपी):--

डीलर उपभोक्ता स्तर पर बीवीएफसीएल द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले उत्पादों को लेने का आधार होते हैं। आपके कॉर्पोरेशन ने विचारों / मुद्दों का आदान—प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान 3 (तीन) डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। डीलरों को उर्वरकों की उपलब्धता, विभिन्न अनिवार्य पोषक—तत्वों की मात्रा और उनके अनुप्रयोग की पद्धति, बाजार में नवीनतम रुझान, जैव उर्वरकों की विभिन्न किस्मों पर सरकारी नीतियों जैसे बीवीएफसीएल नामरूप में उत्पादित होने वाली रहिजोबियम, अजोरोबैक्टर,

- (ii) MOP Fertilizers:- 2766.55 MTs of MOP fertilizers valued Rs. 448.16 lacs was sold.
- (iii) Pesticides:- 66278 MT/KL Pesticides valued Rs. 215.58 Lacs was sold.
- (iv) SSP Fertilizers:- 6304.40 MTs valued Rs 466.53 Lacs was sold.
- (v) Rock Phosphate:- 7515 MTs valued Rs. 419.41 lacs was sold.
- (vi) Micronutrients:- 45 MTs of micronutrients valuedRs. 12.70 lacs was sold.

From the above trading activities, company has generated net profit of Rs 73.07 Lacs from annual turnover of Rs. 2016.87 lacs during the financial year 2012-13. Constant efforts by introducing new companies and more products are being made to increase the trading business as well as our profits but due to very limited supplies of major products from suppliers, there is downfall in trading business. We are also making continuous efforts to reduce the various cost involved in marketing such as freight rationalization direct sale from rake point in Assam to avoid storage in godown, minimizing road transportation cost, sales through private godown and without any rebate.

C. Agriculture Promotion Programme (APP):-

Dealers are the base to avail BVFCL owned produced and traded products up to consumer level. Your Corporation has organized 3 (Three) dealers Training Programme during financial year 2012-13 to share the ideas /issues. Dealers are informed about fertilizer availability, dosages of various essential nutrients and their method of application, latest trend in the market, Govt. Policies different strains of Biofertilizers. Viz. Rhizobium, Azotobacter,



अजोस्प्रिलयम और फॉसफोबैक्टरीन तथा उत्कृष्ट डीलर नेटवर्क के जरिए वितरण'' से संबंधित जानकारी दी जाती है।

डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डीलरों को कंपनी के विभिन्न ट्रेडिंग कार्यकलापों के बारे में अवगत कराया जाता है तािक मान्यताप्राप्त कंपनियों से एक ही छत के नीचे सभी कृषि आदानों अर्थात् एमओपी, डीएपी, एसएसपी, रॉक फॉस्फेट, बीज और कीटनाशकों को उपलब्ध कराया जा सके। हमारे प्राधिकृत डीलर नेटवर्क के जिरए वर्ष 2006—07 से ट्रेडिंग कार्यकलाप शुरू किए गए थे और हम मान्यताप्राप्त कंपनियों से कृषि उत्पादों की उत्कृष्ट संभव शृंखला उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं।

14. समझौता-ज्ञापन की दरः

कंपनी 2004—05 से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ समझौता—ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कॉर्पोरेशन द्वारा उत्पादन, बिक्री और अन्य मापदंडों के अनुसार प्राप्त लक्ष्यों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए लोक उद्यम विभाग से "बहुत अच्छा" दर मिलने की संभावना है।

15. बीमा

आपके कार्पोरेशन की संपत्तियां और बीमायोग्य परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र और मशीनरी, भवन, और स्टॉक तथा अन्य का पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है। सार्वजनिक बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार आपके कॉर्पोरेशन ने कोई आपदा होने की स्थिति में आसपास के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए 15 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी ली है।

16. सुरक्षा

नामरूप उर्वरक परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ द्वारा की जा रही है और कार्पोरेशन की टाउनिशप में सुरक्षा गार्ड और निगरानी बाहरी स्रोत द्वारा की जा रही है। संयंत्र की सुरक्षा लेखा—परीक्षा समय—समय पर इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की जा रही है। ब्यूरो समय—समय Azospirillum and Phosphobactrin produced at BVFCL Namrup and distributed through well defined dealer's network.

During dealers training programme dealers were appraised about various trading activities of company to provide all Agri-inputs i.e. MOP, DAP, SSP, Rock Phosphate, Seeds and Pesticides under single roof from reputed companies so as to get quality products for the benefit of the farming community. Trading activities had started since year 2006-07 through our authorized dealer network and we are committed to provide best possible range of agri products from reputed companies.

14. MOU RATING:

Company has started signing MOU with the Ministry of Chemicals and Fertilizers since 2004-05. For the financial year 2012-13, "Very Good" rating is expected from the Department of Public Enterprises, considering the targets achieved by the Corporation in terms of Production, Sales and other parameters.

15. INSURANCE

The properties and insurable assets of your corporation such as Plant & Machineries, Building, and Stocks among others are adequately insured. As required under the provisions of Public Insurance Act, 1991, your corporation has taken a policy of Rs.15 crores to give insurance coverage to the nearby people, in case of any disaster.

16. SECURITY

The security of the Namrup Fertilizer Complex is being looked after by the CISF and in Corporation's township, the security guarding and patrolling are being outsourced. Security audit of the plant is being done by the



पर और आवश्यकता के अनुसार जहां—कहीं उन्हें बताया जाता है, का तत्काल अनुपालन किया जाता है। सुरक्षा की समीक्षा समय—समय पर आंतरिक रूप से की जाती है। प्रबंधन, सुरक्षा स्टॉफ और कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी की सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। वर्तमान में, फैक्टरी क्षेत्र में कुल 168 सीआईएसएफ कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। जबिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए टाउनशिप क्षेत्र में कुल 30 वैनगाड़र्स को भी नियुक्त किया गया है।

17. आईएसओ 9001 और 14001 प्रमाण—पत्र की स्थितिः

कम्पनी का नामरूप—III संयंत्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) आईएसओ 9001:2008 और पर्यावरण प्रणाली प्रबंधन (ईएमएस) आईएसओ 14001:2004 के अनुरूप हैं। उपर्युक्त प्रमाण—पत्र मैसर्स स्विससर्ट प्रा. लिमिटेड (पूर्व में स्विस्को इंडिया प्रा.लि.) द्वारा दिया गया था और यह 09.08.2012 से तीन वर्ष के लिए वैध है।

पहले वर्ष की निगरानी लेखा—परीक्षा 02.09.2013 से 05.09.2013 तक आयोजित की गई थी। दूसरे वर्ष की निगरानी लेखा—परीक्षा उपर्युक्त एजेंसी के साथ परस्पर करार के बाद जून, 2014 से सितंबर, 2014 के बीच आयोजित की जाएगी।

18. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

कम्पनी में आंतरिक लेखा—परीक्षा और नियमित प्रबंधनीय समीक्षा समर्थित वित्त और लेखा के अलग—अलग क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। लेखाकरण क्षेत्र में वाउचर बनाने से लेकर वाउचर की जांच करने तक आंतरिक नियंत्रण मौजूद है जिसके अन्तर्गत शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वाउचर पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। दैनिक नकद बही शेष की भौतिक गणना की जाती है और बही से उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार, सभी बैंक खातों का भी समय—समय पर मिलान किया जाता है।

Intelligent Bureau periodically and the requirements, wherever pointed out by them, are immediately complied with. Review of security is done internally also from time to time. The management, security staff and the employees of company are sensitized to the security needs of company. At present, corporation has deployed a total of 168 nos. of CISF personnel in the factory area. Corporation has also deployed 30 nos. of vanguards in the township area to maintain security.

17. STATUS OF ISO 9001 & 14001 CERTIFICATE:

Namrup-III plants of the company have been Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008 and Environment System Management (EMS) ISO 14001:2004 compliant. The above certifications were conducted by M/s. Swisscert Pvt. Limited, New Delhi (formerly SWISO India Pvt. Ltd.) and valid w.e.f. 9.08.2012 for three years.

First year Surveillance Audit has been conducted from 2.09.2013 to 5.09.2013. Second year Surveillance Audit will be conducted in between June, 2014 to September, 2014 after mutual agreement with the above Agency.

18. INTERNAL CONTROL SYSTEM:

The company has adequate internal control system in the respective areas of Finance & Accounts supported by Internal Audit and regular management reviews. In the accounting, internal control is exercised right from the preparation of vouchers where each voucher is checked and countersigned by respective senior officers as per delegation of power. The daily cashbook balance on manual basis is physically counted and checked with the book. Similarly, all bank accounts are also reconciled



लेखाकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई जाती है जिसके अन्तर्गत प्रणाली में दर्ज सामान्य वाउचरों सहित वाउचरों का लेखाकरण से पूर्व जांच और वैधीकरण किया जाता है। मुद्रा संबंधी प्रत्येक क्रय / निर्माण संविदा या अन्य प्रस्ताव की नीति और कार्यविधि के अनुसार उचित निर्णय लेने से पूर्व समिति द्वारा जांच और समीक्षा की जाती है। समय-समय पर इस प्रणाली की जांच की जाती है और सुधार करने हेतू कार्रवाई की जाती है। आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा समर्थित बाहय योग्य एजेंसी द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा-परीक्षा में दस्तावेजों / रिकार्डों / कार्यविधियों की जांच की जाती है और अनुपालन के लिए आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखा-परीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करती है।

19. मानव संसाधन विकास

क. जनशक्ति की स्थितिः

31 मार्च, 2013 को कार्पोरेशन की कुल जनशक्ति 991 थी। सरकार के दिशा—िनर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 31.03.2013 के अनुसार जनशक्ति निम्नानुसार थी:—

| | वर्ग | 7 | संख्या | | % |
|----|------------------------|---|--------|---|--------|
| 1. | अनुसूचित जाति | _ | 80 | _ | 8.07 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति | _ | 150 | _ | 15.14 |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | _ | 310 | _ | 31.28 |
| 4. | भूतपूर्व सैनिक | _ | 3 | _ | 0.30 |
| 5. | शारीरिक रूप से विकलांग | _ | 2 | - | 0.20 |
| 6. | महिलाएं | _ | 50 | - | 5.05 |
| 7. | अल्पसंख्यक | _ | 47 | _ | 4.74 |
| 8. | अन्य | _ | 349 | _ | 35.22 |
| | योग | | 991 | | 100.00 |

periodically. Internal control is also exercised for accounting where vouchers including journal vouchers entered into the system are checked and validated before those are accounted for. Every proposal for purchase/works contract or others having monetary involvement are examined as per policy and procedures and reviewed by a committee before taking appropriate decision. System is reviewed from time to time and action taken for improvement. Internal Audit is conducted by the outside qualified agency supported by the in-house internal audit cell. Internal Audit examines documents / records / procedures and submit periodical reports for compliance. The Internal Audit Reports and follow up actions thereon are regularly placed before the Audit Committee. Audit Committee regularly reviews the internal audit and adequacy of internal control.

19. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

A. MANPOWER POSITION:

The total manpower status of the Corporation as on 31st March 2013 was 991. Reservation of SC/ST/OBC/Ex-Serviceman and Physically handicapped categories in the service are being maintained as per the government directives. The details manpower position as on 31.03.2013 was as under:-

| | Categories | | Nos. | | % |
|----|------------------------|---|------|---|--------|
| 1. | Scheduled Caste | _ | 80 | _ | 8.07 |
| 2. | Scheduled Tribe | _ | 150 | _ | 15.14 |
| 3. | OBC | _ | 310 | _ | 31.28 |
| 4. | Ex-Servicemen | _ | 3 | _ | 0.30 |
| 5. | Physically Handicapped | _ | 2 | _ | 0.20 |
| 6. | Women | _ | 50 | _ | 5.05 |
| 7. | Minority | _ | 47 | _ | 4.74 |
| 8. | Others | _ | 349 | _ | 35.22 |
| | TOTAL | | 991 | | 100.00 |



ख. प्रशिक्षणः

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बाहरी और आंतरिक दोनों में कुल 28 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निम्नानुसार भाग लियाः

I. बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्र.सं. | विषय | संस्थान का नाम |
|---------|--|---|
| 1. | उर्वरक उद्योग अभिविन्यास कार्यक्रम | एफ ए आई, दिल्ली |
| 2. | ''अक्षय ऊर्जा पर विशेष बल देने सहित पूर्वोत्तर में ऊर्जा परिदृश्य'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन | सकोन सोसायटी, गुवाहाटी |
| 3. | उर्वरक संयंत्रों में टर्बो मशीनरी का प्रचालन और रखरखाव | एफ ए आई, दिल्ली |
| 4. | ''उद्योगों में सुरक्षा और अग्निशमन प्रबंधन'' पर कार्यक्रम | क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता |
| 5. | नेटवर्क प्रशासनः लैन और वैन विन्यास | इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), हैदराबाद |
| 6. | उर्वरक संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार | एफ ए आई, दिल्ली |
| 7. | उद्योगों में खतरनाक पदार्थों का पता लगाना, मूल्यांकन और नियंत्रण | क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता |
| 8. | राष्ट्र स्तरीय एचएसई (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण) सम्मेलन | ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) |
| 9. | विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए अधिसूचित निष्पादन प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) योजना | बीईई के सहयोग से मेघालय राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसी |

B. TRAINING:

During the year ended on 31st March 2013, total 28 internal training programmes both external and internal were conducted. Brief details of training programmes are stated as under:

I. External Training Programmes

| S.No. | Subjects | Name of Institution |
|-------|--|--|
| 1 | Fertilizer Industry Orientation Programme | F A I, Delhi |
| 2 | National Conference on "Energy Scene in North- East with special emphasis on Renewable Energy" | SCONE Society, Guwahati |
| 3 | Operation and Maintenance of Turbo Machinery in Fertilizer Plants | F A I, Delhi |
| 4. | Programme on "Safety & Fire Fighting Management in Industries" | Regional Labour Institute, Kolkata |
| 5. | Network Administration : Configuring LANs & WANs | Engineering Staff College of India (ESCI), Hyderabad |
| 6. | Improving Energy Efficiency in Fertilizer Plants | F A I, Delhi |
| 7. | Identification, Evaluation and Control of Hazards in Industries | Regional Labour Institute, Kolkata |
| 8 | National Level HSE (Health, Safety & Environment) Conference | Oil India Limited (OIL) |
| 9 | Notified Perform, Achieve & Trade (PAT) Scheme for Designated Consumers | Meghalaya State Designated Agency in Association with BEE. |



| 10. | कंपनी अधिनियम और एक्सबीआरएल (एक्सेसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेग्वेज टैक्सोनोमी) की संशोधित अनुसूची—IV | लोक उद्यम विभाग (डीपीई) |
|-----|--|---|
| 11. | ईपीएफएण्डएमपी अधिनियम, 1952 और ईपीएस, 1995 पर छूट प्राप्त संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला | सामाजिक, सुरक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय अकादमी |
| 12. | कनिष्ठ और मध्य स्तरीय सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद |
| 13. | फर्टिलाइजर उद्योग अभिविन्यास कार्यक्रम | एफ ए आई, दिल्ली |

| 10 | Revised Schedule VI of Companies Act and XBRL (Extensible Business Reporting Language Taxonomy) | Department of Public Enterprises (DPE) |
|----|--|--|
| 11 | National workshop for Representatives of Exempted Establishments on EPF&MP Act, 1952 and EPS, 1995 | National Academy for Training & Research in Social, Security, New Delhi |
| 12 | Vigilance for Junior and Middle Level Vigilance Officers | Central Bureau of Investigation Academy, Ghaziabad |
| 13 | Fertilizer Industry Orientation Programme | F A I, Delhi |

आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम II.

| क्र. सं. | विषय | स्तर और (भागीदारों की संख्या) | | संकाय | मानव घंटे |
|-------------|--|-------------------------------------|----------|---|--------------|
| 1. | अनुरक्षण पद्धति कार्यक्रम | अधिकारी | 21 | मैसर्स प्रोलिफिक सिस्टम एंड टेक्नो- लॉजीस मुम्बई | 42 |
| 2. | कंप्रेशरों पर कार्यक्रम | कामगार | 26 | do | 78 |
| 3. | वाल्वों पर कार्यक्रम | कामगार | 23 | do | 46 |
| 4. | व्यावहारिक पहलुओं पर कार्यक्रम (2 नं.) | अधिकारी कामगार | 36 47 | सीबीडब्ल्यूई, तिनसुकिया | 72 94 |
| 5. | सामान्य सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम पर कार्यक्रम | अधिकारी कामगार | 11 10 | आंतरिक (सुरक्षा विभाग) | 11 20 |
| 6. | एसीआर लेखन तथा इसके प्रभाव | अधिकारी | 21 | आंतरिक | 21 |

Internal Training Programmes

| SI. No. | Subject | Level & (Number of Participants) | Faculty | Man hours |
|------------|--|----------------------------------|--|--------------|
| 1 | Programme on Maintenance Practices | Officers 21 | M/s. Prolific Systems & Technologies, Mumbai | 42 |
| 2 | Programme on Compressors | Workmen 26 | do | 78 |
| 3 | Programme on Valves | Workmen 23 | do | 46 |
| 4 | Programme on Behavioural aspects (2 nos.) | Officers 36 Workmen 47 | CBWE, Tinsukia | 72 94 |
| 5 | Programme on General Safety & Accident Prevention | Officers 11 Workmen 20 | Internal (Safety Depart- ment) | 11 20 |
| 6 | ACR writing and its effect | Officers 21 | Internal | 21 |



| 7. | गैर—वित्तीय अधिकारियों के लिए वित्त | अधिकारी | 32 | आंतरिक | 32 |
|-----|---|---------|----|-----------------|----|
| 8. | वित्त एवं लेखा के लिए नियमों और विनियमों का नवीनतम विकास | अधिकारी | 25 | आंतरिक | 25 |
| 9. | ऊर्जा संरक्षण अवसर | अधिकारी | 39 | पीसीआरए, ईआर | 39 |
| 10. | विद्युत अनुरक्षण पद्धति | कामगार | 11 | आंतरिक | 11 |
| 11. | निवारक सतर्कता | अधिकारी | 36 | आंतरिक | 36 |
| 12. | उत्पादकता (3 नं.) | कामगार | 36 | आंतरिक | 36 |

ग. औद्योगिक संबंध रिपोर्ट

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा।

घ. स्वैच्छिक सेवा—निवृत्ति

वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्वैच्छिक सेवा—निवृत्ति योजना (वीआरएस) नहीं चलाई।

ड. अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) तथा शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) के कल्याण एवं विकास के लिए कंपनी की गतिविधियां

कंपनी भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के दिशा—निर्देशों का पालन कर रही है। कॉपोरेशन में किसी भी रिक्ति पर आवेदन करने के लिए अनुसूचित जातियों,

| 7 | Finance for Non-finance executives | Officers | 32 | Internal | 32 |
|-----|--|----------|----|-------------|----|
| 8 | Latest Development of Rules & Regulations for Finance & Accounts | Officers | 25 | Internal | 25 |
| 9 | Energy Conservation Opportunities | Officers | 39 | PCRA, ER | 39 |
| 10. | Electrical Maintenance Procedure | Workmen | 11 | Internal | 11 |
| 11. | Preventive Vigilance | Officers | 36 | Internal | 36 |
| 12. | Productivity (3 Nos.) | Workmen | 36 | Internal | 36 |

C. INDUSTRIAL RELATIONS REPORT

The Industrial Relations Scenario during the year was by and large peaceful.

D. VOLUNTARY RETIREMENT

During the year, company did not operate Voluntary Retirement Scheme (VRS).

E. ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR WELFARE AND ADVANCEMENT OF SCHEDULED CASTES (SCs), SCHEDULED TRIBES (STs), OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) AND PHYSICALLY HANDICAPPED (PH)

The company has been following the presidential directive and guidelines/orders issued by the Government of India from time to time in the matter of reservation in services for SCs, STs and OBCs. Candidates belonging



अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क देने पर पूरी तरह से छूट दी जाती है। अजा. / अ.ज.जा. अभ्यर्थियों को कॉर्पोरेशन के किसी भी पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता दिया जाता है।

कॉर्पोरेशन में एक सम्पर्क अधिकारी के अधीन एक अजा. / अ.ज.जा. / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है जो अ. जा. / अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर तथा अ.जा / अ.ज.जा. संघ के साथ चर्चा करके उसका समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

कॉर्पोरेशन की सभी कल्याण सुविधाएं अन्य कर्मचारियों सिंहत अ.जा. / अ.जा.जा. के कर्मचारियों को भी दी जाती हैं। कम्पनी को जनजाति उप—योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों का कोई आबंटन प्राप्त नहीं होता।

01.01.2013 को अ.जा. / अ.जजा. और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में दर्शाया गया है तथा पिछले कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 2012 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या, जैसी कि सरकार को दी गई है, निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक—1(ग) में संलग्न है।

20. सतर्कता

सतर्कता को प्रबंधन कार्य का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। नोएडा / दिल्ली कार्यालय में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी कॉर्पोरेशन के सतर्कता कार्यकलापों के लिए निर्देश, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक प्रबंधक (सतर्कता) रैंक का अधिकारी कॉर्पोरेट कार्यालय, नामरूप में तैनात है।

कॉर्पोरेशन ने निवारक सतर्कता को मुख्य विषय के रूप में अपनाया है। कॉर्पोरेशन के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है। सभी कार्यालयों में सतर्कता नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी और to SC and ST are fully exempted from payment of fee applying for any post in the Corporation. SC/ST candidates are paid TA for appearing in both the written test and interview for recruitment of any post in the company.

The Corporation is having one SC/ST/OBC Cell under the Liaison Officer, who initiate necessary action to settle the grievances of the employees belonging to SC/ST community on priority basis and in consultation with SC/ST Associations.

All the welfare facilities of the company are also extended to the employees of SC/ST community along with other employees. The company do not received any allocation of fund under tribal sub-plan from the Govt. of India.

The Annual statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 1.01.2013 and Number of appointments made during the preceding calendar year i.e. 2012 as furnished to the Govt. is enclosed as **Annexure-1** (C).

20. VIGILANCE

Vigilance is considered to be an integral part of the Management function. The Chief Vigilance Officer posted at Noida/Delhi office provides direction, guidance and supervision over the vigilance activities of the Corporation. Presently, one Assistant Vigilance Officer and one Manager (Vigilance) rank officials are posted at Corporate office, Namrup.

The Corporation has adopted preventive vigilance as the main theme. The emphasis has been on transparency and accountability in the working of the Corporation. Vigilance Notice Boards are installed in all the offices



केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जिनसे भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए संपर्क किया जा सकता है, का पता और टेलिफोन नम्बर दर्शाए गए हैं।

प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए कॉर्पोरेशन में कुछ मदों / क्षेत्रों के संबंध में ई—प्रापण / ई—बिक्री, ई—भुगतान / ई—प्राप्ति को कार्यान्वित किया गया है। वेबसाइट पर निविदाओं को दर्शाने के संबंध में सीवीसी द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एक लाख से अधिक की सभी गैर—मालिकाना मदों के लिए सभी खुली निविदाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित निविदाओं को डाउनलोड किया जा सकता है।

पांच वर्षों से अधिक समय के लिए संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के रोटेशन की प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान औचक और नियमित निरीक्षण (25 नं.) कराया गया था। निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे।

बाहरी पार्टियों / एजेंसियों से प्राप्त 7 (सात) शिकायतों की जांच की गई। इनमें से, 6 मामलों को पूरा करके निपटान किया गया। शेष 1 (एक) मामले पर जांच चल रही है। दो चालू विभागीय कार्यवाहियों का निपटान किया गया और संबंधित दोषी अधिकारियों पर क्रमशः "निंदा" और "रिकार्ड योग्य चेतावनी" का दण्ड लगाया गया था।

कर्मचारियों की संपत्ति विवरणी की नियमित जांच (प्रत्येक वर्ष 20% संपत्ति विवरणियां) यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि कर्मचारी चल / अचल लेनदेन के बारे में प्रबंधन को समय पर सूचना प्रस्तुत करें और यह देखें कि क्या किसी अधिकारी विशेषकर जो including Liaison Offices of the Corporation, displaying the address and telephone numbers of the Chairman & Managing Director, Chief Vigilance Officer and Central Vigilance Commission, who can be approached for lodging of complaints of corruption. These boards are updated as and when necessitated.

For greater transparency in the system; e-procurement/e-sale, e-payment/e-receipt in respect of certain items/areas has been implemented in the Corporation. On the basis of the guidelines issued from time to time by the CVC regarding display of tenders on Website, all the open tenders for non-proprietary items having value more than one lakh are being displayed on the official Website. The tenders displayed on the Company's website are downloadable.

System of rotation of employees posted on sensitive posts for more than five years is being followed. Surprise and regular inspections (25 nos.) were carried out during the financial year 2012-13. On the basis of findings of inspections, important suggestions were given to the Management for remedial action.

7 (Seven) no. complaints received from outside parties/agencies were taken up for investigation. Out of these, 6 cases have been completed and disposed off. Remaining 1(One) no. of case is under investigation. Two ongoing Departmental Proceedings were disposed by imposing penalty of "Censure" and "Recordable Warning" respectively to the concerned delinquent officials.

Regular scrutiny of property returns (20% of property returns every year) of employees is carried out to ensure that employees submit timely information to the Management about moveable/immovable transactions and to check



वरिष्ठ / संवदेनशील पदों पर तैनात हैं, द्वारा ऐसी परिसंपत्तियां ली गई हैं, जिन्हें उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक का माना जा सकता है।

सतर्कता विभाग द्वारा उच्च मूल्य की संविदाओं की नियमित आधार पर जांच की जा रही है। प्रमुख संविदाओं की गहन जांच सीटीई पैटर्न पर मासिक आधार पर की जा रही है। जांच के दौरान पाई गई विसंगतियां/अनियमितताएं, यदि कोई हों, को उपचारी कार्रवाई/निवारक उपाय के लिए प्रबंधन के ध्यान में लाया जा रहा है।

कर्मचारियों और जनता को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा 29 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान शपथ समारोहों के अलावा भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों को उजागर करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा समूह चर्चा, नारा प्रतियोगिता और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जनता में (i) सीएमडी, सीवीओ और सीवीसी के पते और फोन नं. (ii) सूचना देने वाले के सार्वजनिक हित का प्रकरण और सुरक्षा पर सरकारी संकल्प संबंधी इश्तहार बांटे गए।

निवारक सतर्कता पर कॉर्पोरेशन के कार्यपालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए 12 फरवरी, 2013 को एक चर्चा का भी आयोजन किया गया।

21. कल्याण उपाय (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)

आपके कॉर्पोरेशन ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और 8 कि.मी. के दायरे के आसपास के क्षेत्रों को अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अनेक उपाय किए हैं। संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार हैं: whether any of the officers, particularly those posted at senior/sensitive positions, are holding assets which may be termed as disproportionate to their known source of income.

The high valued contracts are being scrutinized by the Vigilance Department on regular basis. Intensive Examination of major contracts is being done on monthly basis on CTE pattern. Discrepancies/irregularities noticed, if any, during the scrutiny are being brought to the notice of the Management for corrective action/preventive measures.

To sensitize the employees and the public about the evil consequences of corruption, Vigilance Awareness Week was celebrated by the Corporation from 29th October to 3rd November, 2012. During the week, group discussions, Slogan Competition and Seminar were organized by the Vigilance Department to highlight the harmful effects of corruption in addition to the pledge ceremonies. Pamphlets containing (i) The names, addresses and Phone nos. of CMD, CVO and CVC (ii) Government Resolutions on public interest disclosure and protection of informer were distributed amongst the public during the Vigilance Awareness Week.

A discussion on Preventive Vigilance was also organized on 12th February 2013 for awareness among executives of the Corporation.

21. WELFARE MEASURES (CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY)

Your Corporation undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to the surrounding areas within 8 kms radius. Brief details are as under:



अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आवास तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, कार्पोरेशन द्वारा कर्मचारियों तथा टाउनिशप और आसपास के गांवों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध करायी है। कार्पोरेशन एक उच्च माध्यमिक स्कूल, एक केन्द्रीय विद्यालय और एक मॉडल हाई स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के साथ—साथ एक प्राथमिक विद्यालय चला रहा है। कार्पोरेशन ने इससे पहले नामरूप में उच्च शिक्षा के लिए एक नामरूप कॉलेज, एक बी.एड कॉलेज तथा नामरूप में एक राज्य सरकारी डिस्पेंसरी की स्थापना को संरक्षण प्रदान किया था। हाल में, बीवीएफसीएल ने दो नए स्कूल, एक जूनियर कॉलेज तथा एक अन्य असमी माध्यम स्कूलों की कॉलोनी क्षेत्र में रियायती दर पर आवास उपलब्ध कराकर मदद की है।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक उपकरणों सहित एक 60 बिस्तर वाला अस्पताल है। आसपास के स्थानीय लोगों को रियायती दरों पर उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है।

कार्पोरेशन ने नामरूप और आसपास के क्षेत्रों में जनता को पेयजल सुविधा, बाजार, धार्मिक / सांस्कृतिक कार्यों तथा अन्य संस्थानों के लिए भूमि तथा टेलिफोन एक्सचेंज, डाकघर, रोजगार केन्द्र और नागरिक रक्षा कार्यालय के लिए जगह भी उपलब्ध करायी है।

क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक—आर्थिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सामाजिक कल्याण कोष से आसपास के शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जबिक मेरिट में आने वाले छात्रों को उनके शानदार शैक्षणिक निष्पादन के मान्यता स्वरूप कर्मचारी सुविधा कोष से प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। Besides extending housing and medical facilities to its employees and dependants, the Corporation also provides educational facilities to the children of employees and the wards of the Township and the nearby villages. Corporation is running one Higher Secondary School, one Kendriya Vidyalaya and one Model High School (English Medium) besides one Primary School. The Corporation extended its patronage earlier for establishment of Namrup College, one B.Ed College for higher education and establishment of a State Govt. Dispensary at Namrup. Recently, your Corporation also extend its helping hand to two newly opened school, one is a Junior College and the other is one Assamese medium school, by providing accommodations within the colony area at concessional rate.

A 60 bedded hospital with modern equipments is available to extend medical facilities to employees & their dependents. Nearby people of the localities and contract workers are also provided treatment at a nominal fee.

The Corporation also extends facilities to the public of Namrup and adjoining areas like Drinking Water Facilities, Market, Land for Religious / Cultural and other institutions and accommodation for Telephone Exchange, Post Office, Employment Exchange and Civil Defence Office.

In order to maintain the total socio-culture harmony of the locality, time to time financial assistance are extended to the nearby educational and social institutions from the Special Welfare Fund while the meritorious students are given awards as encouragement from Employees' Amenities Fund in recognition of their brilliant academic performance.



भविष्य निधि, कार्पोरेशन में पेंशन, ईडीएलआई के एवज में एलआईसी की समूह बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, समूह बचत संबद्ध बीमा योजना, समूह चिकित्सा दावा योजना कार्यान्वित की जा रही है।

कर्मचारियों को उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे कंपनी में ऊंचा पद ले सकें और अपने ज्ञान और विश्वास के स्तर में सुधार कर सकें।

इसके अलावा, कॉर्पोरेशन में बिना किसी स्त्री—पुरुष भेदभाव के महिला कर्मचारियों के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बीवीएफसीएल में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ समाज तथा हमारे आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखना है तथा उन्हें हर संभव योगदान देना है जिससे उनका मूल्य बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

In addition to social security schemes like Provident fund, Gratuity, Pension in the Corporation, the Group Insurance Scheme of LIC in lieu of EDLI, Group Personal Accident Insurance Scheme, Group Savings Linked Insurance Scheme are implemented for the welfare of the employees.

Employees are encouraged to acquire higher qualifications, an area of empowerment which would enable them to go up the ladder in the company as well as improve their knowledge and confidence levels.

Moreover, without indulging any gender discrimination, special attention are being paid in taking the appropriate steps for all round development of the female employees in the corporation.

At BVFCL, Corporate Social Responsibility means caring for the society, for the people around us and contributing in every possible way to add value and improving their quality of life.



निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक —1 (क) ANNEXURE-1 (A) TO DIRECTORS' REPORT

फार्म — क ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में विवरणों के खुलासे का फार्मः

FORM - A
Form for disclosure of particulars with respect to conservation of energy:

| क. बिजली और ईंधन | खपत | A. | Power & Fuel Co | onsumption | | |
|---|----------------------------------|-----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | इकाई | | | Unit | 2012-13 | 2011-12 |
| 1. बिजली | | 1. | Electricity | | | |
| (क) क्रयः | कि.वाट (एन-II) | | Purchased | Kwh (N-II) | 665600 | 209760 |
| कुल यूनिट | (एन-III) | . , | Total Unit | (N-III) | 7000 | 475440 |
| कुल लागत | रुपए लाखों में | | Total Cost | Rs. in Lakhs | 203.70 | 197.54 |
| दर | रुपए/कि.वाट घंटा | | Rate | Rs./Kwh | 30.28 | 28.83 |
| (ख) निजी | कि.वाट (एन-II) | (b) | Own | Kwh (N-II) | 0 | 0 |
| उत्पादन | | | Generation | | | |
| कुल यूनिट | (एन-III) | | Total Unit | (N-III) | 226159180 | 195107740 |
| कुल लागत | रुपए लाखों में | | Total Cost | Rs. in Lakhs | 4214.70 | 3824.11 |
| दर | रुपए/कि.वाट घंटा | | Rate | Rs./Kwh | 1.86 | 1.96 |
| - ~ ~ | | _ | | | | |
| 2. प्राकृतिक गैस | | 2. | Natural Gas | | | |
| (बिल मात्रा) | | , , | (Billed Quantity) | | | |
| (क) कैप्टिव पावर | | (a) | For Captive | | | |
| संयंत्र के लिए | 3 / u\ | | Power Plant | ONAS (NEILL) | 05040004 | 00405407 |
| • | एसएम³ (एन-III) एसएम³ (एन-III) | | Total Quantity | SM ³ (N-II) | 25943081 | 30165427 |
| | रुपए लाखों में | | Total Cost | SM ³ (N-III) | 30023522 3278.71 | 23942709 2858.73 |
| 9 | रुपए / 1000 एसएम ³ | | | Rs. in Lakhs Rs./1000 SM ³ | | 5283.37 |
| (ख) बॉयलर के लिए | | | Rate | RS./ 1000 SIVI | 5858.34 | 5263.37 |
| (ख) बायलर के निल् (एस.बी.,डब्ल्यू.एच.बी.) | | (D) | For Boilers | | | |
| (९स.बा.,७४.पू.९४.बा. ₎ कूल मात्रा | | | (S.B.,W.H.B.) Total Quantity | | | |
| 9 | एसएम³ (एन-II) | | (incl. Canteen) | SM³ (N-II) | 36287779 | 34165947 |
| , | एसएम³ (एन-III) | | (IIICI. Cariteeri) | (N-III) | 85237125 | 70317884 |
| | रुपए लाखों में | | Total Cost | Rs. in Lakhs | 7119.34 | 5518.25 |
| 9 | रुपए/1000 एसएम³ | | Rate | Rs./1000 SM ³ | 5858.34 | 5283.37 |
| (ग) फीड स्टॉक के लिए | | | For Feed Stock | 113./ 1000 OW | 3030.04 | 0200.01 |
| · / | एसएम³ (एन-II) | (0) | Total Quantity | SM³ (N-II) | 63370379 | 59966130 |
| 0 | एसएम³ (एन-III) | | . Jan Quartity | (N-III) | 104239349 | 68737825 |
| कुल लागत | रुपए लाखों में | | Total Cost | Rs. in Lakhs | 9819.15 | 6799.90 |
| ~ | रुपए/1000 एसएम ³ | | Rate | Rs./1000 SM ³ | 5858.34 | 5283.37 |



| (घ) सुधारक ईंधन के लिए* कुल मात्रा | एसएम³ (एन-॥) एसएम³ (एन-॥) | (d) | For Reformer Fuel* Total Quantity | SM³ (N-II) (N-III) | 66083919 113333510 | 63908189 82893306 |
|--|------------------------------|-------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| कुल लागत | रुपए लाखों में | | Total Cost | Rs. in Lakhs | 10510.88 | 7758.07 |
| दर | रुपए/1000 एसएम | 3 | Rate | Rs./1000 SM ³ | 5858.34 | 5283.37 |
| ख. प्रति मी.टन यूरिया उत्पादन खपत | ī | В. | Consumption per MT of production of Urea | | | |
| | इकाई | | | Unit | 2012-13 | 2011-12 |
| प्राकृतिक गैस | | Na | tural Gas | | | |
| (i) फीड स्टॉक | एसएम³ / मी.टन (एन-II) | (i) | Feed Stock | SM ³ /MT (N-II) | 579.10 | 586.37 |
| | एसएम³ / मी.टन (एन-III) | | | (N-III) | 370.61 | 389.18 |
| (ii) बिजली (सीपीर्प | ो) एसएम³ / मी.टन (एन-II) | (ii) | Electricity (CPP) | SM ³ /MT (N-II) | 237.08 | 294.97 |
| | एसएम³ / मी.टन (एन-III) | | | (N-III) | 106.74 | 135.56 |
| (iii) बॉयलर | एसएम³ / मी.टन (एन-II) | (iii) | Boilers | SM ³ /MT (N-II) | 331.61 | 333.71 |
| | एसएम³ / मी.टन (एन-III) | | | (N-III) | 303.05 | 398.13 |
| (iv) रिफार्मर ईंधन* | एसएम³ / मी.टन (एन-II) | (iv) | Reformer Fuel* | SM ³ /MT (N-II) | 603.90 | 625.29 |
| | एसएम³ / मी.टन (एन-III) | | | (N-III) | 402.94 | 469.33 |
| बिजली | | Ele | ectricity | | | |
| (i) क्रय | कि.वाट / मी.टन (एन-॥) | (i) | Purchased | Kwh/MT (N-II) | 6.08 | 2.05 |
| | कि.वाट / मी.टन (एन-॥) | | | (N-III) | 0.025 | 2.69 |
| (ii) उत्पादित | कि.वाट / मी.टन यूरिया | (ii) | Generated | Kwh/MT Urea | 578.87 | 699.59 |

^{*} एनजी खपत में सहायक बॉयलर और सहायक वाष्प सुपर हीटर भी शामिल है। नामरूप–। का अमोनिया संयंत्र प्रचालन में नहीं है। अत इसके आंकड़ों का यहां उल्लेख नहीं किया गया है।

^{*} Includes NG consumption in Aux. Boiler & Aux. Steam Super Heater also. Ammonia Plant of Namrup-I was not in operation. Hence its figures have not been mentioned.



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I(ख) फार्म ख

प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

क. ऊर्जा संरक्षण उपायः

निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/की जा रही हैं:

- नामरूप—III संयंत्र में एलटी, एचटी, सकेण्डरी रिफार्मर और मेथानेटर के उत्प्रेरकों को बदलने से कंवर्जन में विद्ध हुई है जिससे ऊर्जा खपत कम हुई है।
- 2. नामरूप—II संयंत्र में आरजी बॉयलर के पहले कक्ष को बदलने तथा नामरूप—III संयंत्र में आरजी बॉयलर के ट्यूब बंडल को बदलने की कार्रवाई की गई है। इन उपायों से संयंत्रों के ऑन—स्ट्रीम दिवसों में वृद्धि हुई है।
- अमोनिया—III संयंत्र में इंटरकूलरों और एनजी बूस्टर कंप्रेशर के बाईपास कूलर की ट्यूबों, मिथेनयुक्त गैस कूलर की ट्यूबों, रिफिजरेशन कंप्रेशर की प्रक्रिया के कंडेंसरों की ट्यूबों को उसी स्थान पर बदला गया है। अमोनिया—II संयंत्रों में प्रोसेस एयर कंप्रेशर के सतही कंडेंसर की ट्यूबों, एनजी बूस्टर कंप्रेशर के इंटरकूलर और बाईपास कूलर की ट्यूबों, प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर के एफ—100, तथा प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर के कूलरों और कंडेंसरों की ट्यूबों को बदला गया था। इन उपायों से ऊर्जा में काफी बचत हुई है।
- अमोनिया—III संयंत्र के सिंथेसिस लूप में बॉटर कूल्ड कंडेंसर और बीएफडब्ल्यू हीटर को बदला गया था।

ANNEXURE-I(B) TO DIRECTORS' REPORT FORM B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

A. ENERGY CONSERVATION MEASURES:

Following energy conservation schemes are implemented/ under implementation.

- Replacement of catalysts of LT, HT, Secondary Reformer & Methanator of Namrup-III Plant has increased conversion thereby reducing energy consumption.
- Replacement of 1st compartment of RG Boiler in Namrup-II Plant and Replacement of tube bundle of RG Boiler in Namrup-III Plant has been carried out. These measures have increased on-stream days of the plants.
- 3. In-situ replacement of tubes of intercoolers & bypass cooler of NG Booster Compressor, tubes of Methanated Gas Cooler, tubes of condensers of Process Refrigeration Compressor in Ammonia-III Plant has been replaced. In Ammonia-II plants, tubes of surface condenser of Process Air Compressor, tubes of intercooler & bypass cooler of NG Booster compressor, F-100 of Process refrigeration Compressor, and tubes of coolers and condensers of Process Refrigeration Compressor were replaced. These measures have resulted in considerable savings in energy.
- Water Cooled Condenser and BFW Heater in Synthesis loop of Ammonia-III Plant were replaced.



- 5. नामरूप—II के सर्विस बॉयलर के आईडी पंखों और एफडी पंखों के टर्बाइनों से निकलने वाली अपशिष्ट वाष्प का डी—एरिएटर में डिएरिएशन वाष्प के रूप में लाभप्रद उपयोग किया गया है। इससे प्रोसेस वाष्प की 3 मी. टन/घंटा बचत हुई है।
- 6. यूरिया—II संयंत्र में हाइड्रोलाइजर से निकाले गए कंडेंसर का डीएम बॉटर या बॉयलर फीड वॉटर के रूप में पुनः प्रयोग किया जा रहा है।
- 7. अमोनिया—III वाष्प लूप से लगभग 10 मी.टन / घंटा की दर से एलपी वाष्प निकल रहा था। इसका अब कैप्टिव विद्युत संयंत्र में सर्विस बॉयलर और अपशिष्ट ताप बॉयलरों के डि—एइरेटर में डि—एइरेशन वाष्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ख. प्रौद्योगिकी अपनानाः

- नामरूप—III के सिंथेसिस कंवर्टर के एस—100 टाइप बॉस्केट की नवीनतम डिजाइन वाली एस—200 बॉस्केट के साथ रेट्रोफिटिंग की गई है जिससे कंवर्जन दक्षता बढ़ी है और ऊर्जा खपत में कमी हुई है।
- इसकी मरम्मत के दौरान गैस टर्बाइन—II का तकनीकी उन्नयन किया गया था। इसके दूसरे नोजल को अत्याधुनिक खंड टाइप नोजल से बदला गया है। इससे प्राकृतिक गैस खपत में कमी हुई है और गैस तापमान की निकासी कम हुई है।
- 3. अमोनिया—॥ में प्राइमरी रिफार्मर कैटेलिस्ट को उन्नत मल्टी–होल कैटेलिस्ट के साथ बदला गया है।
- 4. अमोनिया सिंथेसिस गैस कंप्रेशर के ईएमजी टर्बाइन में नए डिजाइन के रोटोर के साथ-साथ आंतरिक और इलेक्ट्रोनिक चालित प्रणाली की रेट्रोफिटिंग की जाएगी क्योंकि मौजूदा डिजाइन के रोटरों का अब निर्माण नहीं किया जाता और यह अप्रचलित हो गया है। सभी सहायक उपकरणों सिहत नए रोटोर के लिए आर्डर दे दिया गया है।

- The waste exhaust steam from turbines of ID
 Fans & FD Fans of Service Boiler of
 Namrup-II has been utilized fruitfully as
 deaeration steam in De-aerator. This has led
 to 3 MT/Hr savings of Process steam.
- The condensate drained from Hydrolyser in Urea-II Plant is being reused as DM Water or Boiler Feed Water.
- Around 10 MT/Hr of LP Steam was getting vented from Ammonia-III Steam Loop. This is being now being used as de-aeration steam in De-aerator of Service Boiler & Waste Heat Boilers in Captive Power Plant.

B. Technology Absorption:

- S-100 type basket of synthesis converter of Namrup-III has been retrofitted with latest design S-200 basket thereby increasing conversion efficiency and reduction in energy consumption.
- Technical Upgradation of Gas Turbine-II was done during its overhauling. Its second stage nozzle replaced with segmented type state of art version. This has led to reduction of Natural Gas consumption and lowering of exhaust gas temperature.
- The Primary Reformer catalyst in Ammonia-II
 has been replaced with improved multi-hole
 catalyst.
- 4. EMG Turbine of Ammonia Synthesis Gas Compressor will be retrofitted with rotor of new design along with internals and electronic governing system as rotor of existing design is no more manufactured has become obsolete. Order for new rotor with all accessories has been placed.

ग. अनुसंधान और : शून्य

विकास प्रयास

घ. अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप

प्राप्त लाभ : शून्य

ड. विदेशी विनिमय

आय और जारी राशि : कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2012–13

में नेपाल को 62500 मी. टन यूरिया का निर्यात किया। कंपनी को भुगतान भारतीय रुपए में प्राप्त हुआ। वर्ष के लिए पूंजीगत वस्तुओं और भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों के लिए विदेशी वस्तुओं की कंपनी की खरीद 895.98 लाख रुपए थी। C. R & D Efforts : Nil

D. Benefit derived as

a result of R & D : Nil

E. Foreign Exchange

Earning and Outgo: The Corporation

exported 62500 MT of urea to Nepal in 2012-13. Company received the payment in Indian Rupees. Company's purchase of foreign goods for Capital Goods and Stores & Spares for the year was Rs.895.98 Lacs.



निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-। (ग) ANNEXURE-I (C) TO DIRECTORS' REPORT

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCS, STS, OBCs and PHs AS ON 1ST JANUARY, 2013 AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING 1 जनवरी, 2013 को अ.जा., अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक विकलांग का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या तथा पिछले कैलेण्डर वर्ष के

<u>P</u> The Canada <u>सार्यन</u>िक Ž

CALENDER YEAR.

| सावजानक उद्यम का नामः ब्रह्मपुत्र वला फाटलाइजर कापारशन ालामटङ, नामरूप NAME OF THE PUBLIC ENTERPRISES: BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED, NAMRU | सावजानक उद्यम का नामः ब्रह्मपुत्र वला फाटलाइजर कापारशन ।लामटङ, नामरूप E PUBLIC ENTERPRISES: BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LI | उद्यम TERPF | का शSES: | नामः BRA | ब्रह्मपुत्र HMAPU | r ବଟ JTRA | T TATE | टलाइज -EY F | र का ERTIL | पारश | COR | ਸਫ਼ਫ਼, PORA | नामर TION | FIMIT | ED, N | AMRU |
|---|---|--------------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------|---|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| समूह | 01.01.2013 को अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिनिधित्व | 3 को 3 इडा वर्ग | को अ.जा./अ.ज.जा. । वर्ग का प्रतिनिधित्व | म.ज.जा होनाधित | \ b | | 2010 | 2010 कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या | वर्ष | , दौरा | म क्री | ग्रह निर | गुक्तयों | क सं | ন্ত্র | |
| Groups | Representation of SCs/STs/OBCs as on 01.01.2013 | ation o | ntation of SCs/S as on 01.01.2013 | STs/OI | | Numb | er of | Number of appointments made during the calendar year 2010 | tment | s mac | dur dur | ing the | caler | ıdar y | ear 20 | 10 |
| | | | | By Dir | सीधी भर्ती पद्धति द्वारा By Direct Recruitment Method | ॉपद्ध cruitm | ति द्वार ient M | ग ethod | | पद् By | पदोन्नति द्वारा By Promotion | द्वारा otion | B | अन्य तरीके द्वारा By Other Methods | कि द्वारा Method | শ ods |
| | कर्मचारियों की | अ.जा. | अ.ज.जा. अ.पि.व. | अ.पि.व. | योग | अ. आ <u>.</u> | अ.ज.जा. अ.पि.व. | अ.पि.व. | योग | <u>क्</u> र.जा. | अ.ज.जा. अ.पि.व. | अ.पि.व. | योग | अ. <u>ज</u> ा. | अ.ज.जा. अ.पि.व. | अ.पि.व. |
| | જુલ વહ્યા Total No. of employees | SCs | STs | OBCs | Total | SCs | STs | OBCs | Total | SCs | STs | OBCs | Total | SCs | STs | OBCs |
| - | 7 | က | 4 | Ŋ | 9 | 7 | œ | 6 | 10 | £ | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 17 |
| समूह क Group A | 303 | 27 | 26 | 88 | 12+3(*) | 9 | | ო | 92 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
| समूह ख Group B | 303 | 26 | 52 | 86 | - | ı | | | 9 | 2 | 10 | 28 | | ı | 1 | |
| समूह ग Group C | 381 | 24 | 71 | 128 | 1(**) | ı | - | | 38 | ı | 08 | 17 | | 1 | 1 | |

| 1, |
|------|
| E |
| फ सी |
| |

| (सफाई क्मेबाएयों के क्मिब्रेड क्मेबार क्मिब्रेड क्मेबार क्मिब्रेड क्मेबार क्मिब्रेड क्मिब्रेड क्मेबाएयों के क्मिब्रेड क्मिब्रेड क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मिब्र क्मिब्रेड क्मि |
|---|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 81 151 317 17 06 01 03 178 10 24 67 - सहायक इंजीरियर के रूप में समूहम में 3 प्रकंशन प्रक्षिकुओं को नियमित किया गया है। के दौरान समूह क में 44 प्रकंशन प्रक्षिकुओं को नियमित किया गया है। के दौरान समूह क में 44 प्रकंशन प्रक्षिकुओं को नियमित किया गया है। के दौरान समूह क में 44 प्रकंशन प्रक्षिकुओं को नियमित किया गया है। के दौरान समूह क में 44 प्रकंशन प्रक्षिकुओं (अ.जा05. अन्य विकड़ा वर्ग-13) की भती की गर के has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during the Calendar year 2012. ainee has been regularized in fine above statement): aine Total SCs |
| 81 151 317 17 06 01 03 178 10 24 67 प्रसायक हंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंशन प्राविश्वमें को नियमित किया गया है। प्रमायक हंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंशन प्राविश्वमें को नियमित किया गया है। प्रमायक मांकित समूह ने प्रकंशन प्राविश्वमें को नियमित किया गया है। प्रमायक मांकित समूह ने सम्मायक प्राविश्वमें को नियमित किया गया है। प्रमायक मांकित समूह ने सम्मायक प्राविश्वमें को नियमित किया गया है। प्रमायक मांकित समूह ने सम्मायक प्राविश्वमें को नियमित किया गया है। के सम्मायक स्थायक स्यायक स्थायक |
| 81 151 317 17 06 01 03 178 10 24 67 सहायक हुंगीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन प्रविश्वेश को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रेंड-।। के रूप में समूह-ज में 3 प्रबंधन प्रविश्वेश को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रेंड-।। के रूप में समूह-ज में 3 प्रबंधन प्रविश्वेश को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रेंड-।। के रूप में समूह-ज में 3 प्रवातक प्रविश्वेश को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रेंड-।। के रूप में समूह-ज में 3 प्रवातक प्रविश्वेश को नियमित किया गया है। प्रवातक श्रेंड-।। के रूप में समूह-ज में 3 प्रवातक प्रविश्वेश को नियमित किया गया है। के किश्वेश के में 44 प्रवंधन प्रविश्वेश हैं। अंग्रा-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-13) की भू के किश्वेश के में 44 प्रवंधन प्रविश्वेश हैं। अंग्रा-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-13) की भू के किश्वेश के में 44 प्रवंधन प्रविश्वेश हैं। अंग्रा-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-13) की भू के किश्वेश के में 44 प्रवंधन प्रविश्वेश हैं। अंग्रा-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-13) की भू के किश्वेश के किश्वेश के पिछड़ा वर्ग-13 की भू के किश्वेश के पिछड़ा वर्ग-14 किश्वेश के पिछड़ा वर्ग-14 किश्वेश की भू के किश्वेश के पिछड़ा वर्ग-14 की भू के किश्वेश के पिछड़ा के पिछड़ा के पिछड़ा वर्ग-14 किश्वेश की भू के किश्वेश के पिछड़ा |
| 81 151 317 17 06 01 03 178 10 24 सहायक इंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन प्रक्षिपुओं को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन प्रक्षिपुओं को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रंज-। के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन प्रक्षिपुओं को नियमित किया गया है। प्रवातक ग्रंज-। के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन प्रक्षिपुओं को नियमित किया गया है। के दौरान समूह क में 44 प्रबंधन प्रक्षिपुओं (अ.जा02, अन्य पिछड़ों को नियमित किया गया है। के किया नियमित किया प्रवादक प्रवादक प्रवादक प्रक्षिप्त नियमित प्रवादक प्रवा |
| 81 151 317 17 06 01 03 178 10 परायक इंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंघन प्रक्षिकुओं को नियमित किया परायक इंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंघन प्रक्षिकुओं को नियमित किया परायक इंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंघन प्रक्षिकुओं को नियमित किया परायक इंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंघन प्रक्षिकुओं को नियमित किया को दौरान समूह क में 44 प्रकंघन प्रक्षिकुओं है। जा.—05, अ.प. जा.—02, अन्य पिछड़ा के किया परायक के किया नियमित के रूप में अप्रकंघन प्रक्षिकुओं के नियमित किया विवाय विवाय के किया के किया विवाय के किया में 44 प्रकंघन प्रक्षिकुओं है। जा.—05, अ.प. जा.—02, अन्य पिछड़ा के किया विवाय के किया किया विवाय के किया विवाय किया विवाय के किया विवाय के किया विवाय किया किया किया किया किया किया किया कि |
| 81 151 317 17 06 01 03 178 प्रहायक हंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन प्रक्षित्रमें को नियमित के दौरान समूह क में 44 प्रबंधन प्रमित्रमें (अ.ज0.5. अ.ज.ज0.2. अन्य के तियमित के दौरान समूह क में 44 प्रबंधन प्रमित्रमें (अ.ज0.5. अ.ज.ज0.2. अन्य के तियमित के दौरान प्रमातक प्रमित्रमें को नियमित के दौरान समूह क में 44 प्रबंधन प्रमित्रमें (अ.ज.ज0.5. अ.ज.ज0.2. अन्य के तियमित्रमें का विर्वाधन ते तिरवण्य-ते as Assistant Engineer during the ainee has been regularized in Group-C as Auto Technician-III during gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have been recruit लोगों का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (यह जनशक्ति उपर्युष्ट प्रमुद्ध अनुद्धाप्त का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (यह जनशक्ति उपर्युष्ट प्रवाधन विरावधन विरा |
| 81 151 317 06 01 03 सहायक इंजीनियर के रूप में समूह—क में 3 प्रबंधन प्रक्षितुओं को कि के दौरान समूह क में 44 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को कि कि विकास प्रवालक प्रक्षितुओं को कि कि विकास प्रवालक प्रक्षितुओं को कि कि विकास प्रवालक प्रक्षितुओं को कि कि विकास प्रक्षित्त के समूह में 44 प्रबंधन प्रशिक्षुओं (अ.जा.—0.6. अ.जा.—0.6. अ.जा.जा.—0.8 अ.जा.जा.—0.8 अ.जा.जा.—0.8 अ.जा.जा.—0.8 अ.जा.जा.—0.8 अ.जा.जा.—1. अ.जा. अ.जा. अ.जा. 1 प्रवाल के कि कि कि कि के स्वर्धन प्रक्षित्त के कि |
| 81 151 317 17 06 01 81 151 317 17 06 01 सहायक इंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रकंत प्रक्षिषु प्रमालक प्रकार प्रसिष्ध के रूप में समूह-क में 3 प्रकंत प्रक्षिषु के दौरान समूह के में 44 प्रकंत प्रसिष्ध हों (अ.जा0.5, अ.ज. अ.कांक्स प्रकार के लाप क्यावादंव in Group-A as Assistant Engin ainee has been regularized in Group-A as Assistant Engin ainee has been regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group A have regularized in Group-C as Auto Techn gement Trainees (SC-05,ST-02, |
| 81 151 317 17 06 RELUCTOR कुंजीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन कुंतीनियर के रूप में समूह-क में 3 प्रबंधन के देशान समूह क में 44 प्रबंधन प्रिशिक्षओं (अ.जा इस्मायल प्रेड किंगा- के भाव में 44 प्रबंधन प्रिशिक्षओं (अ.जा इस्मायल प्रेड किंगा- के भाव में 44 प्रबंधन प्रिशिक्षओं (अ.जा इस्मायल प्रेड किंगा- के भाव में 44 प्रबंधन प्रिशिक्षओं (अ.जा इस्मायल में का प्रतिनिधित्व in Group-C as Autogement Trainees (SC-05,ST-02,OBC-13) in group कुंड किंगों का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (य.जा इस्मायल प्रेड किंगों का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (य.जा इस्मायल प्रवास प्राप्त का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (य.जा इस्मायल प्रवास केंग्र) के प्रवास केंगों का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (य.जा इस्मायल प्रवास केंगों का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार है (य.जा इस्मायल केंगों) का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार केंगों) का प्रतिनिधित्व निम्मानुसार केंगों। जातल केंगों क |
| 81 151 317 17 (सहायक हंजीनियर के रूप में समूह-क में अप्रालक ग्रेड-11 के रूप में अप्रालक ग्ने में अप्रालक ग्रेड-11 के रूप में अप्रालक ग्रेड-11 के रू |
| 81 151 317 17 81 151 317 17 81 151 317 17 सहायक इंजीनियर के रूप में समूह-व प्रचालक ग्रेड-// के रूप में समूह-ग के दौरान समूह के में 44 प्रवंधन प्रिश् ३७ has been regularized in Group-4 ainee has been regularized in Group-9 gement Trainees (SC-05,ST-02,OBC लोगों का प्रतिनिधित्व निम्नानु प्रशंदवाly handicapped manp योग Тotal |
| 81 151 317 सहायक इंजीनियर के रूप में समू के दौरान समूह के में 44 प्रकंग्न के दौरान समूह के में 44 प्रकंग्न के नौरान समूह के में 44 प्रकंग्न के निर्मा समूह के निर्म समूह समूह के निर्म समूह समूह के निर्म समूह समूह समूह समूह समूह समूह समूह समू |
| 81 151 सहायक इंजीनियर के रूप प्रमालक ग्रेंड—// के रूप के व्यापनक ग्रेंड—// के रूप के विशेषन के |
| 81 15 81 15 अहायक इंजीनियर व प्रमालक प्रेड—// के के दौरान समूह क क कि has been regulatinee has been regulation under trainees (अलोगों का प्रति प्राप्ती का प्रति प्राप्ती का प्रति प्राप्ती का प्रति राजा विष्टा प्राप्ती का प्रति राजा विष्टा निर्मा निर्म निर्मा निर्म निर्मा नि |
| 81 सहायक इंजीिन प्रचालक ग्रंड- के दौरान सम् ३७ has been ainee has bee gement Traine लोगों का प्रsically ha प्र |
| सहायक क दौरान क को दौरान क्ष has t खinee he gement लोगों |
| स्मिर् अंद्रम् अंद्रम् अंद्रम् |
| T Trine |
| 16 |
| ri) ri) rii) rii) rii) rii) rii) rii) r |
| infयो safai safai safai safai safai aacha aacha aacha ann a sacha sanag uno 7 is, 44 सम्बद्ध ann ag uno 7 is, 44 सम्बद्ध ann ag uno ann ann ann ann ann ann ann ann ann a |
| समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group D (Excluding Safai Karmachari) समूह घ (सफाई कर्मचारी) Group D (Safai Karmachari) योग Total योग Total (**) केंलेण्डर वर्ष 2012 हिस्सके अत्वाव, केंलेण्डर वर्ष 2012 हिस्सक अत्वाव, केंलेण्डर वर्ष 2012 हिस्सक अत्वाव, केंलेण्डर वर्ष 2012 हिस्सक अत्वावा, केंलेण्डर वर्ष 2012 हिससकू अत्वावा के प्राप्त केंलिण्डर क्रिक्सकू वर्ष Group B समूह ख Group C समूह घ Group D |
| समूह घ (सफाई कर्मच को छोड़कर) Group D (Excluding S Karmachari) समूह घ (सफाई कर्मच Group D (Safai Karmathari) को गण कि अलेखर वर्ष (**) केलेखर |
| समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group D (Excluding Safai Karmachari) समूह घ (सफाई कर्मचारी) Group D (Safai Karmachari योग Total (*) केलेण्डर वर्ष 2012 (**) केलेण्डर वर्ष 2012 इसके अलावा, केलेण्डर (*) व nos. of Manager (*) व nos. of Manager (**) व nos. of Ma |



निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-॥

कॉर्पोरेट गवर्नेस पर रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेस पर कम्पनी का सिद्धांत

कॉर्पोरेट गवर्नेस बी.वी.एफ.सी.एल. में एक सतत् प्रयास रहा है जो प्रणाली के सभी घटकों की सम्पूर्ण भलाई और कल्याण को ध्यान में रखता है और प्रत्येक कारोबार के सभी निर्णयों में भागीदारों के हितों का ख्याल रखता है। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेस के उच्चतम मानकों का पालन करके विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मूल उद्देश्य सभी स्तरों पर निगमित दृष्टिकोण के प्रति जांगरूकता उत्पन्न करने और ओजपूर्ण उर्जावाद तथा उद्यमशीलता के प्रति जागरुक कारपोरेट संस्कृति, पारदर्शिता और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना और उसका पालन करना है। कम्पनी का मानना है कि गवर्नेंस को कारपोरेट लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत हितों में संतुलन बनाना चाहिए तथा गरीबी, समानता, उचित और न्यायोचित के स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार प्रचालन करना चाहिए। बीवीएफसीएल में निर्णय लेने में सुधार करने और ऐसे निर्णयों के पीछे तर्कसंगतता के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता पर बल दिया जाता है ताकि भागीदारों का विश्वास जीता जा सके।

निदेशक मण्डलः

क. बोर्ड का गठन

बी.वी.एफ.सी.एल. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के प्रावधानों के अनुसरण में एक 'सरकारी कंपनी' है, जिसकी 100% प्रदत्त शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

ख. जवाबदेही और बोर्ड/समिति की मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड का उत्तरदायित्व कंपनी की रणनीतिक नीतियों का पर्यवेक्षण करना और कारपोरेट निष्पादन की समीक्षा और निगरानी करना तथा कंपनी के प्रचालन में कार्यपालक प्रबंधन के जोखिम को कम करने वाले

ANNEXURE-II TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance has been a continuous endeavor at BVFCL that cares for the overall wellbeing and welfare of all constituent of the system and takes into account the stakeholders interest at every business decision. The company is committed to pursue growth by adhering to the highest standards of corporate governance. The primary objective is to create and adhere to a corporate culture of consciousness, transparency and openness in creating awareness of corporate vision and spark dynamism and entrepreneurship at all levels. Company believes that governance must balance individual interest with corporate goals and operate within accepted norms of propriety, equity, fair play and a sense of justice. At BVFCL, accountability and transparency are key drivers to improve decision making and rationale behind such decisions to create stakeholders confidence.

I. BOARD OF DIRECTORS:

A. CONSTITUTION OF BOARD

Pursuant to the provisions of Section 617 of the Companies Act, 1956, BVFCL is a "Government Company" holding 100% of its paid up share capital by the President of India. Members of the Board are appointed by the President of India.

B. RESPONSIBILITIES AND EVALUATION PROCESS OF BOARD/COMMITTEE

The responsibilities of Board is to oversee the company's strategic policies, review and monitor corporate performance, ensure regulatory compliance and reviewing the risk minimizing



प्रयासों की समीक्षा करना है। बोर्ड, समिति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली पर विचार कर रहा है।

- ग. बोर्ड / समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं
- निर्णय लेने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना

सभी कॉर्पोरेट मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा अपेक्षित चर्चा / निष्कर्षों के मामलों हेतु अग्रिम योजना बनाने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करने हेतु कार्पोरेशन ने निदेशक मण्डल और उसकी समिति की बैठकों के लिए दिशा—निर्देश परिभाषित किए हैं। इन दिशा—निर्देशों में बोर्ड / समिति की बैठकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित और कारगर ढंग से कारगर बनाने की अपेक्षा की गई है। बोर्ड बैठकों से संबंधित कंपनी के दिशा—निर्देशों जहां तक व्यावहारिक हो, समिति की बैठकों के लिए लागू होते हैं।

बोर्ड / समिति की बैठकों के लिए अनुसूची तथा कार्यसूची मदों का चयन

- i) बोर्ड / समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त अग्रिम नोटिस देते हुए बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्प नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं। तात्कालिकता या आकस्मिकता के मामले में संकल्प बारी—बारी से पारित किए जाते हैं।
- ii) बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचित और केन्द्रित निर्णय लेने के लिए सदस्यों को अग्रिम में प्रबंधन रिपोर्टें और अन्य अन्वेषणात्मक विवरण परिचालित किया जाता है। जहां किसी दस्तावेज या एजेंडा के गोपनीय प्रकृति का होने के कारण परिचालित करना संभव न हो, वहां उसे सीएमडी के अनुमोदन से प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त या अनुपूरक एजेंडा पर विचार किया जाता है बशर्ते कि

efforts of executive management in the operation of Company. Board is considering appropriate mechanism for evaluating performance of Committees/Board.

C. BOARD / COMMITTEE MEETINGS AND PROCEDURES

I. INSTITUTIONALIZE DECISION MAKING PROCESS

With a view to institutionalize all corporate affairs and set up systems and procedures for advance planning for matters requiring discussion/decisions by the Board, the Corporation has defined guidelines for the meetings of the Board of Directors and Committee thereof. These guidelines seek to systematize the decision making process at the meetings of Board/Committees, in an informed and efficient manner. Company's guidelines relating to Board meetings are applicable to Committee Meetings as far as practicable.

II. SCHEDULING AND SELECTION OF AGENDA ITEMS FOR BOARD/COMMITTEE MEETINGS

- i) The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/ Committee. To address the specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed in circulation.
- ii) Detailed agenda containing the management reports and other explanatory statements are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda is of confidential nature, the same is tabled with the approval of CMD. In special



सीएमडी / बोर्ड / सिमति का अनुमोदन प्राप्त हो।

- iii) बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचना प्राप्त करने तथा चर्चा हेतु एजेंडा में किसी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए मुक्त है। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ प्रबंधन को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि बोर्ड में चर्चा किए जा रहे और/या प्रस्तुत की जा रही मदों के संबंध में अतिरिक्त आदान उपलब्ध कराया जा सके।
- iv) बोर्ड/सिमिति की बैठकें सामान्यता नामरूप में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं लेकिन वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों की पूर्व—व्यस्तता के कारण बोर्ड/सिमिति की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं।
- v) विरष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों द्वारा उनके विभाग से संबंधित कार्यसूची दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जिन्हें संबंधित कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी के सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सदस्यों में विधिवत अनुमोदित कार्यसूची दस्तावेज अग्रिम में पिरचालित किए जाते हैं।
- vi) कंपनी सचिव पिछली बोर्ड/सिमित की बैठकों के निर्णयों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों से संबंधित विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है तथा बैठक की कार्यसूची में शामिल करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी के साथ परामर्श करके रिपोर्ट का समेकन करता है।
- vii) प्रत्येक बोर्ड / सिमिति की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को एक सप्ताह के अंदर अंतिम रूप दिया जाता है तथा उसे सदस्यों और संबंधित प्राधिकारियों में परिचालित किया जाता है। सिमिति की बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड द्वारा उनकी अगली बैठक द्वारा भी नोट किया जाता है।

- and exceptional circumstances, additional or supplementary agenda are being considered subject to the permission of CMD/Board/ Committee.
- iii) The members of the Board are entitled to access all the information of the company and are free to recommend inclusion of any matter in agenda for discussion. In case of need, the senior management is invited to attend the Board Meetings to provide additional inputs relating to the items being discussed and / or giving presentation to the Board.
- iv) The meetings of the Board/Committee are normally held at the registered office of the company at Namrup but during the year, due to pre-occupation of Government Directors, the most of Board/Committee meetings were held in New Delhi.
- v) The agenda papers are prepared by the Sr. Management executives related to their department, sponsored by the concerned functional Directors and approved by the CMD. Duly approved agenda papers are circulated amongst the members of the Board/Committee by the Company Secretary well in advance.
- vi) Company Secretary follow up with the Department concerned for the action taken reports based on the decisions of earlier Board/Committee meetings and compiled the reports in consultation with Functional Directors and CMD before including in the agenda of the meeting.
- vii) Minutes of the proceedings of each Board/
 Committee meeting are finalized within a week
 and circulated to all the members and
 concerned authorities. These minutes are
 confirmed in the next Board/Committee meeting.
 Minutes of the meeting of the Committee is
 also informed to the Board in its next meeting.



viii) बोर्ड / समिति के निर्णयों का सार कंपनी सचिव द्वारा उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को परिचालित किया जाता है।

III. कानूनों का अनुपालन

कार्यपालक प्रबंधन करना, नियमों और दिशा—निर्देशों आदि के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशा—निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तिमाही सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट (सभी विभागों से एकत्रित) की बोर्ड द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

घ. बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नौ बैठकें आयोजित की गई थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| बोर्ड की बैठकों की संख्या | दिनांक | सम्मिलित निदेशकों की संख्या |
|------------------------------|------------|--------------------------------|
| 62 | 26.06.2012 | 3 |
| 63 | 30.08.2012 | 4 |
| 64 | 24.09.2012 | 4 |
| 65 | 12.12.2012 | 4 |
| 66 | 20.02.2013 | 4 |
| 67 | 14.05.2013 | 4 |
| 68 | 02.08.2013 | 4 |
| 69 | 30.08.2013 | 3 |
| 70 | 25.09.2013 | 4 |

ड. बोर्ड की संरचना

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मण्डल में चार निदेशक हैं जिनमें श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन), जिन्हें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग, श्री राजीव कुमार, उप सचिव

viii) The extract of decisions of Board/Committee are circulated by the Company Secretary to the HODs of concerned Departments for taking necessary actions thereon.

III. COMPLIANCE OF LAWS

Executive management is responsible to ensure adherence to all the applicable provisions of laws, rules and guidelines, etc. A quarterly statutory compliance report (collected from all the departments) confirming adherence to all the applicable laws, rules, guidelines, etc. is reviewed by the Board regularly.

D. BOARD MEETINGS

During the year under review, Nine meetings of Board of Directors were held, details of which are as under:

| Board Meeting No. | Date | No. of Directors attended |
|----------------------|------------|---------------------------|
| 62 | 26.06.2012 | 3 |
| 63 | 30.08.2012 | 4 |
| 64 | 24.09.2012 | 4 |
| 65 | 12.12.2012 | 4 |
| 66 | 20.02.2013 | 4 |
| 67 | 14.05.2013 | 4 |
| 68 | 02.08.2013 | 4 |
| 69 | 30.08.2013 | 3 |
| 70 | 25.09.2013 | 4 |

E. COMPOSITION OF BOARD

There are four Directors on the Board of the Company at present, comprises Shri S.D.Singh, Director (Production) and Chairman and Managing Director (Additional Charge), Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers), DOF,



(पीएण्डके), उर्वरक विभाग तथा श्री चिंता वेंकट कृष्णा, स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के गठन और श्रेणी, बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति निदेशक और प्रत्येक निदेशक की अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है: Shri Rajiva Kumar, Deputy Secretary (P & K), DOF and Shri Chinta Venkat Krishna, Director.

The details of composition and category of Directors, attendance of each Director at the Board Meetings and the last AGM, directorship and membership in committees of other companies for each director of the company are given below.

| नाम सर्व / श्री | उपस्थिति विवरण निदेशक और समिति सदस्य/ अध्यक्ष का विवरण | | · | |
|--|---|---|---|--|
| Name S/Shri | Attendance | particulars | | ship and committee s/chairman |
| | वर्ष के दौरान बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या | 27.09.2012 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक | अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकों का ब्यौरा | समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षता का विवरण |
| | No. of meetings attended during the year | Last AGM Held on 27.09.2012 | Details of Directorships in other public limited companies | Details of committee memberships and committee Chairmanship |
| कार्यकारी निदेशक Functional Directors | | | | |
| श्री एन.के. साहा, निदेशक (उत्पादन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (30.09.2012 तक) Shri N.K. Saha, Director (Production) & CMD (Additional Charge) (Upto 30.09.2012) | 3 | उपस्थित Present | एफएआई FAI | लेखा-परीक्षा समिति में सदस्य समिति में पारिश्रमिक समिति के सदस्य Member in Audit Committee Member in Remuneration Committee |
| श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन) और सीएमडी, (अतिरिक्त प्रभार) (01.10.2012 से) Shri S.D. Singh, Director (Production) & CMD (Additional Charge) | 6 | लागू नहीं N.A. | एफएआई FAI | लेखा—परीक्षा समिति में सदस्य समिति में पारिश्रमिक समिति के सदस्य Member in Audit Committee Member in |
| (w.e.f. 1.10.2012) | | | | Remuneration Committee |

| अंशकालिक सरकारी निदेशक Part Time Official Directors | | | | |
|--|---|-------------|-------|---|
| श्री विजय रंजन सिंह निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग | 7 | अनुपस्थित | शून्य | लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष समिति में पारिश्रमिक समिति के सदस्य |
| Shri Vijay Ranjan Singh Director (F), DOF | 7 | Not present | Nil | Member of Audit Committee Member in Remuneration Committee |
| श्री राजीव कुमार उप सचिव (पीएण्डके), उर्वरक विभाग | 8 | अनुपस्थित | शून्य | लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष समिति में पारिश्रमिक समिति के सदस्य |
| Shri Rajiva Kumar Deputy Secretary (P&K), DOF | 8 | Not present | Nil | Member of Audit Committee Member in Remuneration Committee |
| श्री चिंता वेंकट कृष्णा निदेशक (स्वतंत्र) | 9 | अनुपस्थित | शून्य | लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष समिति में पारिश्रमिक समिति के सदस्य |
| Shri Chinta Venkat Krishna Director (Independent) | 9 | Not present | Nil | Chairman of Audit Committee Chairman of Remuneration Committee |

कंपनी का कोई निदेशक उन सभी कम्पनियों में, जिसका वह निदेशक है, 10 (दस) से अधिक समितियों में सदस्य या 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

च. आचरण संहिता

बीवीएफसीएल के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बाद लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट शासन संबंधी दिशा—निर्देशों के अनुसार कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक के लिए आचरण संहिता नियमावली निर्धारित की है। कार्पोरेशन की वेबसाइट No Director of the company is a member in more than 10 (ten) committee or is a Chairman of more than five (5) committees across all companies in which he is a Director.

F. CODE OF CONDUCT

As per the guidelines on Corporate Governance released by Department of Public Enterprises, after approval of the Board of Directors of BVFCL, the Company has laid down its Code of Conduct Rules for the Board Members and



www.bvfcl.com पर आचरण संहिता भी प्रदर्शित की गई है।

आचरण संहिता का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा अनुलग्नक-॥(क) में दी गई है।

च. निदेशक मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली सूचना

कार्यपालक प्रबंधन, निदेशक मण्डल के समक्ष निम्नलिखित सूचनाएं या तो कार्यसूची पत्र के भाग के रूप में रखेगा या बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्तुत करेगाः

- वार्षिक प्रचालन योजना और बजट तथा अन्य अद्यतन स्थिति।
- पूंजी बजट और कोई अद्यतन स्थिति।
- कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों या कारोबार के हिस्से का तिमाही परिणाम।
- लेखा—परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के विरष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक सिहत मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सिचव की नियुक्ति या निष्कासन की सूचना।
- कारण बताओ, मांग, मुकदमा चलाए जाने की सूचनाएं
 और दण्ड की सूचनाएं, जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हों।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई द्रव्यात्मक बहिस्राव या पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं।

Senior Management Executives. The Code of Conduct is also posted on the website of the Corporation, www.bvfcl.com.

The Compliance of the Code of Conduct has been affirmed on the basis of confirmation received from all the Board members and senior management executives for the financial year 2012-13. A declaration to this effect, duly signed by the Chairman and Managing Director is placed at **Annexure-II(A)**.

G. INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

Executive Management shall present following information before the Board of Directors, either as part of the agenda papers or are tabled/presented during the course of Board meeting:

- Annual operating plans and budgets and any updates.
- Capital budgets and any updates.
- Quarterly results for the company and its operating divisions or business segments.
- Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
- The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the board level, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.



- कंपनी के लिए या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल का पर्याप्त भुगतान नहीं होना।
- ऐसा कोई मामला, जिसमें भौतिक प्रकृति के संभावित जनता या उत्पाद दायित्व के दावे शामिल हों, किसी निर्णय या आदेश सहित जिसमें कंपनी के आचरण पर निर्देश दिया गया हो या दूसरे उद्यम के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया हो जिस पर कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड सकता हो।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
- ऐसा लेन—देन जिसमें साख, ब्राण्ड इक्विटी या बौद्धिक सम्पदा के लिए पर्याप्त भुगतान किया गया हो।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान,
 मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई
 महत्वपूर्ण विकास जैसे, वेतन समझौता पर हस्ताक्षर,
 स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना आदि।
- निवेश की अनुषंगी परिसम्पत्तियों के वस्तुगत प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार का हिस्सा नहीं होता।
- विदेशी मुद्रा विनिमय के खुलासा का तिमाही विवरण और मुद्रा विनिमय दर के प्रतिकूल उतार—चढ़ाव के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हों।
- किसी भी विनियामक, संवैधानिक या सूचीबद्ध आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवाएं जैसे लाभांश का भुगतान नहीं होना, शेयर हस्तांतरण में विलम्ब, आदि का अनुपालन न होना।

ज. व्हीसल ब्लोअर नीति

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी कंपनी होने के कारण बीवीएफसीएल मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अधीन है। इसलिए सीसीवी दिशा—निर्देशों के अनुसार इसके सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए

- Any material default in financial obligations to and by the company or substantial non-payment for goods sold by the company.
- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which may have passed strictures on the conduct of the company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the company.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of material nature of investments, subsidiaries, assets, which is not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

H. WHISTLE BLOWER POLICY

BVFCL being a Government Company under the Ministry of Chemicals and Fertilizers is covered under Chief Vigilance Commission (CVC). As per CVC guidelines, a mechanism



कंपनी में एक प्रणाली स्थापित की गई है कि वे सीवीओ या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सीधे तौर पर रिपोर्ट करें। निदेशक मण्डल की लेखा—परीक्षा समिति को किसी कर्मचारी से मिलने के लिए नहीं रोका गया है।

झ. उज़ागर करनाः

- कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधियों के साथ कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है (निदेशकों द्वारा उद्घाटन व्यक्तिगत रूप से कंपनी अधिनियम की धारा 299 के अनुसरण में किया गया है जिनका कंपनी में संभावित हित है, जिसे बोर्ड द्वारा नोट किया गया था। संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन को टिप्पणी नं.
 2.26 में दर्शाया गया है जो संबंधित पार्टी लेनदेन पर लेखांकन मानक—18 के अनुसार वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है)।
- कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमों के अंतर्गत गैर—अनुपालन के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर दण्ड नहीं लगाया गया है।
- कंपनी ने वर्ष 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन संबंधी दिशा—निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं किया है।
- बही खातों में व्यय संबंधी ऐसी कोई मद ऋण में नहीं डाली गई है जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए न हो।
- ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया है जिसकी प्रकृति व्यक्तिगत हो और निदेशक मण्डल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च की गई हो।

has been established in the Company for all its employees and clients to report about any unethical behavior, actual or suspected fraud to the Chief Vigilance Officer (CVO) or the Chairman Managing Director (CMD) of the corporation directly. No employee has been denied access to the Audit Committee of the Board of Directors.

I. DISCLOSURES:

- The Company has not entered into any related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 299 of Companies Act) having potential interest with the Company at large, which were noted by the Board in its meeting. Transactions with related parties are disclosed in Note no. 2.26 forming part of the Annual Accounts, in line with the Accounting Standard-18 on Related party Transactions.
- The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to noncompliance under laws, during the last three years.
- The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), 2010.
- The Company has not received any Presidential directive during the financial year 2012-13.
- No items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purpose of the business.
- No expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top Management.



- वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैं:
- Details of Administrative and Office expenses as a percentage of total expenses vis - a vis financial expenses and reasons for increase are as under:

| | 201 | 2-13 | | 2011-12 | |
|------------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| | कुल व्यय का % % of Total Exp. | कुल वित्तीय व्यय का % (आंतरिक) % of Total Finance | कुल व्यय का % % of Total Exp. | कुल वित्तीय व्यय का % (आंतरिक) % of Total Finance | टिप्पणी Remarks |
| | | Exp.(Int.) | | Exp.(Int.) | |
| प्रशासनिक Administrative | 0.47 | 3.01 | 0.48 | 3.28 | |
| कार्यालय व्यय Office Exp. | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | |

2. लेखा-परीक्षा समितिः

गठन और संघटन

वर्तमान में लेखा—परीक्षा समिति में चार सदस्य अर्थात् श्री चिंता वेंकट कृष्णा, निदेशक, श्री एस.डी. सिहं, निदेशक (उत्पादन) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग, श्री राजीव कुमार, उप सचिव (पी एण्ड के), उर्वरक विभाग। श्री चिंता वेंकट कृष्णा ने लेखा—परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता की।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा—परीक्षा समिति ने बैठकों में निम्नलिखित कार्यों की समीक्षा की है:

- i) कच्ची सामग्रियाँ, मध्यवर्ती, तैयार उत्पाद तथा पैकिंग सामग्रियों का तिमाही सत्यापन;
- ii) तिमाही आंतरिक लेखा-परीक्षा (तकनीकी) रिपोर्ट;
- iii) समीक्षा आंतरिक लेखा—परीक्षा रिपोर्ट;

2. AUDIT COMMITTEE:

I. Constitution and Composition

At present, Audit Committee comprises four members i.e. Shri Chinta Venkat Krishna, Director, Shri S.D.Singh, Director (Production) & CMD (Additional Charge), Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers) DOF and Shri Rajiva Kumar, Deputy Secretary (P & K),DOF. Shri Chinta Venkat Krishna chaired the Audit Committee meetings.

During the year under review, Audit Committee has reviewed the followings business in the meetings:

- i) Quarterly reports of verification of Raw Materials, Intermediate, Finished product and Packing materials;
- ii) Quarterly Internal Audit (Technical) Reports;
- iii) Review Internal Audit Reports;



- iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पूर्व कंपनी की वार्षिक लेखा—परीक्षा की समीक्षा;
- v) सांविधिक लेखा—परीक्षाओं की लेखा—परीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर;
- vi) सीएण्डएजी की समीक्षा टिप्पणियां;
- vii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों का समीक्षा पारिश्रमिक:
- viii) लागत लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा;
- ix) लेखा—परीक्षा समिति की पिछली बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा:

कार्पोरेशन के निदेशक मण्डल ने 06.06.2003 को आयोजित अपनी 12वीं वार्षिक बैठक में लेखा—परीक्षा सिमिति का गठन किया है। लेखा—परीक्षा सिमिति के विचारार्थ विषयों को गठन के समय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा उसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा—निर्देशों के अनुरूप 03.06.2011 को आयोजित निदेशक मण्डल की 57वीं बैठक में संशोधित किया गया था।

II. बीवीएफसीएल की लेखा—परीक्षा समिति हेतु विचारार्थ विषय

लेखा—परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना, इसकी वित्तीय सूचनाओं का खुलासा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- 2. बोर्ड को लेखा-परीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखा—परीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य किसी सेवा के लिए सांविधिक लेखा—परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन करना।
- 4. बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में समीक्षा की जाती है:
 - क. निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए

- iv) Review of Annual Accounts of the Company before approval by the Board;
- v) Review of Audit observations of Statutory Auditors and management replies thereon;
- vi) Review comments of C & AG;
- vii) Review remuneration of Statutory Auditors;
- viii) Review of appointment of Cost Auditors;
- ix) Review of action taken reports on the decisions of earlier Audit Committee meetings.

Board of Directors of the Corporation has constituted Audit Committee in their 12th meeting held on 6.06.2003. The terms of reference of the Audit Committee has been approved by the Board at the time of constitution and modified in 57th meeting of Board of Directors held on 3.06.2011 in line with the guidelines of corporate governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

II. TERMS OF REFERENCE FOR AUDIT COMMITTEE OF BVFCL

The following are terms of reference of Audit Committee:

- Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- Recommending to the Board the fixation of audit fees.
- Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
- Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - a. Matters required to be included in the



जाने वाले मामलों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड (2कक) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा;

- ख. लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, तथा उसके कारण;
- ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर शामिल अनुमान की मुख्य लेखांकन प्राविष्टियां;
- घ. लेखा-परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
- ड.. वित्तीय विवरणों के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- च. किसी संबंधित पार्टी लेनदेन का उद्घाटन; और
- छ. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में अईकता;
- ज. कंपनी के भविष्य में बने रहने का अनुमान;
- झ. लेखांकन मानक के साथ अनुपालन;
- ञ. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
- ट. आई.सी.ए.आई. का लेखांकन मानक के साथ अनुपालन।
- बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन की तिमाही वित्तीय विवरणों के साथ समीक्षा की जाती है।
- प्रबंधन सहित सांविधिक और आंतरिक लेखा—परीक्षकों और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।
- 7. आंतरिक लेखा—परीक्षा की कार्यप्रणाली की पर्याप्तता सहित आंतरिक लेखा—परीक्षा विभाग के गठन, स्टाफिंग और विभागाध्यक्षों की वरीयता, रिपीटिंग स्ट्रक्चर कवरेज

Directors Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (2AA) of section 217 of the Companies Act, 1956;

- b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
- Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
- d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
- e. Compliance with legal requirements relating to financial statements;
- f. Disclosure of any related party transactions; and
- g. Qualifications in the draft audit report.
- h. The going concern assumption.
- i. Compliance with Accounting Standard.
- j. Reviewing the company's financial and risk management policies.
- k. Compliance of Accounting Standard of ICAI.
- Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
- Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
- 7. Reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the



और आंतरिक लेखा—परीक्षा की बारंबारता की समीक्षा करना।

- आंतरिक लेखा—परीक्षकों और / या लेखा—परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उसका पालन करना।
- 9. ऐसे मामलों, जहां संदिग्ध हेराफेरी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता हो, वहाँ आंतरिक लेखा—परीक्षकों/ लेखा—परीक्षकों/ एजेंसियों द्वारा आंतरिक लेखा—परीक्षा के निष्कर्षों की समीक्षा कर मामले को बोर्ड को सूचित किया जाता है।
- 10. लेखा—परीक्षा प्रारंभ करने से पहले सांविधिक लेखा—परीक्षकों के साथ लेखा—परीक्षा की प्रकृति और संभावना पर चर्चा तथा किसी समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा—परीक्षा उपरांत चर्चा।
- 11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के गैर—भुगतान के मामले में) तथा ऋणदाताओं को भुगतान में हुई पर्याप्त चूक के कारणों पर विचार करना।
- भ्रष्टाचार को उजागर करने की प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करना।
- सीएण्डएजी लेखा—परीक्षा की लेखा—परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 14. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संसदीय सिमिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए समीक्षा करना।
- 15. स्वतंत्र लेखा—परीक्षक, आंतिरक लेखा—परीक्षक तथा निदेशक मण्डल के बीच संचार के खुले अवसर उपलब्ध कराना।
- 16. कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा—परीक्षा समिति किसी सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी विशिष्ट वर्ष में किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण को विभिन्न

- official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
- Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.
- 9. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
- 11. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non payment of declared dividends) and creditors.
- To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
- To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.
- To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
- Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.
- 16. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions. A statement in the prescribed format giving details about all related party



शेयरधारकों के खुलासे के लिए उस वर्ष की बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरणः ''संबंधित पार्टी लेनदेन'' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 में निहित अनुसार समान अर्थ होगा।

- 17. कवरेज को पूरा करने, अनावश्यक प्रयासों में कमी लाने, और सभी लेखा—परीक्षकों के संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए लेखा—परीक्षक प्रयासों का समन्व करने हेतु स्वतंत्र लेखा—परीक्षक की समीक्षा करना।
- स्वतंत्र लेखा—परीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्नलिखित की समीक्षा करने पर विचार करनाः
- कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और
- प्रबंधन प्रतिक्रिया सहित आंतरिक लेखा—परीक्षक और स्वतंत्र लेखा—परीक्षक सहित निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करनाः
- स्वतंत्र लेखा—परीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्नलिखित की समीक्षा करने पर विचार करनाः
- पिछली लेखा—परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान पर्याप्त निष्कर्षों का पता लगाना।
- कार्यकलापों के दायरे पर कोई प्रतिबंध लगाने या अपेक्षित सूचना तक पहुंच बनाने के दौरान सामने आई कोई कठिनाइयां।

स्पष्टीकरणः यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसरण में कोई लेखा—परीक्षा समिति का गठन किया है तो उक्त लेखा—परीक्षा समिति को इन निर्देशों में निहित अनुसार ऐसे अतिरिक्त कार्यों / विशेषताएं होंगी।

20. लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित अनुसार अन्य कोई कार्य करना। transactions taken place in a particular year should be included in the Board's report for that year for disclosure to various stakeholders.

Explanation: The term **"related party transactions"** shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- 17. Review with the independent auditor the coordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
- 18. Consider and review the following with the independent auditor and the management:
- The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
- Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
- 19. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations.
- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

Explanation: If the company has set up an Audit Committee pursuant to provision of the Companies Act, the said Audit Committee shall have such additional functions/features as contained in these guidelines.

Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.



21. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करना।

III. लेखा-परीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा अधिकार प्राप्त लेखा—परीक्षा समिति के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगेः

- (i) अपने विचारार्थ विषय में किसी कार्यकलाप की जांच करना।
- (ii) किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना तथा कंपनी के अभिलेखों में निहित सूचना का जायज़ा लेना।
- (iii) निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अधीन बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
- (iv) बाहरी व्यक्तियों से संगत विशेषज्ञता प्राप्त करना, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।
- (v) पिछले कार्यालय का स्वतंत्र समर्थन तथा कंपनी से अन्य स्रोत।
- (vi) भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा देना।

IV. लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा—परीक्षा समिति की नौ (9) बैठकें आयोजित की गई थीं।

| क्र. सं. | निदेशकों के नाम | लेखा—परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या |
|-------------|---|--|
| 1. | श्री चिंता वेंकट कृष्णा, निदेशक | 9 |
| 2. | श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 6 |
| 3. | श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग | 7 |

21. Reviewing the company's financial and risk management policies.

III. Powers of Audit Committee

Commensurate with its role, the Audit Committee empowered by the Board of Directors the following:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- (ii) To seek information on and from any employee and assess to information contained in the records of the Company.
- (iii) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.
- (iv) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
- (v) To have independent back office support and other resources from the company.
- (vi) To protect whistle blowers.

IV. ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, Nine (9) Audit Committee Meetings were held.

| S. No. | Name of the Directors | No. of Audit Committee Meeting attended |
|-----------|--|--|
| 1. | Shri Chinta Venkat Krishna, Director | 9 |
| 2. | Shri S.D. Singh, Director (Production) & CMD (Additional Charge) | 6 |
| 3. | Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers), DOF | 7 |



| 4. | श्री राजीव कुमार, | 8 |
|----|----------------------|---|
| | उप सचिव (पी एंड के), | |
| | उर्वरक विभाग | |

V. कंपनी का कंपनी सचिव लेखा—परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3. निदेशकों का पारिश्रमिक

चूंकि बीवीएफसीएल कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतया स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है, कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त कार्यात्मक निदेशक वेतनमानों के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामिति) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। वे सरकारी कर्मचारियों के रूप में उर्वरक विभाग से नियमित पारिश्रमिक ही प्राप्त करते हैं। वे सरकारी अधिकारियों के रूप में उर्वरक विभाग से केवल नियमित पारिश्रमिक लेते हैं। कॉर्पोरेशन के निदेशक मण्डल के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक बोर्ड और / या उनकी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 5000 / - रुपए का सिटिंग शुल्क का भुगतान पाने के पात्र होते हैं और उन्हें वास्तविक यात्रा व्यय. आवास. भोजन सुविधा तथा कंपनी के व्यवसाय से संबंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की स्थिति की तुलना कार्पोरेशन ने निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जिसमें श्री चिंता वेंकट कृष्णा, निदेशक, श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त निदेशक), श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग, श्री राजीव कुमार, उप सचिव (पी एण्ड के), उर्वरक विभाग शामिल हैं जो वार्षिक बोनस, कार्यपालक और

| 4. | Smt. Rajiva Kumar, | 8 |
|----|-------------------------|---|
| | Deputy Secretary (P&K), | |
| | DOF | |

V. Company Secretary of the Company acts as the Secretary to the Audit Committee.

3. Remuneration of Directors

As BVFCL is a wholly owned Government Company under Companies Act, the Functional Directors of the Company are appointed/ nominated by President of India through Ministry of Chemicals and Fertilizers. The Functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scales and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The part-time official (Government nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They only draw regular remuneration from the Department of Fertilizers as Government officials. The Part Time Non Official Directors (Independent) on the Board of the Company entitled for the payment of sitting fee of Rs. 5000/- for each meeting of the Board and/or Committee and reimbursement of actual travelling, boarding lodging and other expenses incurred in connection with the business of the Corporation.

However, in compliance with the conditions of guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Department of Public enterprises (DPE), Corporation has constituted remuneration committee of directors comprising Shri Chinta Venkat Krishna, Director, Shri S.D.Singh, Director (Production) and Chairman and Managing Director (Additional Charge), Shri Vijay Ranjan Singh, Director (Fertilizers)



गैर—संघीय पर्यवेक्षकों में अपने वितरण के लिए परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति पर निर्णय लेते हैं। उपर्युक्त समिति के गठन के बाद कार्पोरेशन ने यहां ऊपर दर्शाए गए अनुसार किसी पारिश्रमिक पर विचार नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कोई पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं बूलाई गई थी।

4. सचिवालय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी स्वैच्छिक कारपोरेट शासन दिशा—निर्देशों की शर्त V के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से सचिवालय लेखा—परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट को अनुलग्नक—॥ (ख)(ग) में संलग्न है।

अनुपालन प्रमाण–पत्र

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण—पत्र निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-॥ (घ) में संलग्न है।

DOF, Shri Rajiva Kumar (Deputy Secretary (P & K), DOF of the Corporation to decide the Annual Bonus, Variable pay pool and policy for its distribution across the executive and non-unionized supervisors. After the constitution of above committee, corporation has not considered any remuneration as stated hereinabove, as such no remuneration committee meeting convened.

4. SECRETARIAL AUDIT REPORT

Secretarial Audit Report has been obtained from a Practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions V of Voluntary Corporate Governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the management replies to the observation made in the report is enclosed at **Anneuxre-II (B) (C)** to the Directors' Report.

5. COMPLIANCE CERTIFICATE

Certificate obtained from a Practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) is enclosed at **Anneuxre-II** (**D**) to the Directors' Report.



निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-॥(क)

आचार-संहिता के अनुपालन की घोषणा

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के दिशा—निर्देशों के खण्ड 3.4.2 के अनुपालन में बोर्ड ने कंपनी के निदेशक मंडल और विरष्ट प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए आचार—संहिता का अनुमोदन किया है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.bvfcl.com पर डाला गया है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक एतद्द्वारा उपर्युक्त आचार—संहिता के अनुपालन का समर्थन करते हैं।

> ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

> > हस्ता० / — (एस.डी. सिंह) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 25.09.2013 स्थान : नई दिल्ली

ANNEXURE-II(A) TO DIRECTORS' REPORT

DECLARATION OF COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

In compliance with the clause 3.4.2 of guidelines of Corporate Governance for CPSUs issued by the Department of Public Enterprises, Board has approved the Code of Conduct Rules for all members of Board of Directors and Senior Management of the company, which has been posted on company's website www.bvfcl.com.

All the members of Board of Directors and the Senior Management Executives do hereby affirms the compliance with the above Code of Conduct Rules.

For and on behalf of Board of Directors of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd.

Sd/-S.D. Singh Chairman and Managing Director

Date: 25.09.2013
Place: New Delhi



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-॥ (ख)

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालय की लेखा—परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नामरूप, पो.आ. पर्वतपुर — 786 623 जिला डिब्रूगढ़ (असम)

मैंने विद्यमान सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सिववालय लेखा—परीक्षा की है और कंपनी द्वारा उत्कृष्ट कार्पोरेट पद्धति का अनुपालन किया है। सिववालय लेखा—परीक्षा इस तरह से की गई थी कि इसने मुझे कार्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन मूल्यांकन करने और उस पर मेरा मत व्यक्त करने का उचित आधार दिया।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड में कंपनी द्वारा रखे गए बही—खाते, कागजात, लघु बही—खाते, प्रपत्र और दायर विवरणियां तथा तथा रिकार्ड के मेरे सत्यापन तथा कंपनी; इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सिचवालय की लेखा—परीक्षा करने के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, मैं तएद्द्वारा यह रिपोर्ट देता हूँ कि मेरे विचार में कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखा—परीक्षा अवधि के दौरान इसमें शामिल सांविधिक प्रावधानों की सूची का समेकन किया है तथा यह कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली है जो यहां आगे की गई रिपोर्ट के अधीन है।

मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) द्वारा रखे गए बही खातों, कागजातों, लघु बही—खातों, प्रपत्रों और दायर विवरणीयों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है। ANNEXURE-II (B) TO DIRECTORS' REPORT

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

To
The Members,
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Namrup, P.O. Parbatpur - 786 623
Dist. Dibrugarh (Assam)

I have conducted, the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by the company. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2013 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (the company) for the financial year ended on 31st March 2013 according to the provisions of the Companies Act, 1956 and Rules made thereunder.



मैंने निम्नलिखित से संबंधित लागू खण्डों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालय मानक।
- (ii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्पोरेट शासन स्वैच्छिक दिशा—निर्देश, 2009:
- (iii) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए कारपोरेट शासन।

बही—खातों, कागजातों, लघु बही खातों, फार्मों और दायर विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच और सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी द्वारा मुझे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे विचार में कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, कंपनी के ज्ञापन और बहिर्नियमावली तथा उपर्युक्त कानूनों, मानकों, दिशा—निर्देशों, करार आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

में रिपोर्ट करता हूं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरानः

- वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिति असूचीबद्ध सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी की रही है तथा सभी शेयर भारत के राष्ट्रपित तथा उर्वरक विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों के नाम पर हैं।
- 2. कंपनी किसी अन्य कंपनी की धारिता या सहायक कंपनी नहीं रही है। कंपनी सरकारी कंपनी रही है।
- 3. कंपनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन किया गया है लेकिन कार्यकारी निदेशकों, गैर—कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की उचित संतुलन नहीं है। निदेशक मण्डल के संघटन में समीक्षाधीन अविध के दौरान किया गया परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 1956 के

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India;
- (iii) Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India;

Based on my examination and verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records produced to me and according to information and explanations given to me by the Company, I report that the Company has in my opinion, complied with the provisions of the Companies Act, 1956 (Act) and the Rules made thereunder, the Memorandum and Articles of Association of the Company and also applicable provisions of the aforesaid laws, standards, guidelines, agreements, etc.

I report that, during the year under review:

- The status of the Company during the financial year has been that of an Unlisted Public Sector Company and all the Shares are held in the name of President of India and Officials of Department of Fertilizers, Government of India.
- The Company has not been a holding or subsidiary of another company. The company has been a Government Company.
- The Board of Directors of the Company is duly constituted but without proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took



प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था। सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है तािक बोर्ड बैठकों की अनुसूची, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिनों में अग्रिम में भेजी जाती हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) को बोर्ड के समक्ष उनकी समीक्षा हेतु नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुसंख्यक निर्णय को लागू किया जाता है जबिक मतभेद रखने वाले सदस्यों के विचारों को लिखा जाता है तथा कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

- 4. कंपनी ने कंपनी के निदेशक से संबंधित परिवर्तन करने में संबंधित अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का संकलन किया है और भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के निदेशों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।
- 5. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में उद्धाटन आवश्कताओं तथा निदेशकों और प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण और नीतिशास्त्र की संहिता का अनुपालन किया है।
- 6. निदेशकों ने ठेकों और व्यवस्थाओं, शेयरधारकों / डिबेंचर धारित तथा अन्य कंपनियों में निदेशक और हितों का खुलासा करने की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- कंपनी ने भारत सरकार द्वारा प्रदत्त असुरक्षित ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी में चूक की है।
- कंपनी ने अपनी परिसंपित्तियों पर प्रभारों को पूरा किया है तथा विद्यमान कानूनों का अनुपालन किया है।

place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Companies Act, 1956. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent at least seven days in advance, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The Action Taken Report (ATR) are being placed before the Board regularly for their review. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

- 4. The Company has complied with the provisions of the Act and Rules made under that Act in carrying out the changes relating to the Directors of the Company and Managerial Remuneration is paid as per Directives of the Guidelines of Government of India.
- The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment and compliance with the code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel.
- The Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings / debenture holdings and directorships in other companies and interests in other entities.
- The Company has defaulted in the repayment of unsecured loan and interest thereon granted by Government of India.
- 8. The Company has satisfied charges on the assets of the company and complied with the applicable laws.



- रिपोर्ट की तारीख को कंपनी पर लागू विभिन्न राज्य और स्थानीय कानून के अंतर्गत सभी पंजीकरण वैध है।
- 10. कंपनी ने अपने सभी सांविधिक बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और ऐसी किसी बकाया राशि के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है।
- 11. कंपनी ऊपर उल्लिखित अनुसार नियमों के अलावा सांविधिक नियमों की एक सूची उपलब्ध कराई है और यह पाया गया है कि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विद्यमान हैं।
- 12. कंपनी एक रुग्ण कंपनी है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा2 (46कक) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

- (क) कंपनी ने निदेशकों के कार्यात्मक बोर्ड तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अनुपालन को छोड़कर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट शासन स्वैच्छिक दिशा—निर्देश, 2009 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (ख) कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालय मानकों का पालन कर रही है।
- (ग) कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण निदेशक मंडल के संघटन, लेखा—परीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति को छोड़कर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक के उद्यम, 2010 के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया है।

टिप्पणीः

निदेशक के प्रशिक्षण की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है

- All registrations under the various state and local laws as applicable to the company are valid as on the date of report.
- The Company has paid all its statutory dues and satisfactory arrangements have been made for arrears of any such dues.
- 11. The Company has provided a list of statutes in addition to the laws as mentioned above and it has been observed that there are proper systems in place to ensure compliance of all laws applicable to the company.
- 12. The Company is a Sick Company as defined under section 2(46AA) of the Companies Act, 1956.

I further report that:

- (a) the Company has complied with the provisions of Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India except noncompliance of functional Board of Directors and non-compliance of appointment of Independent Directors.
- (b) the Company is following the applicable Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (c) the Company has complied with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India except the composition of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee due to the non appointment of Independent Directors.

Observation:

There is no mechanism of director's training in



जिस पर दिशा—निर्देशों के अनुपालन पर विचार किया जा सके।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं किः

विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा—निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी का आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

कृते जे.पी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

> हस्ता / — जे.पी. अग्रवाल प्रोपराईटर एफसीएस नं. 1510 सीपी सं. 2890

existence, which may be looked into for compliance of guidelines.

I further report that:

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For J. P. AGARWAL & ASSOCIATES

Company Secretaries

Sd/-J. P. AGARWAL Proprietor FCS No. 1510 CP No. 2890

Place: Tinsukia

Date : July 20, 2013

स्थान : तिनसुकिया

दिनांक : 20 जुलाई, 2013

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II (ग) ANNEXURE-II (C) TO DIRECTORS' REPORT

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालय लेखा—परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

MANAGEMENT REPLIES ON THE OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 31ST MARCH, 2013

| पैरा सं. Para No. | टिप्पणियां Observations | उत्तर Reply |
|----------------------|---|---|
| 7 | कंपनी ने असुरक्षित ऋण तथा भारत सरकार द्वारा उस पर दिए गए ब्याज को लौटाने में चूक की है। | बीवीएफसीएल ने उर्वरक विभाग के माध्यम से बीआरपीएसई को दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य उपायों, जो उर्वरक विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन है, के अलावा ब्याज को माफ करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। |
| 7 | The company has defaulted in the repayment of unsecured loan and interest thereon granted by Govt. of India. | BVFCL has submitted a comprehensive proposal for long term viability to BRPSE through Department of Fertilizers, stating therein proposal to waive interest besides other measures, which is under consideration of the Department of Fertilizers, Govt. of India. |
| 12 | कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (46कक) में परिभाषित अनुसार कंपनी एक रुग्ण कंपनी है। | उपर्युक्त अनुसार |
| 12 | The company is a Sick company as defined under section 2 (46AA) of the Companies Act, 1956. | As above |
| क) | कंपनी ने निदेशकों के कार्यात्मक बोर्ड की संरचना और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अनुपालन को छोड़कर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट शासन स्वैच्छिक दिशा—निर्देश, 2009 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। | प्रबंधन ने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग से बीवीएफसीएल बोर्ड में कम से कम दो अंशकालिक गैर—सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति के लिए संपर्क किया है। इसके उत्तर में भारत सरकार ने 28.12.2011 से बीवीएफसीएल बोर्ड में एक अंशकालिक गैर—सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) नियुक्त किया है। |
| a) | The company has complied with the provisions of Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India, except composition of functional Board of | The Management has approached to the Administrative Ministry i.e. Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers, for appointment of at least two Part Time Non Official Directors (Independent) on the BVFCL |



| | Directors and non-compliance of appointment of Independent Directors. | Board. In response, GOI has appointed One Part Time Non Official Directors (Independent) on the BVFCL Board w.e.f. 28.12.2011. | |
|----------|--|--|--|
| ख) c) | कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण निदेशक मंडल के संघटन, लेखा—परीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति को छोड़कर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक के उद्यम, 2010 के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया है। The company has complied with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Govt. of India, except the composition of Board of Directors, | कार्पोरेशन ने निदेशक मंडल के मौजूदा संघटन पर विचार करते हुए लेखा—परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। कॉर्पोरेशन ने लागू दिशा—निर्देशों के अनुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उर्वरक विभाग से भी संपर्क किया है। Corporation has constituted Audit Committee and remuneration Committee considering present composition of Board of Directors. Corporation has also approached to the Department of Fertilizers for appointment of independent Directors on the Board as per the applicable | |
| | Committee due to the non appointment of Independent Directors. | | |
| ग) | निदेशक के प्रशिक्षण की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है जिस पर दिशा—निर्देशों के अनुपालन पर विचार किया जा सके। There is no mechanism of Director's training in existence, which may be looked into for | बोर्ड में निदेशकों के शामिल होने पर उपयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली पर विचार किया जाएगा। Suitable training mechanism for directors at the time of induction on the Board is under | |
| | compliance of guidelines. | consideration. | |



निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-॥ (घ)

सीपीएसई 2010 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा—निर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट गवर्नेंस की शतों का अनुपालन प्रमाण—पत्र

जे.पी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव दुर्गाबाड़ी, श्री राजन फुकन हाउस के सामने तिनसुकिया 786125, असम दूरमाशः 0374—233 6330 (कार्यालय) ई—मेलः jpagarwalcs@yahoo.co.in

सेवा में, सदस्य ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड नामरूप, डाकघरः पर्बतपुर—786623 जिला डिब्रूगढ़ (असम)

हमने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए कार्पोरेट गवर्नेस पर दिशा—निर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट गवर्नेंस की स्थिति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा—परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार और हमारी जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निदेशकों के कार्यात्मक बोर्ड की संरचना और उसके ANNEXURE-II (D) TO DIRECTORS' REPORT

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR CPSEs, 2010

J. P. AGARWAL & ASSOCIATES
Company Secretaries
Durgabari, Opp. Sri Rajen Phukan House
Tinsukia 786 125, Assam
Ph. 0374-233 6330 (O)
E-mail: jpagarwalcs@yahoo.co.in

To
The Members
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Namrup, P.O.: Parbatpur-786623
Dist. - Dibrugarh (Assam)

We have examined the Compliance of Conditions of Corporate Governance by Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended on 31st March 2013 as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of the Conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the Conditions



स्वतंत्र निदेशक मण्डल की नियुक्ति को छोड़कर कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो हमारे विचार में भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि प्रबंधन ने समय—समय पर 2 (दो) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु उर्वरक विभाग, भारत सरकार से संपर्क किया था, जिसमें से अभी तक एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावकारिता, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं, को सुनिश्चित करता है।

> कृते जे.पी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिवालय

> > हस्ता / — जे.पी. अग्रवाल प्रोपराईटर एफसीएस नं. 1510 सीपी सं. 2890

स्थान : तिनसुकिया

दिनांक : 20 जुलाई, 2013

of Corporate Governance except Composition of functional Board of Directors and appointment of Independent Directors on the Board of the Company, which we understand is to be done by the Government of India. It has been noticed that the management had approached the Department of Fertilizers, Government of India from time to time and for appointment of 2 (two) Independent Directors out of which so far one independent director was appointed.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

FOR J.P. AGARWAL & ASSOCIATES

Company Secretaries

Sd/-J.P. Agarwal Proprietor FCS No. 1510 C.P. 2890

Place: Tinsukia

Date : July 20, 2013



निदेशकों की रूपरेखा

श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री एस.डी. सिंह बीआईटी सिंदरी, धनबाद से 1984 बैच के रासायनिक इंजीनियर हैं। उन्होंने 1985 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन्स, धनबाद से खनिज इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। श्री सिंह ने प्रबंधन प्रशिक्षण के रूप में नवंबर, 1985 में एचएफसीएल, बरौनी से अपना कैरियर शुरू किया था और उन्होंने जनवरी 2002 में नामरूप उर्वरक इकाई में कार्यभार ग्रहण किया था।

एचएफसीएल और बीवीएफसीएल में 27 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें खरीद, भण्डारों, मांग—सूची नियंत्रण, परिवहन और बीवीएफसीएल के सामग्री प्रबंधन विभाग के निपटान कार्यों का विशद अनुभव हुआ। उन्होंने बीवीएफसीएल में ई—खरीद, क्रय नियमावली तैयार करने और बीवीएफसीएल के पूर्व निर्धारित विक्रेताओं के डॉटाबेस को अद्यतन बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

भारत सरकार ने श्री सिंह को दिनांक 01.10.2012 को बीवीएफसीएल के निदेशक (उत्पादन) के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने दिनांक 01.10.2012 से बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भी कार्यभार संभाला है।

वे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निदेशक मण्डल के सदस्य भी हैं।

2. श्री विजय रंजन सिंह, सरकारी निदेशक

श्री विजय रंजन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। वे भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 1996 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में उर्वरक विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) में निदेशक (उर्वरक) के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे पिछले बारह वर्षों तक कर्नाटक वन विभाग, पंचायती राज संस्थानों तथा सरकारी नियंत्रित सोसायटी में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पश्चिमी घाटों में संरक्षित क्षेत्रों, प्राणि उद्यान और आरक्षित वनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। वे आदिवासी परिवारों के पुनर्वास तथा जनता की

DIRECTORS' PROFILES

Shri S.D. Singh, Director (Production) & CMD (Additional Charge)

Shri S.D. Singh is a Chemical Engineer from BIT Sindri, Dhanbad of 1984 batch. He has done Post Graduate Diploma in Mineral Engineering from the Indian Institute of Mines, Dhanbad in 1985. Shri Singh started his career from HFCL, Barauni in November, 1985 as Management Trainee and joined Namrup Fertilizer Unit in January 2002.

During his tenure of 27 years in HFCL and BVFCL, he has rich experience in the Purchase, Stores, Inventory Control, Transportation and Disposal functions of Material Management Department of BVFCL. He is instrumental in implementing e-procurement, preparation of purchase manual and updating the database of pre-qualified vendors of BVFCL.

The Govt. of India has appointed Shri Singh, as Director (Production) of BVFCL w.e.f. 1.10.2012. He has also assumed the additional charge of Chairman and Managing Director (CMD) of BVFCL w.e.f. 1.10.2012.

He is also a member of the Board of Directors of The Fertilizer Association of India.

2. Shri Vijay Ranjan Singh, Govt. Director

Shri Vijay Ranjan Singh is a post graduate in Botany from Delhi University. He is an Indian Forest Service (IFS) Officer of 1996 Batch and presently working as Director (Fertilizers) in Department of Fertilizers (Ministry of Chemicals & Fertilizers). Earlier, he has served in Karnataka Forest Department, Panchayat Raj Institutions and Government controlled Society for last twelve years. He has successfully managed the Protected Areas, Zoological Garden and Reserved Forests in Western



भागीदारी से विकास कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने मैसूर के दशहरा जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रचार और कारपोरेट प्रायोजन के दल के नेता के रूप में भी कार्य किया है।

3. श्री राजीव कुमार, सरकारी निदेशक

श्री राजीव कुमार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी हैं और वर्तमान में उर्वरक विभाग में उप सचिव (प्रशासन और सतर्कता) के पद पर तैनात हैं। वे इकोनोमेट्रिक्स सिहत अर्थशास्त्र में रनातकोत्तर हैं और बीएससी हैं। इसके अलावा, वे कंप्यूटर अनुप्रयोग, सिस्टम विश्लेषण और प्रोगामिंग कंप्यूटर अनुप्रयोग में एडवांस डिप्लोमा, आईईटीई तथा एक प्रमाण—पत्र (रूसी भाषा) भी रखते हैं।

उर्वरक विभाग में उप सचिव के पद का कार्यभार संभालने से पहले श्री कुमार विभिन्न मंत्रालयों जैसे नागर विमानन मंत्रालय, कृषि और वाणिज्य में कार्य कर चुके हैं। उन्हें स्थापना, कार्य अध्ययन और ओएण्डएम कार्य, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, बजट और वित्त के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है जिसमें अधिनयमों के प्रशासन, स्वायत्त निकायों के प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एनटीओ मामले, करार, वस्तुओं का आयात/निर्यात, व्यापार नीति, मानदण्डों का निर्धारण आदि शामिल हैं।

4. श्री चिंता वेंकट कृष्णा, स्वतंत्र निदेशक

श्री चिंता वेंकट कृष्णा हैदराबाद से एक प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और मैसर्स सी. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट में वरिष्ठ भागीदार हैं, जिनका मुख्यालय रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में स्थित है तथा शाखा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। वे प्रमुख लेखा—परीक्षा फर्म हैं जिन्हें व्यावसायिक Ghat. He has involved in rehabilitation of tribal families and implementation of development programmes with peoples' participation. He has worked as team leader for Publicity and Corporate Sponsorship for public events viz. Mysore Dasara for years.

3. Rajiva Kumar, Govt. Director

Shri Rajiva Kumar is an officer of Central Secretariat Service (CSS) and is, presently, holding the post of Deputy Secretary (Administration and Vigilance) in the Department of Fertilizers. He is post graduate in Economics with Econometrics, and having a degree of B.Sc. Additionally, he also possesses a Diploma in Computer Application, System Analysis & Programming, Advance Diploma in Computer Application, IETE and a Certificate of (Russian Language).

Shri Kumar served in various Ministries like Ministry of Civil Aviation, Agriculture, and Commerce, before assuming the charge as Deputy Secretary in the Department of Fertilizers. He acquired vast experience of more than 30 years in the field of Establishment, Work Study & O&M work, administration of field offices, Central Sector Schemes, Budget & Finance, including administration of Acts, administration of autonomous bodies, International Trade, WTO matters, agreements, Import / Export of commodities, trade policy, fixation of norms, etc.

4. Shri Chinta Venkat Krishna, Independent Director

Shri Chinta Venkat Krishna is a practicing chartered accountant from Hyderabad and a Senior Partner in M/s C Venkat Krishna & Co, Chartered Accountants having Head Office at Road No. 12 Banjara Hills, Hyderabad and branch at Vishakapatnam, Andhra Pradesh.



क्षेत्र का लगभग 30 वर्ष का अनुभव है तथा वे लेखांकन और कराधान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पैनल में हैं।

श्री वेंकट कृष्णा ने प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स, दिल्ली से बी.काम (हानर्स) में स्नातक किया है तथा वर्ष 1981 में चार्टर्ड एकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

वे वर्ष 2009 से 2011 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के हैदराबाद स्थानीय बोर्ड में अंशकालिक गैर—सरकारी निदेशक रहे हैं तथा विगत में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद समिति में कई पदों पर सुशोभित रहे हैं।

वे पांच पुस्तकों के जाने—माने लेखक भी हैं — दो पुस्तकें अंग्रेजी शब्दों तथा उच्चारण पर हैं जिनका शीर्षक ''इन अदर वर्डस'' तथा ''प्रनंसिएशन'' है। इनका प्रकाशन क्रमशः 2000 और 2001 में हुआ था तथा वर्ष 2005 और 2009 में सिक्वेल के रूप में ''इन क्वेस्ट ऑफ द पॉम'' तथा ''सोरिंग हाई'' नामक प्रख्यात जीवनी प्रकाशित हुई थी। जीवनी का वर्ष 2010 में ''विशिष्ट व्याक्तीतवम'' शीर्षक से तेलुगु में अनुवाद किया गया है।

They are a leading auditing firm with about 30 years of professional standing and are rendering omnibus services in the fields of Auditing and Taxation. They are in the panel maintained by of The Comptroller and Auditor General of India, The Reserve Bank of India and The National Highways Authority of India.

Shri Venkat Krishna has graduated from the prestigious Shri Ram College of Commerce, Delhi with B. Com. (Hons.) and has qualified as a Chartered Accountant in the year 1981.

He has been part-time Non-Official Director on the Hyderabad Local Board of State Bank of India for a period of 3 years from 2009 to 2011 and had occupied several positions in the past in the Southern India Regional Council Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.

He is also a known author of 5 Books - two books on the English words and pronunciation titled "In OTHER WORDS' and "PRONUNCIATION" published in the years 2000 and 2001 and the well acclaimed autobiography titled "IN QUEST OF THE PALM" and "SOARING HIGH" published as sequels in the years 2005 and 2009. The autobiography has been translated in Telugu under the title "VISHISHTA VYAKTHITHVAM" in the year 2010.



स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में सदस्य ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा—परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 तक का तुलन—पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव शामिल है और इसमें सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी हो या कोई त्रृटि, शामिल नहीं है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा—परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा—परीक्षा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा—परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम जातीय आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा—परीक्षा की योजना बनाएं और डिजाइन करें

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in section 211(3C) of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance



कि क्या वित्तीय विषय सामग्री के गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखा—परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है तािक राशि और वित्तीय विवरणों में खुलासे के बारे में लेखा—परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चयनित प्रक्रिया लेखा—परीक्षा के निर्णय पर आधारित होती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन करना शामिल होता हो, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। ऐसा जोखिम आकलन करने से लेखा—परीक्षा कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित रूप से प्रस्तुत करने में संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है तािक उन लेखा—परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। लेखा—परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीितयों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति शािमल होती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा—परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे लेखा—परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अर्हक मत के लिए आधार

राजसहायता दावेः

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए किए गए दावे के आधार पर गणना की गई 5,097.60 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2,640.03 लाख रुपए) के बढ़े हुए मूल्य की राशि (राजसहायता) का लेखा—जोखा रखा है। ऐसे दावों का अंतिम निपटान होने तक, इससे पड़ने वाला कोई प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह अप्राप्य है (टिप्पणी 2.16 का घ देखें)।

- II. नियत परिसम्पत्तियांः
- क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास लगभग 2797 बीघा भूमि है और माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कार्पोरेशन के भू—अभिलेखों का राज्य सरकार के अभिलेखों के साथ पुनः समायोजन किया

about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Basis for Qualified Opinion

I. Subsidy Claims:

The company has accounted for Escalation Price (Subsidy) amounting to ₹ 5,097.60 lacs (previous year ₹ 2,640.03 lacs) on claim lodged basis for the financial year 2012-13. Pending final settlement of such claims, the effect arising out of this, if any, is unascertainable (Refer D of Note 2.16).

- II. Fixed Assets:
- a) According to the information and explanations given to us, the company possesses land measuring around 2,797 bighas and the demarcation of land is under process as per the directives of Hon'ble High Court of Gauhati. As stated, the land records of the company are



जा रहा है।

- ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शीर्ष संयंत्र और मशीनरी के अंतर्गत 985.54 लाख रुपए का पूंजीकरण किया है, जिसमें से अधिकांश की व्यापक मरम्मत और नवीकरण की जानी है या बदला जाना है। उपर्युक्त में से कंपनी ने ऐसी बदली जाने वाली मदों के मूल्य को बट्टे खाते में नहीं डाला है/ ह्रास नहीं किया है (मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सका)। इसके अलावा, तथापि, नियत परिसंपत्तियों पर लेखांकन मानक 10 के अनुसार मौजूदा 'नियत परिसंपत्तियों' में आगे पूंजीकरण की तभी अनुमति दी जाती है यदि नियत परिसंपत्तियों से संभावित भावी लाभ पहले से मूल्यांकित मानक निष्पादन से बढ़ जाएं। पर्याप्त/तकनीकी सूचना के अभाव में हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसा पूंजीकरण लेखांकन मानक के अनुसार है।
- ग) कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को आंतरिक तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 620.80 लाख रुपए (मूल्य—ह्रास का निवल) की नियत परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया है क्योंकि बही मूल्य सुनिश्चित नहीं था। ऐसी परिसंपत्तियों का मुख्य भाग पिछले वर्षों से संबंधित था। कंपनी ने पिछली अवधि की मदों में से 438.09 लाख रुपए की राशि को घटा दिया है और शेष 182.71 लाख रुपए को 'अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया है। हम अपने बही मूल्य के बारे में सूचना के अभाव में ऐसे बट्टे खाते (मूल्य ह्रास का निवल) के निर्धारण पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

III. उधार लागत का पूंजीकरणः आज की तारीख तक भारत सरकार से लिए गए

- also being reconciled with the records of the State Government.
- During the year, the company has capitalized ₹ 985.54 lacs under the head Plant and Machinery, most of which are in the nature of major repairs, renewals or replacements. Out of above, the company has not written off value of replaced fixed assets (amount unascertainable) against capitalization of ₹ 476.55 lacs. Further, as per Accounting Standard 10 on "Fixed Assets", further capitalization in existing fixed assets is permissible only when the expected future benefits from fixed assets increase beyond the previously assessed standard performance. In absence of any report from technical expert, we are unable to comment whether such capitalization is as per said Accounting Standard.
- The company has written off the entire value of replaced fixed assets, being spares and stores capitalized upto this year except the replaced value of ₹ 476.55 Lacs capitalized during the year and mentioned in b) above. This write off amounting to ₹ 620.80 lacs (net of depreciation) has been done on the basis of report of an in house technical committee as on 31st March, 2013 since book value was not ascertainable. Major part of such assets related to earlier years. The company has debited a sum of ₹ 438.09 lacs in prior period items and the balance ₹ 182.71 lacs have been written off during the current year under the head "Other Expenses". We are unable to comment on the determination of such write off (net of depreciation) in absence of information about it's book value.
- III. Capitalization of Borrowing Cost:
 Borrowing Cost in relation to fixed assets



योजना ऋण और गैर—योजना ऋणों से अर्जित नियत परिसंपित्तयों के संबंध में उधार लागत, जब ऐसी परिसंपित्तयों का वांछित उपयोग किया जा रहा है, का पूंजीकरण नहीं किया जा रहा है। यह 'उधार लागत'' और कंपनी द्वारा अपनाई गई उधार लागत की स्वीकृत लेखांकन नीति के संबंध में लेखांकन मानक 16 का उल्लंधन है।

IV. वर्तमान देयताएं – विविध लेनदारियाँः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कम्पनी से 31.03.2013 तक के लेखों की समीक्षा पुष्टि प्राप्त की गई और बकाया का समायोजन किया गया। अन्य देय भुगतान का बकाया पुष्टि और समायोजन के अधीन है तथा पुर्नसमायोजन के लिए समायोजन आवश्यक है।

- V. व्यापार प्राप्तियां ऋण और अग्रिमः
- क) व्यापार प्राप्तियां, ऋण और अग्रिम तथा विभिन्न अन्य ऋण बकाया समाधान के लिए आवश्यक पुष्टि और समायोजन के अध्याधीन हैं।
- ख) 31 मार्च, 2013 को विभिन्न पार्टियों को दिया गया ऋण और अग्रिम 1,364.06 लाख रुपए है, जिसमें 3 वर्षों से अधिक समय से दी गई 183.83 लाख रुपए की राशि शामिल है जिसके लिए कंपनी ने 26.50 लाख रुपए का प्रावधान किया है, परिणामस्वरूप प्रावधान में 157.33 लाख रुपए की कमी हुई है। हम इस संबंध में प्रावधान न होने पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

VI. किराए की वसूलीः

अधिकतर मामलों में पट्टा/लाइसेंस करार की अवधि समाप्त हो चुकी है। किराएदारों से दो वर्ष से अधिक का 92.44 लाख रुपए (पिछले वर्ष 54.86 लाख रुपए) किराया प्राप्त हुआ है जिसमें से कंपनी ने किराए की वसूली न होने को देखते हुए संभावित हानि के लिए 27.02 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7.75 लाख रुपए) का प्रावधान रखा है। इस संबंध में हम प्रावधान की acquired from plan and non-plans loans availed from Government of India up to the date when such assets are being ready for intended use has not being capitalized. This is in contravention to Accounting Standard 16 on "Borrowing Cost" and accepted Accounting Policy on borrowing cost followed by the company.

IV. Current Liabilities- Trade Payables:

During the year, confirmation of Accounts with Oil India Limited and Assam Gas Company Limited was obtained and the balances as at 31st March, 2013 were reconciled. Balances of other trade payables are subject to confirmation and adjustments necessary upon reconciliation.

- V. Trade Receivables, Loans & Advances:
- a) Balances of Trade Receivables, Loans & Advances and various other debit balances are subject to confirmation and adjustments necessary upon reconciliation.
- b) Long Term Loans & Advances given to various parties as at 31st March, 2013 amounts to ₹ 1,364.06 lacs which includes ₹ 183.83 lacs advanced for more than 3 years against which the company holds a provision of ₹ 26.50 lacs resulting in short provision of ₹ 157.33 lacs. We are unable to comment on the adequacy of provision in this regard.

VI. Recovery of Rent:

Lease/License Agreements in most of the cases are time barred. Further rent of ₹ 92.44 lacs (Previous Year ₹ 54.86 lacs) is receivable from tenants for more than two years out of which the company holds a provision of ₹ 27.02 lacs (Previous year ₹ 7.75 lacs) against possible loss due to non-recovery of



पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

योग्य राय

हमारे विचार में और हमारी उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य राय पैरा हेतु पैरा । से VI में उल्लिखित विषय के प्रभावों को छोड़कर वर्ष के लिए हानि पर इसके समग्र प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता, अतः उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराता है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है:

- (क) 31 मार्च, 2013 को कंपनी के कार्यों के तुलन—पत्र के मामले में।
- (ख) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि विवरण के मामले में।
- (ग) नकद प्रवाह विषय के मामले में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह।

मामले पर बल

- चूंकि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि 81,111.18 लाख रुपए थी जो इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक है, अतः कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(46कक) के अनुसार रुग्ण औद्योगिक उपक्रम के क्षेत्राधिकार में आती है।
- गंपनी की यह नीति है कि जिस तारीख से पिरसंपित का इस्तेमाल होता है, उसे उस तारीख से पूंजीकृत किया जाए। चल रहे पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 2.8) में 3,789.41 लाख रुपए मूल्य (पिछले वर्ष 2,880.56 लाख रुपए के पूंजीगत भण्डारण / उपकरण शामिल हैं जिन्हें हालांकि खरीदा गया है, लेकिन अभी जारी नहीं किया गया है। इन पूंजीगत भण्डारों / उपकरणों का इस्तेमाल करने पर इन्हें पूंजीकृत किया जाएगा।

rent. We are unable to comment on the adequacy of provision in this regard.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in para I to VI of Basis for Qualified Opinion paragraph, the overall effect of which on loss for the year is unascertainable, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:

- (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;
- (b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the loss for the year ended on that date; and
- (c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

- I. Since accumulated losses of ₹81,111.18 lacs at the end of the financial year ending on March 31, 2013 exceeds fifty percent of its net worth, the company comes within the purview of Sick Industrial Undertaking as per section 2(46AA) of the Companies Act, 1956.
- II. It is the policy of the company to capitalize an asset from the date it is put to use. Capital work in progress (Note 2.8) includes capital stores / equipments worth ₹ 3,789.41 lacs (Previous year ₹ 2,880.56 lacs) which though purchased are not yet issued. These capital stores / equipments will be capitalized, when these will be put to use.



अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 227 की उप—धारा (4क) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी यथा संशोधित कंपनी (लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 ("आदेश") की अपेक्षानुसार हमने आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक में दिया है।
- उपर्युक्त योग्य राय पैरा में हमारी टिप्पणी तथा अधिनियम की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः
 - क. हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा—परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
 - ख. हमारे विचार में कंपनी द्वारा नकद आधार (टिप्पणी 1 का संदर्भ ठ) पर कंपनी की परिवार में पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान तथा मूल राशि (टिप्पणी 1 के संदर्भ ड.(iii) की वसूली के बाद कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज के लेखांकन को छोड़कर कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बही खाते रखे गए हैं जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;)
 - ग. इस रिपोर्ट द्वारा तुलन—पत्र, लाभ एवं हानि
 विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण बही खातों
 के अनुरूप हैं;
 - घ. हमारे विचार में अर्हक मत पैरा (ii)(ख) और (iii) के आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर, तुलन—पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप—धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं; और

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("the Order"), as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.
- Subject to our observation in paragraph Basis
 of Qualified Opinion above and as required by
 section 227(3) of the Act, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. In our opinion, except payment under company's family pension scheme on cash basis (Refer L of Note 1) and accounting of interest on advances to employees after recovery of principal amount (Refer F (iii) of Note 1), proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;
 - c. The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d. In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph (ii)(b) and (iii), the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956; and



ड. सरकारी कंपनी होने के कारण वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829 ड. दिनांक 21/10/2003 के अनुसार कंपनी पर निदेशकों को हटाने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(छ) के प्रावधान लागू नहीं होते।

> कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजी.सं. 31000ई

> > हस्ता0 / — गोपाल चौधरी भागीदार सदस्यता सं. 017022

e. Being a Government Company, the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors are not applicable to the company in terms of notification no. GSR 829 E dated 21/10/2003 issued by Ministry of Finance, Department of Company Affairs.

For G. CHOUDHURY & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn No. 310003E

Sd/-GOPAL CHOUDHURY PARTNER Membership No. 017022

Place: New Delhi

Date : August 30, 2013

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 अगस्त, 2013



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तारीख की लेखा—परीक्षा रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार)

ऐसी जांच के आधार पर, जो हमारे विचार में उपयुक्त हैं और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार है, हम उल्लेख करते हैं कि:—

- i) नियत परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - (क) कंपनी ने आम तौर पर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरणों और अवस्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाने के लिए समुचित रिकार्ड रखे हैं।
 - (ख) जैसा कि प्रावधान द्वारा उल्लेख किया गया है कि कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार सभी नियत पिरसंपित्तियों का वर्ष की समाप्ति पर भौतिक सत्यापन कर लिया गया है, जो हमारे विचार में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां देखने में नहीं आई हैं।
 - (ग) कंपनी ने भविष्य में बने रहने की अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए अपनी नियत परिसंपत्तियों के किसी पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया है।
- ii) मांग सूची के संबंध में:
 - (क) जैसा कि हमें बताया गया है प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान माल—सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया था।
 - (ख) हमारे मत में, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए माल—सूची के वास्तविक सत्यापन, जहाँ—कहीं ऐसा सत्यापन कराया गया था, की प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति

ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

(Referred to in Paragraph 1 under Report on Other Legal & Regulatory Requirements paragraph of our audit report of even date)

On the basis of such checks as we considered appropriate and in terms of the information and explanations given to us, we state that:-

- i) In respect of Fixed Assets:
 - (a) The Company has generally maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.
 - (b) As stated by the management, all the fixed assets, according to the practice of the company, have been physically verified at the year end which, in our opinion, is reasonable, having regard to the size of the Company and the nature of its business. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such physical verification.
 - (c) The Company has not disposed off any substantial part of it's fixed assets so as to affect its going concern status.
- ii) In respect of Inventories:
 - (a) As explained to us, inventories were physically verified during the year by the management.
 - (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the procedures of physical verification of inventories followed by the management were reasonable and adequate in relation



- के संबंध में तर्कसंगत पाई गई थी।
- (ग) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने अपनी माल—सूची का उचित रिकार्ड रखा गया है। बही खातों की तुलना में मांग—सूची के भौतिक सत्यापन में अनियमितताएं देखी गई थीं और इनका बही खातों के साथ उचित रूप से निपटान किया गया है।
- iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रिजस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को न तो कोई ऋण, रिक्षत या अरिक्षत दिया है और न ही लिया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा—परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड (iii)(क) से (iii)(छ) के ऐसे प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- iv) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना के अनुसार माल—सूची तथा नियत पिरसंपित्तयों की खरीद और वस्तुओं की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामान्यतः पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया मौजूद है।
- v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित संविदाओं या व्यवस्था के संबंध में:
 - (क) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा—परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी ने कोई ठेका या व्यवस्था नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना होता है।
 - (ख) चूंकि कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई

- to the size of the company and the nature of it's business.
- (c) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has maintained proper records of it's inventory. Discrepancies were noticed on physical verification of inventory as compared to book records and the same has been properly dealt with in books of accounts.
- iii) The Company has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, the provisions of clause (iii) (a) to (iii) (g) of Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.
- iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are generally adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchase of inventory and fixed assets and for sale of goods.
- v) In respect of the contracts or arrangements referred to in Section 301 of the Companies Act, 1956:
 - (a) On the basis of the audit procedures performed by us and according to the information, explanations and representations given to us, the company has not made any contracts or arrangements that need to be entered into the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
 - (b) As no contracts or arrangements have



है। अतः आदेश के खण्ड (v)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

- vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58क, 58कक या अन्य किसी संगत प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए आदेश के खण्ड (vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- vii) हमारे विचार में कंपनी में उसके आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा—परीक्षा प्रणाली है।
- viii) हमने भारतीय संघ सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए बही खातों की व्यापक तौर पर समीक्षा की है जिसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 की उप—धारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का अनुरक्षण निर्धारित किया गया है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और रिकार्ड रखे गए हैं। तथापि, हमने इन रिकार्डों का सही या पूर्णतः की दृष्टि से पता लगाने के लिए विस्तृत जांच नहीं की है।
- ix) सांविधिक बकाया देयता के संबंध में:
 - (क) कंपनी वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उप—कर सहित अविवादित सांविधिक बकाया नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक भुगतान की जाने वाली राशि की तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए उपर्युक्त देयताओं के संबंध में कोई देय राशि विवादित नहीं है।

been made, the provisions of clause (v) (b) of the Order are not applicable to the company.

- vi) The Company has not accepted any deposit from the public pursuant to sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Companies Act 1956 and rules framed there under. Therefore, the provisions of clause (vi) of the Order are not applicable to the Company.
- In our opinion, the company has internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- viii) We have broadly reviewed the books of accounts maintained by the company pursuant to the order made by the Central Government of India for the maintenance of cost records under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 and are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records have been maintained. We have not, however, carried out a detailed examination of the records to ascertain whether they are accurate or complete.
- ix) In respect of statutory dues:
 - (a) The Company has been regular in depositing undisputed statutory dues including Provident fund, Investor Education and Protection Fund, Income Tax, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues with the appropriate authorities during the year. According to the information and explanations given to us, no undisputed amount payable in respect of the aforesaid dues were outstanding as at March 31, 2013 for a period of more than six months from the date of becoming payable.



- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, उप—कर के संबंध में कोई देयता नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो, सिवाय निम्नलिखित के
- (b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Sales Tax, Income Tax, Wealth Tax, Service Tax, Excise Duty and Cess which have not been deposited on account of any dispute except the below:

| क्र. सं. SI. No. | सांविधिक का नाम Name of the Statue | देयताओं की प्रकृति Nature of the dues | राशि (₹ लाख में) Amount (₹ in lacs) | अवधि जिससे राशि संबंधित है Period to which amount relates | फोरम जहां विवाद लंबित है Forum where dispute is pending |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| 1. | बिक्री कर अधिनियम, बिहार | बिक्री कर/ वैट कर | 1.35 | वित्तीय वर्ष 2006—07 | सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना |
| 1. | Sales Tax Act, Bihar | Sales Tax/ VAT Tax | 1.35 | Financial year 2006-07 | Asstt Commissioner, Commercial Taxes, Patna |

- x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानि इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक हो गई है और कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। तथापि, कंपनी को इससे तत्काल पहले वित्तीय वर्ष में नकद हानि हुई थी।
- xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें दिए गए दस्तावेजों और रिकार्डों के आधार पर भारत सरकार से लिए गए ऋण को छोड़कर कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक की देनदारियों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने डिबेंचरों के जरिए कोई उधार नहीं लिया है।
- xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की शपथ द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- xiii) कंपनी कोई चिट फंड/निधि/परस्पर लाभ निधि/सोसायटी नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखा—परीक्षक

- x) The accumulated loss of the Company at the end of the financial year exceeds fifty percent of its net worth and the company has not incurred cash losses in the current financial year. However, the company had incurred cash losses in the immediately preceding financial year.
- xi) According to the information and explanations given to us and based on the documents and records produced to us, the company has not defaulted in payment of dues to the Financial Institution or Banks. Further, the company has not obtained any borrowings by way of debentures.
- xii) The Company has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiii) The company is not a chit fund / nidhi / mutual benefit fund / society. Therefore, the provisions



की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

- xiv) हमारे विचार में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेश में लेनदेन या व्यापार नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी (लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट) के खण्ड 4(xiv) के ऐसे प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- xvi) कंपनी पर वित्तीय वर्ष के शुरू में भारत सरकार का 59,471 लाख रुपए (पिछले वर्ष 52,691 लाख रुपए) (मूल घटक) का बकाया आवधिक ऋण था। कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से आगे कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं हुआ है (पिछले वर्ष 6,780 लाख रुपए)। उपर्युक्त में से 54,171 लाख रुपए (पिछले वर्ष 48,956 लाख रुपए) उल्लिखित प्रयोजन पर इस्तेमाल किए जा चुके हैं और 5,300 लाख रुपए (पिछले वर्ष 10,515 लाख रुपए) की बकाया राशि को बैंक में आवधिक जमा राशि के रूप में उपयोग करने के लिए रखा गया है।
- xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन—पत्र की समग्र जांच करने के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर कोई निधियां नहीं जुटाई गई हैं।
- xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों का कोई अधिमान आबंटन नहीं किया है।

- of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xiv) In our opinion, the company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments as such provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.
- xv) According to the information and explanations given to us and the representations made by the management, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from any bank or financial institution.
- rvi) The company had an outstanding Term Loan from Government of India amounting to ₹ 59,471 lacs (Previous year ₹ 52,691 lacs) (principal component) at the beginning of the financial year. The company has not received any further term loan from Government of India during the year (Previous year ₹ 6,780 lacs). Out of the above, ₹ 54,171 lacs (Previous year ₹ 48,956 lacs) has been utilized for the stated purpose and balance amount of ₹ 5,300 lacs (Previous year ₹ 10,515 lacs) pending for utilization has been kept as Term Deposits with bank.
- xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Financial Statements of the Company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term investment.
- xviii) During the year, the company has not made preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.



- xix) कंपनी ने लेखा—परीक्षा वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। इसलिए, कंपनी पर कंपनी (लेखा—परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xix) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
- xxi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के ध्यान में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजी.सं. 31000ई

> हस्ता0 / — गोपाल चौधरी भागीदार सदस्यता सं. 017022

- xix) On the basis of the records and documents examined by us, the Company has not issued any debentures during the year. Therefore the provisions of clause 4(xix) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.
- xx) The company has not raised any money by public issue during the year.
- xxi) According to the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year.

For G. CHOUDHURY & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn No. 310003E

Sd/-GOPAL CHOUDHURY PARTNER Membership No. 017022

Place : New Delhi

Date : August 30, 2013

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 अगस्त, 2013



31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा—परीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नामक अपने व्यावसायिक निकाय के निर्धारित लेखा और आश्वासन मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा—परीक्षा पर आधारित होते हैं। यह दिनांक 30.08.2013 की उनकी लेखा—परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मेंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा—परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा—परीक्षा सांविधिक लेखा—परीक्षकों के संबंधित कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा—परीक्षकों को चर्वनित जांच तक ही सीमित है। अपनी लेखा—परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी की जानी हो

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2013

The preparation of financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30.08.2013.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come



या अनुपूरक टिप्पणी की जानी हो।

to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

हस्ता० / —
(यशोधरा रॉय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा—परीक्षा और
पदेन सदस्य, लेखा—परीक्षा बोर्ड-॥
कोलकाता

Sd/(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

स्थान : कोलकाता

Place: Kolkata

दिनांक : 23 सितम्बर, 2013

Dated: The 23rd of September, 2013

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III TO DIRECTORS' REPORT

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर REPLIES OF THE MANAGEMENT ON AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2012-13

प्रश्न Queries

प्रबंधन के उत्तर Management Replies

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट Report on the Financial Statements

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा—परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 तक का तुलन—पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

We have audited the accompanying financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी Management's Responsibility for the Financial Statements

प्रबंधन इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव शामिल है और इसमें सामग्री का



गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी हो या कोई त्रुटि, शामिल नहीं है।

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in section 211(3C) of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी Auditor's Responsibility

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा—परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा—परीक्षा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा—परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम जातीय आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा—परीक्षा की योजना बनाएं और डिजाइन करें कि क्या वित्तीय विषय सामग्री के गलत विवरण से मुक्त हैं।

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

लेखा—परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है ताकि राशि और वित्तीय विवरणों में खुलासे के बारे में लेखा—परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चयनित प्रक्रिया लेखा—परीक्षा के निर्णय पर आधारित होती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन करना



शामिल होता हो, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। ऐसा जोखिम आकलन करने से लेखा—परीक्षा कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित रूप से प्रस्तुत करने में संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि उन लेखा—परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। लेखा—परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति शामिल होती है।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा—परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे लेखा—परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अर्हक मत के लिए आधार Basis for Qualified Opinion

- राजसहायता दावेः
- I. Subsidy Claims:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए किए गए दावे के आधार पर गणना की गई 5,097.60 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2,640.03 लाख रुपए) के बढ़े हुए यह टिप्पणी सं. 1(ड.) में उल्लेख की गई कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार है। इसका 2.16 की टिप्पणी घ में भी खुलासा किया गया



मूल्य की राशि (राजसहायता) का लेखा—जोखा रखा है। ऐसे दावों का अंतिम निपटान होने तक, इससे पड़ने वाला कोई प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह अप्राप्य है (टिप्पणी 2.16 का घ देखें)।

The company has accounted for Escalation Price (Subsidy) amounting to ₹ 5,097.60 lacs (previous year ₹ 2,640.03 lacs) on claim lodged basis for the financial year 2012-13. Pending final settlement of such claims, the effect arising out of this, if any, is unascertainable (Refer D of Note 2.16).

- II. नियत परिसम्पत्तियांः
- II. Fixed Assets:
- क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास लगभग 2797 बीघा भूमि है और माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कार्पोरेशन के भू—अभिलेखों का राज्य सरकार के अभिलेखों के साथ पुनः समायोजन किया जा रहा है।
- a) According to the information and explanations given to us, the company possesses land measuring around 2,797 bighas and the demarcation of land is under process as per the directives of Hon'ble High Court of Gauhati. As stated, the land records of the company are also being reconciled with the records of the State Government.
- ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शीर्ष संयंत्र और मशीनरी के अंतर्गत 985.54 लाख रुपए का पूंजीकरण किया है, जिसमें से अधिकांश की व्यापक मरम्मत और नवीकरण की जानी है या बदला जाना है। उपर्युक्त में से कंपनी ने ऐसी बदली जाने वाली मदों के मूल्य को बट्टे खाते में नहीं डाला है/ ह्रास नहीं किया है (मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सका)। इसके अलावा, तथापि, नियत परिसंपत्तियों पर लेखांकन मानक 10 के अनुसार मौजूदा 'नियत परिसंपत्तियों' में आगे पूंजीकरण की तभी अनुमति दी जाती है यदि नियत परिसंपत्तियों से संगावित भावी लाभ पहले से

है।

This is as per Accounting policy of the company disclosed in Note No 1 (E).

This has also disclosed in Notes D of 2.16.

बीवीएफसीएल भूमि का सीमांकन पहले ही पूरा हो चुका है और अंतिम रिपोर्ट जल्दी ही उपलब्ध होगी।

Demarcation of BVFCL land has already been completed and the final report will be available very soon.

संयंत्र के निष्पादन में सुधार करने के लिए बाहरी (नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड) और आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वर्ष 2007 में 272 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की गई थी और उसे हमारे बोर्ड के उचित अनुमोदन से उर्वरक विभाग को प्रस्तुत किया गया था। अनुमोदित योजना की तुलना में भारत सरकार ने वर्ष 2007—08 से आज की तारीख तक बीवीएफसीएल को चरणबद्ध ढंग में 226 करोड़ रुपए का योजनागत और गैर—योजनागत ऋण जारी किया है और कंपनी उपकरणों की खरीद, स्थापना तथा प्रमुख मरम्मत और नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना पर निधियों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई कर



मूल्यांकित मानक निष्पादन से बढ़ जाएं। पर्याप्त/तकनीकी सूचना के अभाव में हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसा पूंजीकरण लेखांकन मानक के अनुसार है।

रही है। इसलिए अनुमोदित योजना की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त आरएण्डआर निधि में से किया गया समस्त व्यय 2008–09 से पूंजीकृत है जिसमें वर्ष 2011–12 तक की ऐसी परिसंपत्तियों के तकनीकी मूल्यांकन की अनुपलब्धता के कारण बट्टे खाते में डाली गई बदली गई परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान आंतरिक तकनीकी समिति का वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक बदली गई ऐसी परिसंपत्तियों का तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए गठन किया गया था। तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखाओं में दर्ज किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान उपर्युक्त योजना में संपदा और मशीनरी में 9.86 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है लेकिन ऐसी सभी बट्टे खाते में डाले गए मूल्य को तकनीकी मूल्यांकन की अनुपलब्धता के कारण बदली गई परिसंपत्तियों के बट्टा खाता मूल्य को लेखाओं में समायोजित नहीं किया जा सका था जिसे तकनीकी मूल्यांकन की प्राप्ति पर अगले वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

वर्ष 2012—13 तक संयंत्र और मशीनरी में किए गए सभी विस्तार से संयंत्र की आयु और दक्षता में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2012—13 के समग्र संयंत्र निष्पादन से साबित होता है।

476.55 लाख रुपए की परिसंपित्तयों में से 46.25 लाख रुपए की परिसंपित्तयां वे हैं जिनका प्रति इकाई मूल्य 5000.00 रुपए से कम है और हमारी लेखांकन नीति के अनुसार इस प्रकार की परिसंपित्तयों के लिए हमने 100% मूल्य हास लिया है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उन नियत परिसंपित्तयों का कोई बही मूल्य नहीं है। इसलिए बदली गई परिसंपित्तयों को बट्टे खाते में डालने का प्रश्न नहीं उठता।

430.30 लाख रुपए की शेष राशि (476.55—46.25) के संबंध में वर्ष के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियों को पुरानी परिसंपत्तियों से बदला गया था जिसका तकनीकी मूल्यांकन हमारी आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके प्रभाव को तकनीकी मूल्यांकन के प्राप्त होने पर अगले वित्तीय वर्ष में दर्शाया जाएगा।

To improve the plant performance, a scheme of Rs.272 crores was prepared in 2007 by technical

b) During the year, the company has capitalized ₹ 985.54 lacs under the head Plant and



Machinery, most of which are in the nature of major repairs, renewals or replacements. Out of above, the company has not written off value of replaced fixed assets (value unascertainable) against capitalization of ₹ 476.55 lacs. Further, as per Accounting Standard 10 on "Fixed Assets", further capitalization in existing fixed assets is permissible only when the expected future benefits from fixed assets increase beyond the previously assessed standard performance. In absence of any report from technical expert, we are unable to comment whether such capitalization is as per said Accounting Standard.

experts of outside (NFL) and in house and submitted to DOF with due approval of our Board. Against the approved scheme, GOI has so far released plan and non-plan loan of Rs 226 crores in phased manner to BVFCL since 2007-08 to till date and company is taking action for procurement, installation of equipments and major repairs as well as renewals & replacements in phased manner as per the availability of fund. So all expenditure incurred out of the R&R fund received from GOI against approved scheme is capitalized since 2008-09 except write off written down value of assets replaced due to nonavailability of technical valuation of such assets till the accounts of 2011-12. During 2012-13 in house technical committee was constituted for technical valuation of all such assets replaced since 2008-09 to 2011-12. The technical committee has submitted its report which has been accounted for in the accounts of Financial Year 2012-13.

During the FY 2012-13, additions of Rs.9.86 crores is made in Plant & Machinery against above scheme but due to non-availability of technical valuation of all such assets written down value of assets replaced could not be adjusted in the accounts which will be adjusted in next year on receipt of technical valuation.

All additions made in Plant & Machinery till 2012-13 have increased the life and efficiency of the Plant which is proved by the over all plant performance for the year 2012-13.

Out of Rs. 476.55 lacs Assets, amounting Rs. 46.25 lacs are those, whose per unit value are below Rs. 5000.00 and as per our Accounting policy these type of assets we have charged 100 % depreciation. That's why there is no book value of those fixed assets at the end of same financial year. So question of write off of replaced assets dose not arise.

Regarding balance amounts Rs. 430.30 lacs (476.55-



- ग) कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को आंतरिक तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 620.80 लाख रुपए (मूल्य—हास का निवल) की नियत परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया है क्योंकि बही मूल्य सुनिश्चित नहीं था। ऐसी परिसंपत्तियों का मुख्य भाग पिछले वर्षों से संबंधित था। कंपनी ने पिछली अवधि की मदों में से 438.09 लाख रुपए की राशि को घटा दिया है और शेष 182.71 लाख रुपए को 'अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया है। हम अपने बही मूल्य के बारे में सूचना के अभाव में ऐसे बट्टे खाते (मूल्य हास का निवल) के निर्धारण पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।
- The company has written off the entire value c) of replaced fixed assets, being spares and stores capitalized upto this year except the replaced value of ₹ 476.55 Lacs capitalized during the year and mentioned in b) above. This write off amounting to ₹ 620.80 lacs (net of depreciation) has been done on the basis of report of an in house technical committee as on 31st March, 2013 since book value was not ascertainable. Major part of such assets related to earlier years. The company has debited a sum of ₹ 438.09 lacs in prior period items and the balance ₹ 182.71 lacs have been written off during the current year under the head "Other Expenses". We are unable to comment on the determination of such write off (net of depreciation) in absence of information about it's book value.

46.25) assets which are capitalized during the year by replacing the Old Assets . Whose technical valuation as per our internal technical committee is under process. Effect of this will be given in the next financial year on receipt of technical valuation.

वित्तीय वर्ष 2008—09 के बाद से बदली गई उन परिसंपित्तयों को बही मूल्य के अभाव में बदली गई पुरानी मदों का मूल्यांकन करने के लिए एक आंतरिक तकनीकी सिमित का गठन किया गया था। इस संबंध में सिमित ने वर्ष 2008—09 से 2011—12 तक की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिमित की रिपोर्ट के अनुसार 438.08 लाख रुपए के नियत परिसंपित्त निवल मूल्य को शीर्ष पूर्व अविध मदों के अंतर्गत बट्टे खाते में डाल दिया गया है और लेखा—परीक्षकों की सलाह के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012—13 से संबंधित शेष 182.71 लाख रुपए को वर्तमान वर्ष में दर्ज कर दिया गया है। शेष 182.71 लाख रुपए को "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हम सूचना के अभाव में इसके बही मूल्य के बारे में बट्टे खाते (मूल्य हास का निवल) के निर्धारण पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

A in-house technical committee was constituted for valuation of replaced old items in absence of book value of those replaced assets from the financial year 2008 -09 to onwards. In this respect committee has submitted his report from 2008-09 to 2011-12. As per report of committee fixed Assets net value of amounting to Rs. 438.09 lacs has written off under head Prior period items and the balance Rs. 182.71 lacs related to current financial year 2012-13 has been accounted in current year as advised by auditors



- III. उधार लागत का पूंजीकरणः
- III. Capitalization of Borrowing Cost:

आज की तारीख तक भारत सरकार से लिए गए योजना ऋण और गैर—योजना ऋणों से अर्जित नियत परिसंपित्तियों के संबंध में उधार लागत, जब ऐसी परिसंपित्तियों का वांछित उपयोग किया जा रहा है, का पूंजीकरण नहीं किया जा रहा है। यह "उधार लागत" और कंपनी द्वारा अपनाई गई उधार लागत की स्वीकृत लेखांकन नीति के संबंध में लेखांकन मानक 16 का उल्लंधन है।

Borrowing Cost in relation to fixed assets acquired from plan and non-plans loans availed from Government of India up to the date when such assets are being ready for intended use has not being capitalized. This is in contravention to Accounting Standard 16 on "Borrowing Cost" and accepted Accounting Policy on borrowing cost followed by the company.

- IV. वर्तमान देयताएं विविध लेनदारियाँः
- IV. Current Liabilities- Trade Payables:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कम्पनी से 31.03.2013 तक के लेखों की समीक्षा पुष्टि प्राप्त की गई और बकाया का समायोजन किया गया। अन्य देय भुगतान का बकाया पुष्टि और समायोजन के अधीन है तथा पुर्नसमायोजन के लिए समायोजन आवश्यक है।

During the year, confirmation of Accounts with Oil India Limited and Assam Gas Company Limited was obtained and the balances as at 31st March, 2013 were reconciled. Balances of other trade payables are subject to confirmation and adjustments necessary upon reconciliation.

वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान एएस—16 के अनुसार अर्हक परिसंपत्तियों का पता न लगाए जाने के कारण उधार लागत को पूंजीकृत नहीं किया जाता है।

Borrowing cost is not capitalized during the financial year 2012 -13 due to non identification of qualifying assets as per AS - 16.

56.31 करोड़ रुपए की कुल देनदारियों में से 52.15 करोड़ रुपए मैसर्स असम गैस कंपनी और मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड से संबंधित हैं जिनकी बकाया पुष्टि पहले ही प्राप्त कर ली गई है और शेष 4.16 करोड़ रुपए अन्य पाटियों से संबंधित हैं जिनकी बकाया पुष्टि से संबंधित प्रयोजन पत्र/मेल पहले ही भेजा जा चुका है लेकिन उनकी ओर से हमें कोई पत्र/पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। अतः 93% बकाया की पुष्टि की गई है।

Out of total liability of Rs. 56.31 crores, Rs. 52.15 crores is related to M/s Assam Gas Company & M/s Oil India limited whose balance confirmation has already been obtained and balance Rs. 4.16 crores related to other parties to whom for balance confirmation purpose letter / mail has already been sent but from their side we have not received any letter/ confirmation. Hence 93 % balance is confirmed.



- V. व्यापार प्राप्तियां, ऋण और अग्रिमः
- V. Trade Receivables, Loans & Advances:
- क) व्यापार प्राप्तियां, ऋण और अग्रिम तथा विभिन्न अन्य ऋण बकाया समाधान के लिए आवश्यक पुष्टि और समायोजन के अध्याधीन हैं।
- a) Balances of Trade Receivables, Loans & Advances and various other debit balances are subject to confirmation and adjustments necessary upon reconciliation.
- ख) 31 मार्च, 2013 को विभिन्न पार्टियों को दिया गया ऋण और अग्रिम 1,364.06 लाख रुपए है, जिसमें 3 वर्षों से अधिक समय से दी गई 183.83 लाख रुपए की राशि शामिल है जिसके लिए कंपनी ने 26.50 लाख रुपए का प्रावधान किया है, परिणामस्वरूप प्रावधान में 157.33 लाख रुपए की कमी हुई है। हम इस संबंध में प्रावधान न होने पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।
- b) Long Term Loans & Advances given to various parties as at 31st March, 2013 amounts to ₹ 1,364.06 lacs which includes ₹ 183.83 lacs lying for more than 3 years against which the company holds a provision of ₹ 26.50 lacs resulting in short provision of ₹ 157.33 lacs. We are unable to comment on the adequacy of provision in this regard.
- VI. किराए की वसूलीः
- VI. Recovery of Rent:

अधिकतर मामलों में पट्टा / लाईसेंस करार की अविधि समाप्त हो चुकी है। किराएदारों से दो वर्ष से अधिक का 92.44 लाख रुपए (पिछले वर्ष 54.86 लाख रुपए) किराया प्राप्त हुआ है जिसमें से कंपनी ने किराए की वसूली न होने को देखते हुए संभावित हानि के प्रमुख व्यापार प्राप्तियां एफआईसीसी (उर्वरक विभाग) भारत सरकार और एमएमटीसी की हैं जो कुल व्यापार प्राप्तियों का 98% है। अन्यों को पत्र इस अनुरोध के साथ जारी किए गए हैं कि यदि पुष्टि 15 दिनों में प्राप्त नहीं होती है तो इसे पुष्टि माना जाएगा और अभी तक कोई असहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतः इन्हें पुष्टि के रूप में माना जाता है।

Major trade receivables are from FICC (DoF) GOI and MMTC which is 98% of total trade receivables. Letter to others has been issued with the instruction that if confirmation is not received within 15 days, it will be presumed as confirmed and till now no disagreement letter is received, hence these are treated as confirmed.

भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स बीएचईएल को 157.33 लाख रुपए का अग्रिम मालिकाना मदों के लिए दिया गया है। सरकारी उपक्रम पीएसयू होने के कारण उत्पादन और मदों की आपूर्ति में सामान्यतया अधिक समय लगता है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और यह अशोध ऋण नहीं है, जिसके कारण हमने इस अग्रिम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

Rs. 157.33 lacs Advance given to M/s BHEL, Government of India Undertaking for supply of propriety items. Being a Government Undertaking PSU who generally takes long time for manufacture & supply of items. We have no any alternative and it is not bad debts, for these reasons we have not made any provision against this advance.

- चूककर्ताओं को उनकी बकाया देनदारियों के भुगतान के लिए 14.05.13 से 17.07.13 की अवधि के दौरान 84 नोटिस दिए गए हैं।
- कॉर्पोरेशन के साथ लाइसेंस करार का समय—समय पर नवीनीकरण करते हुए कॉर्पोरेशन के क्वार्टर के



लिए 27.02 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7.75 लाख रुपए) का प्रावधान रखा है। इस संबंध में हम प्रावधान की पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं /

Lease/License Agreements in most of the cases are time barred. Further rent of ₹ 92.44 lacs (Previous Year ₹ 54.86 lacs) is receivable from tenants for more than two years out of which the company holds a provision of ₹ 27.02 lacs (Previous year ₹ 7.75 lacs) against possible loss due to non-recovery of rent. We are unable to comment on the adequacy of provision in this regard.

बाहरी निवासियों को भी पत्र जारी किए जा रहे हैं। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को परा करने के लिए की गई प्राथमिक कार्रवाई है जिसके बाद, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- बाहरी लोगों को आबंटित क्वार्टर के किराए/बाजार का लाइसेंस शुल्क लेना सुनिश्चित करने के लिए विभाग दैनिक बाजार के आधार पर किराया वस्लने के लिए कार्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा।
- बीएसएनएल, पुलिस विभाग आदि जैसे सरकारी संस्थान एजेंसी / प्राधिकारी से संबंधित 65.42 लाख रुपए (92.44–27.02) की बकाया राशि, जो अशोध्य ऋण नहीं है।
- 84 nos. of notices have been served during the period from 14/05/13 to 17/07/13 for payment of outstanding dues by defaulters.
- Letters are also being issued to outside occupants of Corporation's quarters from time to time for renewal of License Agreement with the Corporation. This is the primary action taken to fulfill the principles of Natural Justice after which, legal action as per Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act,1971 shall be taken up.
- In order to make the full proof collection of rent/license fee of market and quarters allotted to outsiders, the department is taking necessary action to re-instate the Rent Collection Office at the Daily Market with one representative from the Finance Deptt.
- Balance amounting to Rs. 65.42 Lakhs (92.44-27.02) outstanding rent related to government institution / agency / authority like BSNL, Police Department etc, which is not bad debts.

योग्य राय **Qualified Opinion**

हमारे विचार में और हमारी उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिए वास्तविक स्थिति



गए स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य राय पैरा हेतु पैरा । से VI में उल्लिखित विषय के प्रभावों को छोड़कर वर्ष के लिए हानि पर इसके समग्र प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता, अतः उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराता है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है:

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in para I to VI of Basis for Qualified Opinion paragraph, the overall effect of which on loss for the year is unascertainable, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:

- (क) 31 मार्च, 2013 को कंपनी के कार्यों के तुलन—पत्र के मामले में।
- (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;
- (ख) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि विवरण के मामले में।
- (b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the loss for the year ended on that date; and
- (ग) नकद प्रवाह विषय के मामले में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह।
- (c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

मामले पर बल

Emphasis of Matter

ग्रंकि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि 81,111.18 लाख रुपए थी जो इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक है, अतः कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(46कक) के अनुसार रुग्ण औद्योगिक उपक्रम के क्षेत्राधिकार में आती है। Statement of fact.

नकारात्मक निवल मूल्य की समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड से निम्नलिखित छूट प्राप्त करने के लिए उर्वरक विभाग, भारत सरकार को इसकी दीर्घाविध व्यवहार्यता के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:

1. दिनांक 30.09.2012 तक भारत सरकार के ऋणों पर



- प्रोद्भूत 51415 लाख रुपए के कुल संचयी ब्याज को माफ करना।
- 2. नामरूप—I के पुनरुद्धार के लिए 2196 लाख रुपए का ऋण माफ करना, क्योंकि यह संयंत्र स्थायी रूप से बंद है।
- 3. यूरिया की रियायत दर की गणना करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामरूप—III पुनरुद्धार परियोजना के लिए 31.03.2003 के बाद खर्च की गई 7,962 लाख रुपए के पंजीगत व्यय को मान्यता देना।
- कंपनी को उपलब्ध कराए गए भारत सरकार के ऋण को ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करना। तथापि, कंपनी लाभ अर्जित करने पर भारत सरकार का ऋण चुकाएगी।
- 5. वेतन संशोधन के लिए लागू भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के लाभप्रदता खण्ड में छूट देना तथा जनशक्ति के तत्काल संकट को पूरा करने के लिए विशेष छूट के रूप में अधिवर्षिता की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना।
- नामरूप (नामरूप–IV) में ब्राउनफील्ड अमोनिया–यूरिया संयंत्र की स्थापना करना।

To overcome the problem of negative net worth, the company has submitted comprehensive proposal for it's long term viability to the Department of Fertilizers, Government of India (GOI) for seeking following dispensation from the Board of Restructuring of Public Sector Enterprises.

- Waiver of total cumulative interests of Rs. 51415 lacs accrued on GOI loans till 30.09.2012.
- Waiver of loan of Rs. 2196 lacs taken for revamp of Namrup - I, since this plant has been permanently stopped.
- Recognize capital expenditure of Rs.7,962 lacs incurred beyond 31.03.2003 for Namrup - III Revamp Project by GOI for calculating the concession rate of urea.
- Convert GOI loans provided to the company as interest free loan. However, the company on earning profit will service the GOI Loans.
- Relax profitability clause of applicable GOI guidelines for pay revision and enhancement

I. Since accumulated losses of ₹ 81,111.18 lacs at the end of the financial year ending on March 31, 2013 exceeds fifty percent of its net worth, the company comes within the purview of Sick Industrial Undertaking as per section 2(46AA) of the Companies Act, 1956. वी वी एफ सी

- II. कंपनी की यह नीति है कि जिस तारीख से पिरसंपितत का इस्तेमाल होता है, उसे उस तारीख से पूंजीकृत किया जाए। चल रहे पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 2.8) में 3,789.41 लाख रुपए मूल्य (पिछले वर्ष 2,880.56 लाख रुपए के पूंजीगत भण्डारण / उपकरण शामिल हैं जिन्हें हालांकि खरीदा गया है, लेकिन अभी जारी नहीं किया गया है। इन पूंजीगत भण्डारों / उपकरणों का इस्तेमाल करने पर इन्हें पूंजीकृत किया जाएगा।
- II. It is the policy of the company to capitalize an asset from the date it is put to use. Capital work in progress (Note 2.8) includes capital stores / equipments worth ₹ 3,789.41 lacs (Previous year ₹ 2,880.56 lacs) which though purchased are not yet issued. These capital stores / equipments will be capitalized, when these will be put to use.

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- अधिनियम की धारा 227 की उप—धारा 4(क) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी यथा संशोधित कंपनी (लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 ("आदेश") की अपेक्षानुसार हमने आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक में दिया है।
- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("the Order"), as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.
- 2. उपर्युक्त योग्य राय पैरा में हमारी टिप्पणी तथा

- of age of superannuation from 58 to 60 years as a special dispensation to meet the immediate crisis of manpower.
- 6. Setup a new brown field Ammonia Urea Plant at Namrup (Namrup IV).

वास्तविक विवरण

Statement of fact.



- अधिनियम की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः
- 2. Subject to our observation in paragraph Basis of Qualified Opinion above and as required by section 227(3) of the Act, we report that:
 - क. हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा—परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ख. हमारे विचार में कंपनी द्वारा नकद आधार (टिप्पणी 1 का संदर्भ एल) पर कंपनी की परिवार में पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान तथा मूल राशि (टिप्पणी 1 के संदर्भ ड.(iii) की वसूली के बाद कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज के लेखांकन को छोड़कर कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बही खाते रखे गए हैं जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;)
 - b. In our opinion, except payment under company's family pension scheme on cash basis (Refer L of Note 1) and accounting of interest on advances to employees after recovery of principal amount (Refer F (iii) of Note 1), proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books:
 - ग. इस रिपोर्ट द्वारा तुलन—पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण बही खातों के अनुरूप हैं;
 - The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;



- घ. हमारे विचार में अर्हक मत पैरा (ii)(ख) और (iii) के आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर, तुलन—पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप—धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं; और
- d. In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph (ii)(b) and (iii), the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956; and
- ड. सरकारी कंपनी होने के कारण वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829 ड. दिनांक 21/10/2003 के अनुसार कंपनी पर निदेशकों को हटाने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(छ) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- e. Being a Government Company, the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors are not applicable to the company in terms of notification no. GSR 829 E dated 21/10/2003 issued by Ministry of Finance, Department of Company Affairs.



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तारीख की लेखा—परीक्षा रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार)
ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

(Referred to in Paragraph 1 under Report on Other Legal & Regulatory Requirements paragraph of our audit report of even date)

प्रश्न Queries

प्रबंधन के उत्तर Management Replies

ऐसी जांच के आधार पर, जो हमारे विचार में उपयुक्त हैं और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार है, हम उल्लेख करते हैं कि:—

On the basis of such checks as we considered appropriate and in terms of the information and explanations given to us, we state that:-

- i) नियत परिसंपत्तियों के संबंध में:
- i) In respect of Fixed Assets:
 - (क) कंपनी ने आम तौर पर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरणों और अवस्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाने के लिए समुचित रिकार्ड रखे हैं।

(a) The Company has generally maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.

(ख) जैसा कि प्रावधान द्वारा उल्लेख किया गया है कि कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार सभी नियत पिरसंपित्तियों का वर्ष की समाप्ति पर भौतिक सत्यापन कर लिया गया है, जो हमारे विचार में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां देखने में नहीं आई हैं।

(b) As stated by the management, all the fixed assets, according to the practice of the company, have been physically verified at the year end which, in our वास्तविक विवरण।

Statement of fact.

वास्तविक विवरण।

Statement of fact.



opinion, is reasonable, having regard to the size of the Company and the nature of its business. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such physical verification.

(ग) कंपनी ने भविष्य में बने रहने की अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए अपनी नियत परिसंपत्तियों के किसी पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया है। वास्तविक विवरण।

(c) The Company has not disposed off any substantial part of it's fixed assets so as to affect its going concern status. Statement of fact.

- ii) मांग सूची के संबंध में:
- ii) In respect of Inventories:
 - (क) जैसा कि हमें बताया गया है प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान माल—सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

वास्तविक विवरण।

(a) As explained to us, inventories were physically verified during the year by the management at the end of the year. Statement of fact.

(ख) हमारे मत में, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए माल—सूची के वास्तविक सत्यापन, जहाँ—कहीं ऐसा सत्यापन कराया गया था, की प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत पाई गई थी।

वास्तविक विवरण।

(b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the procedures of physical verification of inventories followed by the management were reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of it's business. Statement of fact.

(ग) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने अपनी माल—सूची का उचित रिकार्ड रखा गया है। बही खातों की तुलना में मांग—सूची के भौतिक सत्यापन में अनियमितताएं देखी गई थीं और इनका बही खातों के साथ

वास्तविक विवरण।



उचित रूप से निपटान किया गया है।

(c) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has maintained proper records of it's inventory. Discrepancies were noticed on physical verification of inventory as compared to book records and the same has been properly dealt with in books of accounts. Statement of fact.

iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रिजस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को न तो कोई ऋण, रक्षित या अरक्षित दिया है और न ही लिया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा—परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड (iii)(क) से (iii)(छ) के ऐसे प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

वास्तविक विवरण।

iii) The Company has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, the provisions of clause (iii) (a) to (iii) (g) of Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.

Statement of fact.

iv) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना के अनुसार माल—सूची तथा नियत परिसंपत्तियों की खरीद और वस्तुओं की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामान्यतः पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया मौजूद है। वास्तविक विवरण।

iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are generally adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchase of inventory and fixed assets and for sale of goods. Statement of fact.

v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित संविदाओं या व्यवस्था के संबंध में:

v) In respect of the contracts or arrangements



referred to in Section 301 of the Companies Act, 1956:

(क) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा—परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी ने कोई ठेका या व्यवस्था नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना होता है।

वास्तविक विवरण।

(a) On the basis of the audit procedures performed by us and according to the information, explanations and representations given to us, the company has not made any contracts or arrangements that need to be entered into the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. Statement of fact.

(ख) चूंकि कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई है। अतः आदेश के खण्ड (v)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। वास्तविक विवरण।

(b) As no contracts or arrangements have been made, the provisions of clause (v)(b) of the Order are not applicable to the company.

Statement of fact.

vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58क, 58कक या अन्य किसी संगत प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए आदेश के खण्ड (vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। वास्तविक विवरण।

vi) The Company has not accepted any deposit from the public pursuant to sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Companies Act 1956 and rules framed there under. Therefore, the provisions of clause (vi) of the Order are not applicable to the Company.

Statement of fact.

vii) हमारे विचार में कंपनी में उसके आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली है। वास्तविक विवरण।

vii) In our opinion, the company has internal audit

Statement of fact.



system commensurate with the size and nature of its business.

- viii) हमने भारतीय संघ सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए बही खातों की व्यापक तौर पर समीक्षा की है जिसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 की उप—धारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का अनुरक्षण निर्धारित किया गया है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्ट्या निर्धारित लेखा और रिकार्ड रखे गए हैं। तथापि, हमने इन रिकार्डों का सही या पूर्णतः की दृष्टि से पता लगाने के लिए विस्तृत जांच नहीं की है।
- viii) We have broadly reviewed the books of accounts maintained by the company pursuant to the order made by the Central Government of India for the maintenance of cost records under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 and are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records have been maintained. We have not, however, carried out a detailed examination of the records to ascertain whether they are accurate or complete.
- ix) सांविधिक बकाया देयता के संबंध में:
- ix) In respect of statutory dues:
 - (क) कंपनी वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उप—कर सहित अविवादित सांविधिक बकाया नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक भुगतान की जाने वाली राशि की तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए उपर्युक्त देयताओं के संबंध में कोई देय राशि विवादित नहीं है।
 - (a) The Company has been regular in depositing undisputed statutory dues including Provident fund, Investor Education and Protection Fund, Income

वास्तविक विवरण।

Statement of fact.

वास्तविक विवरण।

Statement of fact.



Tax, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues with the appropriate authorities during the year. According to the information and explanations given to us, no undisputed amount payable in respect of the aforesaid dues were outstanding as at March 31, 2013 for a period of more than six months from the date of becoming payable.

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, उप—कर के संबंध में कोई देयता नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो। सिवाय निम्नलिखित के:
- (b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Sales Tax, Income Tax, Wealth Tax, Service Tax, Excise Duty and Cess which have not been deposited on account of any dispute except the below:

वास्तविक विवरण।

Statement of fact.

| क्र. सं. SI. No. | सांविधिक का नाम Name of the Statue | देयताओं की प्रकृति Nature of the dues | राशि (₹ लाख में) Amount (₹ in lacs) | अवधि जिससे राशि संबंधित है Period to which amount relates | फोरम जहां विवाद लंबित है Forum where dispute is pending |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| 1. | बिक्री कर अधिनियम, बिहार | बिक्री कर/ वैट कर | 1.35 | वित्तीय वर्ष 2006—07 | सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना |
| 1. | Sales Tax Act, Bihar | Sales Tax/ VAT Tax | 1.35 | Financial year 2006-07 | Asstt Commissioner, Commercial Taxes, Patna |

- x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानि इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक हो गई है और कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। तथापि, कंपनी को इससे तत्काल पहले वित्तीय वर्ष में नकद हानि हुई थी।
- The accumulated loss of the Company at the end of the financial year exceeds fifty percent of its

वर्ष के दौरान कंपनी ने ब्याज, मूल्य ह्रास और पूर्व अवधि मदों से पहले 11,540.72 लाख रुपए का लाभ तथा 1169.27 लाख रुपए का नकद लाभ अर्जित किया है।

During the year Company earned operating profit of ₹ 11540.72 lacs before interest, depreciation & prior



net worth and the company has not incurred cash losses in the current financial year. However, the company had incurred cash losses in the immediately preceding financial year.

period items and cash profit ₹ 1169.27 lacs.

xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें दिए गए दस्तावेजों और रिकार्डों के आधार पर भारत सरकार से लिए गए ऋण को छोड़कर कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक की देनदारियों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने डिबेंचरों के जरिए कोई उधार नहीं लिया है।

वास्तविक विवरण।

xi) According to the information and explanations given to us and based on the documents and records produced to us, the company has not defaulted in payment of dues to the Financial Institution or Banks. Further, the company has not obtained any borrowings by way of debentures.

Statement of fact.

xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की शपथ द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है। वास्तविक विवरण।

xii) The Company has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

Statement of fact.

xiii) कंपनी कोई चिट फंड/निधि/परस्पर लाभ निधि/सोसायटी नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। वास्तविक विवरण।

xiii) The company is not a chit fund / nidhi / mutual benefit fund / society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the company.

Statement of fact.

xiv) हमारे विचार में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेश में लेनदेन या व्यापार नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी (लेखा—परीक्षक की रिपोर्ट) के खण्ड 4(xiv) के ऐसे प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। वास्तविक विवरण।



xiv) In our opinion, the company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments as such provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.

Statement of fact.

xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। वास्तविक विवरण।

xv) According to the information and explanations given to us and the representations made by the management, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from any bank or financial institution. Statement of fact.

xvi) कंपनी पर वित्तीय वर्ष के शुरू में भारत सरकार का 59,471 लाख रुपए (पिछले वर्ष 52,691 लाख रुपए) (मूल घटक) का बकाया आवधिक ऋण था। कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से आगे कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं हुआ है (पिछले वर्ष 6,780 लाख रुपए)। उपर्युक्त में से 54,171 लाख रुपए (पिछले वर्ष 48,956 लाख रुपए) उल्लिखित प्रयोजन पर इस्तेमाल किए जा चुके हैं और 5,300 लाख रुपए (पिछले वर्ष 10,515 लाख रुपए) की बकाया राशि को बैंक में आवधिक जमा राशि के रूप में उपयोग करने के लिए रखा गया है।

वास्तविक विवरण।

xvi) The company had an outstanding Term Loan from Government of India amounting to ₹ 59,471 lacs (Previous year ₹ 52,691 lacs) (principal component) at the beginning of the financial year. The company has not received any further term loan from Government of India during the year (Previous year ₹ 6,780 lacs). Out of the above, ₹ 54,171 lacs (Previous year ₹ 48,956 lacs) has been utilized for the stated purpose and balance amount of ₹ 5,300 lacs (Previous year ₹ 10,515 lacs) pending for utilization has been kept as Term Deposits with bank.

Statement of fact.



xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच करने के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर कोई निधियां नहीं जुटाई गई हैं। वास्तविक विवरण।

xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Financial Statements of the Company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term investment. Statement of fact.

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों का कोई अधिमान आबंटन नहीं किया है। वास्तविक विवरण।

xviii) During the year, the company has not made preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.

Statement of fact.

xix) कंपनी ने लेखा—परीक्षा वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। इसलिए, कंपनी पर कंपनी (लेखा—परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xix) के प्रावधान लागू नहीं होते। वास्तविक विवरण।

xix) On the basis of the records and documents examined by us, the Company has not issued any debentures during the year. Therefore the provisions of clause 4(xix) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.

Statement of fact.

xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटाई है।

वास्तविक विवरण।

xx) The company has not raised any money by public issue during the year.

Statement of fact.

xxi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के ध्यान में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। वास्तविक विवरण।

xxi) According to the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year.

Statement of fact.



31 मार्च 2013 तक का तुलन पत्र BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| | | | | | | (₹ in Lacs) |
|-----|------------------------------------|----|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| विव | रण | | PARTICULARS | NOTES | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
| ı | इक्विटी और देनदारियां | 1 | EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| क | शेयरधारकों की निधियां | Α | Shareholders' Funds | | | |
| | (क) शेयर पूंजी | | (a) Share Capital | 2.1 | 36,583.24 | 36,583.24 |
| | (ख) रिजर्व ओर अधिशेष | | (b) Reserves and Surplus | 2.2 | (81,111.18) | (77,847.57) |
| | | | | | (44,527.94) | (41,264.33) |
| ख | गैर-वर्तमान देनदारियां | В | Non-Current Liabilities | | | |
| | (क) दीर्घावधि उधार | | (a) Long-Term Borrowings | 2.3 | 19,005.30 | 28,900.50 |
| | (ख) अन्य दीर्घावधि देनदारियां | | (b) Other Long-Term Liabilities | 2.4 | 1,203.02 | 1,170.06 |
| | (ग) दीर्घावधि प्रावधान | | (c) Long-Term Provisions | 2.5 | 4,531.38 | 4,157.57 |
| | | | | | 24,739.70 | 34,228.13 |
| ग | वर्तमान देनदारियां | С | Current Liabilities | | | |
| | (क) व्यापार देयताएं | | (a) Trade Payables | 2.6 | 5,630.64 | 6,178.51 |
| | (ख) अन्य वर्तमान देनदारियां | | (b) Other Current Liabilities | 2.7 | 111,186.37 | 87,794.05 |
| | | | | | 116,817.01 | 93,972.56 |
| | योग (क+ख+ग) | | TOTAL (A+B+C) | | 97,028.77 | 86,936.36 |
| II | परिसंपत्तियां | II | ASSETS | | | |
| घ | गैर—वर्तमान परिसंपत्तियां | D | Non-Current Assets | | | |
| | (क) नियत परिसंपत्तियां | | (a) Fixed Assets | | | |
| | (i) मूर्त संपत्त्यां | | (i) Tangible Assets | 2.8 | 41,133.36 | 45,151.21 |
| | (ii) अमूर्त संपत्त्यां | | (ii) Intangible Assets | 2.8 | 4.86 | 1.80 |
| | (iii) चल रहा पूंजीगत कार्य | | (iii) Capital Work-in-Progress | 2.8 | 2,922.53 | 2,092.70 |
| | (iv) विकास के अधीन परियोजना | | (iv) Project Under Development | 2.8 | 578.40 | 561.00 |
| | (ख) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम | | (b) Long-Term Loans and Advances | 2.9 | 1,336.67 | 884.16 |
| | (ग) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां | | (c) Other Non-Current Assets | 2.10 | - | 255.11 |
| | | | | | 45,975.82 | 48,945.98 |
| ड. | वर्तमान परिसंपत्तियां | E | Current Assets | | | |
| | (क) माल-सूची | | (a) Inventories | 2.11 | 5,421.23 | 3,718.82 |
| | (ख) व्यापार प्राप्तियां | | (b) Trade Receivables | 2.12 | 19,842.73 | 10,653.99 |
| | (ग) नकद और नकद समकक्ष | | (c) Cash and Cash Equivalents | 2.13 | 24,943.59 | 23,105.58 |

तुलन पत्र जारी/BALANCE SHEET (Contd.)

| विवरण | PARTICULARS | NOTES | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| (घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम | (d) Short-Term Loans and Advances | 2.14 | 754.61 | 450.70 |
| (ड.) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | (e) Other Current Assets | 2.15 | 90.79 | 61.29 |
| | | | 51,052.95 | 37,990.38 |
| योग (घ+ड.) | TOTAL (D+E) | | 97,028.77 | 86,936.36 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 1 | | |
| वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां | Notes on Financial Statements | 2 | | |

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से For and on behalf of the Board

ह0 / -(आर.के. गुप्ता) कंपनी सचिव Sd/-(R.K.Gupta) Company Secretary ह0 / — (सी.वी. कृष्णा) निदेशक Sd/-(C.V. Krishna) Director ह0 / – (एस.डी. सिंह) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Sd/-(S.D. Singh) Chairman & Managing Director

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date annexed

> कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 310003ई For G. Choudhury & Associates Chartered Accountants Firm Regn. No. 310003E

> > ह0 / — गोपाल चौधरी पार्टनर सदस्यता सं0 017022 Sd/-Gopal Choudhury Partner Membership No. 017022

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 अगस्त, 2013 Place : New Delhi Date : August 30, 2013



31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाम और हानि का विवरण STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ in Lacs)

| | | | | | | (₹ III Lacs) | |
|-----|---|---|--|------------|-------------------|-------------------|--|
| विव | ारण | | PARTICULARS | NOTES | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 | |
| क | राजस्व | Α | REVENUE | | | | |
| | प्रचालनों से राजस्व (सकल) | | Revenue from Operations (Gross) | 2.16 | 56,998.97 | 40,710.12 | |
| | घटाः उत्पाद शुल्क | | Less: Excise Duty | | 169.49 | 126.25 | |
| | प्रचालनों से राजस्व (निवल) | | Revenue from Operations (Net) | 2.16 | 56,829.48 | 40,583.87 | |
| | अन्य आय | | Other Income | 2.17 | 2,906.96 | 2,357.11 | |
| | कुल (क) | | TOTAL (A) | | 59,736.44 | 42,940.98 | |
| ख | व्यय | В | EXPENSES | | | | |
| | उपभोज्य सामग्रियों की लागत | | Cost of Materials Consumed | 2.18 | 12,106.13 | 8,321.17 | |
| | स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद | | Purchases of Stock-in-Trade | 2.19 | 1,980.69 | 3,408.57 | |
| | तैयार वस्तुओं की माल–सूची में परिवर्तन चल रहा कार्य और स्टॉक–इन–ट्रेड | | Changes in Inventories of Finished Good Intermediate Products/Goods and Stock-in-Trade | s, 2.20 | (623.62) | (248.37) | |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | | Employee Benefits Expenses | 2.21 | 6,421.50 | 5,026.27 | |
| | वित्तीय लागत | | Finance Costs | 2.22 | 9,078.60 | 8,111.95 | |
| | मरम्मत और अनुरक्षण | | Repairs & Maintainence | 2.23 | 760.63 | 1,199.94 | |
| | विद्युत और ईंधन | | Power & Fuel | 2.24 | 20,936.61 | 16,185.43 | |
| | भाड़ा और ढुलाई व्यय | | Freight & Handling Expense | 2.25 | 3,548.33 | 2,795.25 | |
| | मूल्य हास और ऋणमुक्ति व्यय | | Depreciation and Amortisation Expenses | 2.8 | 4,432.88 | 4,364.48 | |
| | अन्य व्यय | | Other Expenses | 2.26 | 3,064.94 | 2,392.76 | |
| | योग (ख) | | TOTAL (B) | | 61,706.69 | 51,557.45 | |
| ग | वर्तमान वर्ष (क—ख) के लिए लाभ / (हानि) | С | Profit / (Loss) for the Current year (A- | 3) | (1,970.25) | (8,616.47) | |
| घ | पूर्व अवधि समायोजन (निवल) | D | Prior Period Adjustments (Net) | 2.27 | 1,293.36 | 4,264.97 | |
| ভ. | पूर्व अवधि समायोजन के बाद लाभ / (हानि) | E | Profit / (Loss) after Prior Period Adjustments | | (3,263.61) | (12,881.44) | |
| च | कर व्ययः (क) वर्तमान कर (क) आस्थगित कर | F | Tax Expense: (a) Current Tax (b) Deferred Tax | 2.28 | - - | - - | |
| ਬ | वर्ष (ड़-च)के लिए लाभ/(हानि) | G | Profit / (Loss) for the year (E-F) | | (3,263.61) | (12,881.44) | |
| | आय प्रति शेयर (प्रत्येक रु.1000 / —): मूल और मिश्रित | | Earnings per share (of ₹ 1000/- each): Basic and Diluted | 2.29 | (89.21) | (352.11) | |

ह0 ∕ −

(आर.के. गुप्ता) कंपनी सचिव

Sd/-

(R.K.Gupta)

Company Secretary

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant Accounting Policies 1

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements 2

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह0 / — (सी.वी. कृष्णा) निदेशक **Sd/-**

(C.V. Krishna) Director (एस.डी. सिंह) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Sd/-(S.D. Singh)

Chairman & Managing Director

ह0 ∕ −

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date annexed

> कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 310003ई For G. Choudhury & Associates Chartered Accountants

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 310003E
ह0 / —
गोपाल चौधरी

गापाल चाधरा पार्टनर सदस्यता सं0 017022 Sd/-Gopal Choudhury Partner Membership No. 017022

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 अगस्त, 2013 Place : New Delhi Date : August 30, 2013



31 मार्च, 2013 के लिए नकद प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2013

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | 3 | 2012-13 | 20 | 11-12 |
|---|--|------------|------------|----------|-------------|
| प्रचालन कार्यकलापों से नकदी : | CASH FLOW FROM OPER ACTIVITIES : | ATING | | | |
| कर पूर्व लाम / (हानि) : | Profit/(Loss) before tax : | | (3,263.61) | | (12,881.44) |
| जमाः गैर—नकद मदों और अन्य के लिए समायोजन प्रचालन कार्यकलाप | Add: Adjustments for Non Cash items & other than Operating Activities | | | | |
| – मूल्य हास | - Depreciation | 4,432.88 | | 4,364.48 | |
| – ब्याज व्यय | - Interest Expense | 9,078.60 | | 8,111.95 | |
| — पुरानेपन के लिए प्रावधान | - Provision for Obsolesence | - | | (0.34) | |
| छुट्टी के नकद भुगतान के लिए प्रावधान | - Provision for Leave Encashment | 412.55 | | 317.67 | |
| – संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा राशि | - Doubtful Debts, Advances & deposits | 19.34 | | 5.54 | |
| – उपदान के लिए प्रावधान | - Provisions for Gratuity | 611.13 | | 620.40 | |
| – नियत परिसंपत्तियों की बिकी पर लाभ | - Profit on sale of Fixed Assets | - | | (0.11) | |
| पूंजीकरण पर बट्टे खाते में डाली गई नियत पिसंपत्तियों को बदला | Replaced fixed Assets written off on Capitalisati | ion 182.71 | | - | |
| – बट्टे खाते डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय | - Deferred Revenue Expenditure w/off | 255.11 | | 89.37 | |
| – पूर्व अवधि मदें | - Prior Period items | | | | |
| प्रारंभिक व्यय पुनः लिखा गया | Preliminary Expenses Written Back | - | | (102.20) | |
| अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को पुनः लिखा गया | Excess Excise duty written back | (0.17) | | (0.41) | |
| भारत सरकार के ऋण पर ब्याज | Interest on GoI Loan | 877.99 | | 1,985.89 | |
| पूंजीकरण पर बट्टे खाते में डाली गई नियत परिसंपत्तियों को बदला | Replaced fixed Assets written off on Capitalisation | 438.09 | | - | |
| मूल्य द्यस | Depreciation | 0.16 | 16,308.39 | 0.17 | 15,392.41 |

नकद प्रवाह विवरण (जारी)/CASH FLOW STATEMENT (Contd.)

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | 2012-13 | 20 | 11-12 |
|---|---|--------------------|----------|------------|
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन कर और असाधारण मदों से पहले प्रचालन से नकदी | Cash flow from Operation Before Working Capital Changes, Taxes & Extraordinary Items | 13,044.78 | , | 2,510.97 |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजनः | Adjustments for Working Capital changes: | | | |
| – व्यापार और अन्य प्राप्यों में (वृद्धि) / कमी | - (Increase)/Decrease in Trade and Other Receivable (9, | 458.50) | 3,154.34 | |
| – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी | - (Increase)/Decrease in Other Non Current Assets | - | (227.50) | |
| – मांग–सूची में (वृद्धि) ∕ कमी | - (Increase)/Decrease in Inventory (1, | 702.41) | (66.89) | |
| – व्यापार देयता और अन्य देयता में वृद्धि ∕ (कमी) | Increase/(Decrease) in Trade Payable and other payables | ,025.79 | 98.75 | |
| – उपदान और छुट़टी का नकद भुगतान | - Gratuity and Leave encashment paid (| 649.87) (8,784.99) | (638.65) | 2,320.05 |
| प्रचालन कार्यकलापों से नकद का आंतरिक प्रवाह (क) | Cash Inflow from Operating Activities (A) | 4,259.79 | | 4,831.02 |
| निवेश कार्यकलापों से नकद : | CASH FLOW FROM INVESTIN ACTIVITIES : | G | | |
| नियत परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की खरीद | Purchase of Fixed Assets & CWIP | (1,886.32) | | (5,390.71) |
| नियत परिसंपत्तियों की बिक्री | Sale of Fixed Assets | 0.04 | | 0.11 |
| सीडब्ल्यूआईपी के लिए अग्रिम | Advances for CWIP | (535.50) | | 51.73 |
| निवेश कार्यकलापों से नकद का बाहर की ओर प्रवाह (ख) | Cash Outflow from Investing Activities (B) | (2,421.78) | | (5,338.87) |
| वित्तीय कार्यकलापों से नकद : | CASH FLOW FROM FINANCIN ACTIVITIES : | IG | | |
| असुरक्षित ऋण में वृद्धि | Increase in Unsecured Loan | - | | 6,780.00 |
| वित्तीय कार्यकलापों से नकद आंतरिक प्रवाह (ग) | Cash Inflow from Financing Activities (C) | - | | 6,780.00 |
| नकद और नकद समकक्ष में निवल नकद वृद्धिः (क+ख+ग) | NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS: (A+B+C) | 1,838.01 | | 6,272.15 |



| 2011-12 |
|-----------|
| |
| |
| 16,833.43 |
| |
| |
| 23,105.58 |
| |

टिप्पणियां:

- नकद और नकद समकक्ष शामिल है: नकद और बैंक बकाया, अल्प अवधि और अन्य जमा राशि, जो अत्यधिक तरल और नकदी हैं, जब कभी आवश्यकता हो।
- ♦ नियत परिसेंपत्तियों की खरीद निवल समायोजन के रूप में दर्शाई गई है। ♦ Purchase of Fixed Assets has been shown net of Adjustments.
- 🂠 नकद प्रवाह विवरण लेखांकन में निर्धारित अनुसार "अप्रत्यक्ष पद्धित" के 💸 Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect अंतर्गत तैयार किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर मानक (एएस) – 3
- 💠 पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां-कहीं आवश्यक पाया गया, पुनः समूह / पुनः 💠 The Previous Year's figures have been regrouped / rearranged, व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि की जा सके।

Notes:

- · Cash and Cash Equivalents include : Cash & Bank Balances, Short term and other deposits, which are highly liquid and encashable as and when needed.
- method" as set-out in Accounting Standard (AS) 3 on Cash Flow Statement issued by ICAI
- wherever found necessary to confirm to current year's presentation.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह0 / -(आर.के. गुप्ता) कंपनी सचिव Sd/-(R.K.Gupta) Company Secretary

ह0 / -(सी.वी. कृष्णा) निदेशक Sd/-(C.V. Krishna) Director

ह0 / -(एस.डी. सिंह) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Sd/-(S.D. Singh) Chairman & Managing Director

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date annexed

> कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 310003ई For G. Choudhury & Associates Chartered Accountants Firm Regn. No. 310003E

> > ह0 ∕ −

गोपाल चौधरी पार्टनर सदस्यता सं0 017022 Sd/-Gopal Choudhury **Partner** Membership No. 017022

: नई दिल्ली स्थान दिनांक : 30 अगस्त, 2013 Place : New Delhi : August 30, 2013 Date

(क) नियत परिसंपत्तियां

- (i) नियत परिसंपत्तियों को कम सिंचित मूल्य ह्रास पर उल्लेख किया गया है।
- (ii) लागत में खरीद की लागत तथा अन्य व्यय जैसे स्थापना लागत, आंतरिक भाड़ा, गैर—प्रतिदेय कर तथा परिसंपत्ति को उसके वर्तमान स्थल पर लाने से लेकर उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने तक अन्य कोई व्यय शामिल है।
- (iii) नियत परिसंपिततयों की लागत के अलावा, निर्माण और स्थापना अवधि के दौरान खर्च राजस्व व्यय वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने तक पूंजी में परिणत किया जाता है। वाणिज्यिक उत्पाद के शुरू होने से पूर्व आनुषंगिक आय को परियोजना की लागत में शामिल किया जाता है।
- (iv) संयंत्र और मशीनरी के संयोजन में प्रमुख मरम्मत और नवीकरण और प्रतिस्थापन शामिल है जो संयंत्र की आयु और दक्षता बढ़ा देगा। ऐसे मामलों में, यदि बदली गई परिसंपत्ति का लिखित न्यूनतम मूल्य पता न लगाया जा सकता हो तो लेखाओं में समायोजन के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है।
- (v) मशीनरी पुर्जें, जिन्हें केवल नियत परिसंपत्तियों की मद के संबंध में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और जिनका उपयोग नियमित होने की संभावना है, को पूंजीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य-हास

- (i) 5000 / रुपए तक की मशीनरी, उपकरणों और कार्यालय उपकरणों का संयोजक वर्ष में पूरी तरह मूल्य ह्रास किया जाता है।
- (ii) मूल्य ह्रास यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची—XIV में निर्धारित संशोधित दरों पर ''सीधी रेखा पद्धति'' पर लिया जाता है जो परिसंपत्तियों

(A) FIXED ASSETS

- (i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation.
- (ii) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as installation cost, inward freight, non-refundable taxes and any other expenses incurred for bringing the asset in its current location till it is ready to use.
- (iii) Apart from cost of Fixed Assets, Revenue Expenditure incurred during construction and commissioning period is capitalized till commencement of commercial production. Incidental Income prior to commencement of commercial production is set-off against the cost of the Project.
- (iv) Additions to Plant & Machinery include major repairs as well as renewals and replacements which will increase life and efficiency of the Plant. In such cases, if the written down value of the assets replaced is not ascertainable, technical valuation is made for adjustment in the accounts.
- (v) Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed assets and whose use is expected to be irregular are capitalized.

(B) DEPRECIATION

- (i) Machinery, Equipments and Office Appliances costing up to ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.
- (ii) Depreciation is charged on "Straight Line Method", at the revised rates prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 1956, as



की मूल लागत का 95% होता है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी (पुनरुद्धार) के लिए 5.28% की तुलना में 6.33% प्रभार लिया जाता है ताकि एफआईसीसी मूल्य—निर्धारण नीति और मैसर्स पीडीआईएल की परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ बराबरी रखी जा सके।

- (iii) उपर्युक्त पैरा क (v) में उल्लिखित मशीनरी पुर्जों की लागत को मूल संयंत्र की उपयोगी आयु की तुलना में परिशोधित किया जाता है।
- (iv) परिसंपत्तियों को स्थापित करने और उनका इस्तेमाल करने पर मूल्य हास उपलब्ध कराया जाता है।
- (v) पट्टाधारित भूमि का मूल्य (प्रारंभिक भुगतान) को पट्टा अवधि के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

(ग) उधार लागत

अर्हक परिसंपित्तियों के अर्जन/निर्माण के संबंध में खर्च की गई उधार लागत उस तारीख तक ऐसी परिसंपित्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत हैं जब ये परिसंपित्तियां वांछित उपयोग करने के लिए तैयार हों। अन्य उधार लागत को वर्ष में खर्च के रूप में लिखा जाता है जिनमें यह खर्च की गई हो।

(घ) माल-सूची मूल्यांकन

- (i) माल-सूची में कच्ची सामग्रियां, पैकिंग सामग्री, भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों, अर्द्ध तैयार उत्पाद / वस्तुएं और तैयार स्टॉक शामिल हैं।
- (ii) कच्ची सामग्री का मूल्य लागत पर दिया गया है (मासिक भारित औसत)।
- (iii) पैकिंग सामग्रियों तथा भंडार गृह और अतिरिक्त पुर्जों के मासिक भारित औसत या तकनीकी अनुमान, जो भी कम हो, के आधार पर लागत (जिसमें वर्तमान स्थिति और स्थल को सामग्रियों तक लाने

amended, except for Plant & Machinery (Revamp) is being charged @ 6.33% against 5.28% as per Companies Act, 1956, to keep parity with the FICC Pricing Policy and as well as the project feasibility report of M/s PDIL to the extent of 95%, on the original cost of the assets.

- (iii) The cost of Machinery spares referred to in Para A (v) above are amortized over the useful life of the Original Plant.
- (iv) Depreciation is provided on the assets after they are certified to be installed and put to use.
- (v) The value (initial payments) of Leasehold Land is amortized over the period of lease.

(C) BORROWING COST

Borrowing costs incurred in relation to the acquisition/construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. Other borrowing costs are charged as an expense in the year in which these are incurred.

(D) INVENTORIES

- Inventory includes Raw Materials, Packaging Material, Stores & Spares, Intermediate product/ goods and finished stock.
- (ii) Raw Materials are valued at cost (monthly weighted average).
- (iii) Packaging Materials and Stores & Spares are valued at Cost (inclusive of expenses incidental to bring the materials to the present condition and location less duties and taxes recoverable



का आनुशंगिक व्यय शामिल है तथा कर प्राधिकारियों से कंपनी द्वारा वसूले गए शुल्क और करों को घटाकर) का मूल्य लिया जाता है।

- (iv) खुले उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला गया है।
- (v) स्टॉक :
 - (क) तैयार वस्तुएं :--

यूरिया का मूल्य न्यून लागत पर या निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जिसमें रियायत मूल्य राजसहायता और भाड़ा राजसहायता, जहां भाड़ा व्यय भाग राजसहायता से अधिक होता है, पर लिया जाता है।

- (ख) अमोनिया जैसे मध्यवर्ती उत्पाद / वस्तुओं को लागत के कम मूल्य या निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर लिया जाता है।
- (ग) अग्रेनीत तैयार उत्पादों को न्यून लागत या निवल प्राप्त योग्य मूल्य पर लिया जाता है।
- (घ) कंपनी ने पूंजी भंडारों तथा अन्य भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के लिए मांग सूची का वर्ष—वार प्रावधान करने के लिए एक व्यापक नीति बनाई है।

प्रावधान नीति निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | आयु वार मद श्रेणी | प्रावधान % |
|-------------|--|---------------|
| 1 | 5 वर्षों से न उठाई गई मदें | शून्य |
| 2 | 5—10 वर्षों से न उठाई गई मदें | 5 |
| 3 | 10—15 वर्षों से न उठाई गई मदें | 10 |
| 4 | 15—20 वर्षों से न उठाई गई मदें | 15 |
| 5 | 20 वर्षों से अधिक से न उठाई गई मदें | 50 |

by company from taxing authorities) on the basis of monthly weighted average or technical estimates, whichever is lower.

- (iv) Loose tools are written-off over a period of three years.
- (v) Stocks of:

(a) Finished Goods :-

Urea is valued at lower of cost or net realizable value comprising concessional price subsidy and freight subsidy where freight expenses are more than the freight subsidy.

- (b) Intermediate products/ goods like Ammonia is valued at lower of cost or net realizable value.
- (c) Bought out finished products are valued at lower of cost or net realizable value.
- (d) The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning of inventory for capital stores and other stores & spares.

The provision policy is as follows:-

| SI. No. | Age wise item category | Provision % |
|------------|--|-------------|
| 1 | Items not moved up to 5 years | Nil |
| 2 | Items not moved for 5-10 years | 5 |
| 3 | Items not moved for 10-15 years | 10 |
| 4 | Items not moved for 15-20 years | 15 |
| 5 | Items not moved for more than 20 years | 50 |



उपर्युक्त अनुसार या बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई प्रावधान राशि, जो भी कम हो।

(ड.) राजसहायता

राजसहायता की बिलिंग और गणना गंतव्य स्थल पर उर्वरक की प्राप्ति के आधार पर की जाती है। तथापि, लेखाओं में राजसहायता के ऋण को केवल बेची गई मात्राओं पर ही लिखा जाता है। एफआईसीसी से अधिसूचना के प्राप्त होने तक आदान मूल्यों में परिवर्तन के लिए राजसहायता में समायोजन की गणना दिशा—निर्देशों, नीतियों, सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रतिधारण मूल्यों में अंतर के आधार पर की जाती है।

(च) राजस्व मान्यता

- (i) एमएमटीसी के साथ समझौता—ज्ञापन (करार) के अनुसार तय दर के आधार पर निर्यात बिक्री को लेखा में शामिल किया जाता है बशर्ते कि भारत सरकार की नीति और उसके द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार समायोजन किया जाए।
- (ii) आय/व्यय की सामान्यतः प्रोद्भूत आधार पर गणना की जाती है जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया जाए।
- (iii) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज की गणना मूलधन की पूरी वसूली होने के बाद की जाती है।
- (iv) कबाड़ / बचे हुए माल / अपशिष्ट सामग्रियों की गणना बेचने पर ही की जाती है।

(छ) प्रदत्त-पूर्व व्यय

आगामी वर्ष (वर्षों) से संबंधित अग्रिम के खर्च किए

The provision amount calculated as above or as per the report of the external independent valuer, whichever is less.

(E) SUBSIDIES

The subsidy is billed and accounted for on the basis of receipt of fertilizer to the destination itself. However, the credit for subsidy in the accounts is taken only for the quantities sold. Pending receipt of notification from FICC, the adjustment in subsidy for variation in input prices is accounted for on the basis of variation in the concession prices on estimation basis taking into account the guidelines, policies, instructions and clarifications given by the Government.

(F) REVENUE RECOGNITION

- (i) Export sale accounted for based on the rate as per Memorandum of Understanding (Agreement) with MMTC subject to the adjustment as per policy and guidelines issued by the Govt. of India.
- Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise specifically stated.
- (iii) Interest on Advances to Employees is accounted for after the principal is fully recovered.
- (iv) Scrap/Salvage/Waste Materials are accounted for as and when sold.

(G) PRE-PAID EXPENSES

Expenditure up to ₹ 10,000/- in each case

गए प्रत्येक मामले में 10,000/— रुपए तक व्यय की गणना की जाती है जिनमें यह खर्च किया गया हो।

(ज) अवधि-पूर्व समायोजन

अवधि (अवधियों) से संबंधित आय/व्यय की गणना केवल भूल—चूक के मामलों में ही की जाती है।

(झ) आस्थगित राजस्व और विकास व्यय

निर्माण अवधि के दौरान बिक्री संवर्धन, स्टॉफ प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, आदि पर खर्च की गई राशि को पांच वर्षों की अवधि के लिए बटटे खाते में डाला जाता है।

(ञ) उत्प्रेरक पर व्यय

उत्प्रेरक की खपत के लिए किए गए व्यय को लेखांकन मानक के साथ समकक्षता बनाए रखने के लिए उसे राजस्व में अंतरित किया जाता हैं।

(ट) सेवा-निवृत्ति लाभ

उपदान और छुट्टी नकदी देनदारी का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ठ) कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान

कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान की गणना भुगतान किए जाने पर दर्ज की जाती है।

(ड) सहायता अनुदान – वीआरएस

स्वैच्छिक सेवा—निवृत्ति योजना के लिए सहायता अनुदान के उपयोग की गणना नकद आधार पर की जाती है। incurred in advances relating to the following year(s), is accounted for in the year in which it is incurred.

(H) PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

Income/Expenditure relating to prior period(s) is accounted for only in cases of errors or omissions.

(I) DEFERRED REVENUE AND DEVELOPMENT EXPENDITURE

Expenditure incurred on sales promotion, staff training, Research and Development etc. during construction period is written off over a period of five years.

(J) EXPENDITURE ON CATALYST

Expenditure incurred towards consumption of catalyst is transferred to revenue to keep parity with Accounting Standard.

(K) RETIREMENT BENEFITS

Provision for gratuity and leave encashment liability is made on the basis of actuarial valuation.

(L) PAYMENT UNDER COMPANY'S FAMILY PENSION SCHEME

Payment under Company's Family Pension Scheme is accounted for as and when paid.

(M) GRANT IN AID-VRS

Utilization of Grant in Aid against Voluntary Retirement Scheme is accounted for on cash basis.



(ढ) आस्थगित कराधान

आस्थिगित कर को विवेकानुसार विचार करने, समय अंतराल, कर योग्य एवं लेखाकरण आय/व्यय के बीच अंतर होने पर मान्यता दी जाती है जो एक अविध में होती है तथा जिसमें बाद की एक या अधिक अविध / अविधयों को उलटने की क्षमता हो। आस्थिगित कर परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह 'वास्तिवक रूप से निश्चित'' न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिनकी तुलना में इन्हें ऐसे आस्थिगित कर की परिसंपत्तियों को प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ण) विदेश मुद्रा लेनदेन

भावी ठेकों में शामिल न की गई विदेशी मुद्रा परिसंपित्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर लिखा जाता है। नियत परिसंपित्तियों से संबंधित विनिमय अंतर को परिसंपित्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य कोई विनिमय अंतर को लाभ और हानि लेखा में डाला जाता है।

(त) परिसंपत्तियों की हानि

किसी संपत्ति को तब हानि माना जाता है जब परिसंपत्तियों की निष्पादन लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाए। इस हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा में लिखा जाता है जिस वर्ष में किसी परिसंपत्ति की हानि के रूप में पहचान और घोषणा की जाती है। लेखा—पूर्व अवधि में मान्य हानि को तभी उलटा जाता है जब वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है।

(थ) निवेश

सभी निवेशों का उल्लेख लागत पर किया गया है। तथापि, निवेशों के मूल्य में अस्थायी के अलावा गिरावट का पता लगाने के लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान किया गया है।

(N) DEFERRED TAXATION

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, on timing differences, being difference between taxable and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "Virtual Certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(O) FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Foreign currency assets and liabilities not covered by forward contracts are stated at rates ruling at the year end. Exchange differences relating to fixed assets are adjusted in the cost of the assets. Any other exchange differences are dealt with in the Profit and Loss Account.

(P) IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit & Loss Account in the year in which an asset is identified and declared as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

(Q) INVESTMENTS

All investments are stated at cost. However, a provision for diminution in value is made to recognize a decline other than temporary in the value of investment.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से For and on behalf of the Board

ह0 / – (आर.के. गुप्ता) कंपनी सचिव Sd/-

कंपनी सचिव Sd/-(R.K.Gupta) Company Secretary ह0 /— (सी.वी. कृष्णा) निदेशक Sd/-(C.V. Krishna) Director ह0 / – (एस.डी. सिंह) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Sd/-(S.D. Singh) Chairman & Managing Director

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date annexed

> कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 310003ई For G. Choudhury & Associates Chartered Accountants Firm Regn. No. 310003E

> > ह0 / — गोपाल चौधरी पार्टनर सदस्यता सं० 017022 Sd/-Gopal Choudhury Partner Membership No. 017022

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 अगस्त, 2013 Place : New Delhi Date : August 30, 2013



टिप्पणी 2. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां NOTE 2. NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| टिप्पणी २.1 : शेयर पूंजी | NOTE 2.1 : SHARE CAPITAL | | |
| प्राधिकृत पूंजी : प्रत्येक 1000/— रुपए के 51,00,000 इक्विटी शेयर | Authorised Capital : 51,00,000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each | 51,000.00 | 51,000.00 |
| जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी : | Issued, Subscribed & Paid up Capital : | | |
| प्रोमोटरों का योगदान प्रत्येक 1000/— रुपए के 100 इक्विटी शेयर | Promoters' Contribution 100 Equity Shares of ₹ 1,000/- each | 1.00 | 1.00 |
| अन्य भारत सरकार को जारी प्रत्येक 1000 / — रुपए के 3658224 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 1000 / — रुपए के 3070224 साम्या शेयर जिन्हें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 01.04.02 से 05.04.2002 तक निवल परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए जारी किया गया था। | Others 36,58,224 Equity Shares of ₹ 1,000/- each issued to Govt. of India out of which 30,70,224 Equity Shares of ₹ 1,000 /- each issued against transfer of Net Assets as at 05.04.2002 w.e.f. 01.04.02 from Hindustan Fertilizer Corporation Limited. | 36,582.24 | 36,582.24 |
| | · | 36,583.24 | 36,583.24 |

5% शेयरों से अधिक के शेयरधारक रखने वालों का ब्योरा : The details of shareholders holding more than 5% shares :

| क्र.सं. | शेयरों की सं. | शेयर धारकों का नाम | धारित प्रतिशत | धारित प्रतिशत |
|---------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. | 3658224 | भारत सरकार | 100% | 100% |
| SI.No. | No. of shares | Name of Share holders | % held | % held |
| 1. | 3658224 | Govt. of India | 100% | 100% |

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...) NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| | | | | (₹ in Lacs) |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| विवरण | PAR | TICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
| टिप्पणी 2.2 : आरक्षण और अधिशेष | NOTE 2.2 | : RESERVES AND SURPLUS | | |
| लाभ और हानि खाता अधिशेष बकाया | Statement of Opening Ba | of Profit and Loss lance | (77,847.57) | (64,966.13) |
| जमाः वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) | Add: During | the year Profit/(Loss) | (3,263.61) | (12,881.44) |
| अंत शेष | Closing Balance | | (81,111.18) | (77,847.57) |
| नकारात्मक निवल मूल्य की समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने सार्वजनिक उद्यमों के पुनर्गठन के लिए बोर्ड से निम्नलिखित छूट प्राप्त करने के लिए उर्वरक विभाग, भारत सरकार को अपनी दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: | company ha long term v Governmen | te the problem of negative networth, the s submitted comprehensive proposal for it's viability to the Department of Fertilizers, t of India (GoI) for seeking following from Board for reconstruction of Public rprises: | | |
| दिनांक 20.09.2012 तक भारत सरकार के ऋणों पर प्राप्त 51,415 लाख रुपए के कुल संचयी ब्याज को माफ करना। | | of total cummulative interests of ₹ 51,415 crued on Gol loans till 30.09.2012. | | |
| नामरूप–I के पुनरुद्धार हेतु लिए गए 2,196 लाख रुपए के ऋण को माफ करना क्योंकि यह संयंत्र स्थायी रूप से बंद है। | | of loan of ₹ 2,196 lacs taken for revamp of old, since this plants has been permanently d. | | |
| गणिंग की विगासन दुस की गणाना करने के लिए | 2 Possar | sice capital expenditure of ₹ 7.062 lace | | |

- यूरिया की रियायत दर की गणना करने के लिए
 भारत सरकार द्वारा नामरूप—III पुनरुद्धार परियोजना के लिए 31.03.2003 के बाद किए 7,962 लाख रुपए के पूंजीगत व्यय को मान्यता देना।
- कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध 4. कराए गए भारत सरकार के ऋणों को परिवर्तित करना। तथापि, कंपनी लाभ अर्जित करने पर भारत सरकार के ऋणों को लौटा देगी।
- वेतन संशाधन के लिए लागू भारत सरकार के 5. दिशानिर्देशों के लाभप्रदत्ता खंड में छूट देना तथा जनशक्ति के तत्काल संकट से निपटने के लिए विशष छूट के रूप में अधिवर्षिता की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 करना।
- नामरूप (नामरूप–IV) में एक नए ब्राउनफील्ड 6. अमोनिया—यूरिया संयत्र की स्थापना करना।

- Recognise capital expenditure of ₹ 7,962 lacs incurred beyond 31.03.2003 for Namrup-III Revamp Project by GoI for calculating the concession rate of urea.
- Convert Gol loans provided to the company as interest free loan. However, the company on earning profit will service the Gol loans.
- Relax profitability clause of applicable Gol guidelines for pay revision and enhancement of age of superannuation from 58 to 60 years as a special dispensation to meet the immediate crisis of manpower.
- Setup a new brown field Ammonia-Urea Plant at Namrup (Namrup-IV).



वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...) NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| टिप्पणी 2.3 : दीर्घावधि उधार | NOTE 2.3 : LONG-TERM BORROWING | | |
| 1. असुरक्षित ऋण | 1. Unsecured Loan | | |
| भारत सरकार से ऋण | Loan from Govt. of India | 19,005.30 | 28,900.50 |
| योग | Total | 19,005.30 | 28,900.50 |
| 2. दीर्घावधि उधार का बकाया : | 2. Balances of Long Term Borrowing: | | |
| क्र.सं. भारत सरकार से ऋण की प्रकृति | SI.No. Nature of loan from Govt. of India | | |
| पुनरुद्धार के लिए योजना ऋण नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए योजना ऋण गैर-योजना ऋण | Plan Loan for Revamp Plan Loan for Renewal & Replacement Non Plan Loan | 2,060.00 15,897.30 1,048.00 | 7,866.40 19,566.90 1,467.20 |
| योग | Total | 19,005.30 | 28,900.50 |
| 3. पुनः भुगतान अवधिः | 3. Repayment Period: 1-2 years | 3-4 years Be | yond 4 years |
| भारत सरकार के उधार से ऋण (पिछले वर्ष) | Loan from GOI Borrowings 6,317.20 Previous year) (2,846.40) | 4,864.20 (3,939.00) | 7,823.90 (22,115.10) |
| 4. कंपनी को नियंत्रक लेखा कार्यालय, उर्वरक मंत्रालय / विभाग, नई दिल्ली से दिनांक 28.05.2013 का एक पत्र सं. बीवीएफसीएल / एलओ / योजना / 3073 प्राप्त हुआ है जिसमें 31 मार्च 2013 तक भारत सरकार के ऋण पर बकाया और उस पर ब्याज की पुष्टि की गई है। | 3073 dated 28.05.2013 from Office of the Controller of Accounts, Ministry / Department of Fertilizers, New Delhi confirming the outstanding balance of Gol Loan and Interest | | |

टिप्पणी 2.4 : अन्य दीर्घावधि देनदारियां

| 1 | | ਕ ਜਾ | ппа | TTOTT | | ज्ञावा | |
|----|-----------|-------|------|--------|-------|--------|--|
| Ι. | निम्नलिखि | רא וו | ЯІЧІ | रारदा। | ודיוט | K111X1 | |
| | | | | | | | |

क) आपूर्तिकर्ता ख) ठेकेदार ग) कर्मचारी घ) ग्राहक

2. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय

NOTE 2.4: OTHER LONG-TERM LIABILITIES

| | | 1.203.02 | 1.170.06 |
|----|--|----------|----------|
| | Payable to Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. | 534.89 | 534.89 |
| | d) Customers | 131.10 | 134.30 |
| | c) Employees | 6.96 | 6.72 |
| | b) Contractors | 432.15 | 399.54 |
| | a) Suppliers | 97.92 | 94.61 |
| 1. | Security deposit received from | | |
| | | | |

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...) NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| टिप्पणी २.५ : दीर्घावधि प्रावधान | NOTE 2.5 : LONG-TERM PROVISIONS | | |
| 1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान | 1 Provisions for Employee Benefits | | |
| उपदान के लिए प्रावधान | Provision for Gratuity | 3,334.40 | 3,075.07 |
| छुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान | Provision for Leave encashment | 1,196.98 | 1,082.50 |
| योग | Total | 4,531.38 | 4,157.57 |

2 एएस 15 (संशोधित 2005) के अनुसरण में 2 उद्घाटन – कर्मचारी लाभः कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी के लाभ

कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी के लाभ के लिए एएस 15 (संशोधित 2005) अपनाया है। अंगीकरण के परिणामस्वरूप, लेखांकन, आदि से संबंधित निम्नलिखित उद्घाटन एएस 15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत व्यवहार्य के अनुसार बनाए गए हैं।

2.1) परिभाषित अंशदान योजनाएं कर्मचारियों और कार्यपालकों के लिए भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान 399.14 लाख रुपए है। (पिछला वर्ष 381.84 लाख रुपए)

2.2) परिभाषित लाभ योजनाएं लाभ परियोजनाएं, जो प्रचालन में हैं, भविष्य निधि और विशेष छुट्टी हैं। बाध्यता का वर्तमान मूल्य परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अविध को कर्मचारी के लाभ की पात्रता की अतिरिक्त इकाई बढ़ावा देते हुए मान्यता दी जाती है तथा अतिम बाध्यता को बनाने के लिए अलग से प्रत्येक इकाई को मापा जाता है। विशेष छुट्टी के लिए बाध्यता को उपदान के रूप में उसी ढंग से मान्यता दी जाती है।

2.3) बीमांकिक द्वारा प्रमाणित अनुसार विभिन्न आंकडें: क. निश्चित लाभ बाध्यता के आदि और अंत बकाया में समायोजन

(₹ लाख में) उपदान विशेष छ्ट्टी

वर्ष के शुरू में बाध्यता का वर्तमान मूल्य अर्जन समायोजन ब्याज लागत पिछली सेवा लागत वर्तमान सेवा लागत कटौती लागत निपटान लागत दिए गए लाभ बाध्यताओं का बीमांकिक लाभ / (हानि) 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य

Disclosure pursuant to AS 15 (Revised 2005)-Employee Benefits:

The Company has adopted AS 15 (Revised 2005) for Employee Benefits issued by ICAI. Consequent to the adoption, the following disclosures related to accounting etc. are made as far as practicable under AS 15 (revised 2005) requirement.

2.1) Defined Contribution Plans

The Company's contribution to Provident Fund for employees and executives is ₹ 399.14 lacs (Previous year ₹ 381.84 lacs)

2.2) Defined Benefit Plans

The Benefit Plans which are in operation are Gratuity Fund and Privilege Leave. The present value of the obligation is determined based on Actuarial Valuation using the Project Unit Credit (PUC) method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefits entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for Privilege Leave is recognized in the same manner as gratuity.

2.3) Various data as certified by Actuary :-

A. Reconciliation of opening and closing balance of Defined benefits Obligation

| or belined beliefite obligation | Gratuity | (₹ In Iacs) Privilege Leave |
|--|----------|-----------------------------------|
| Present value of Obligation at beginning of the year | 3,075.07 | 1,082.50 |
| Acquisition Adjustment | - | - |
| Interest Cost | 231.93 | 74.68 |
| Past Service Cost | - | - |
| Current Service Cost | 128.34 | 76.32 |
| Curtailment Cost | - | - |
| Settlement Cost | - | - |
| Benefits Paid | (351.80) | (298.07) |
| Actuarial gain/(loss) of obligations | 250.86 | 261.55 |
| Present value of obligation at the end of the year i.e. 31.03.2013 | 3,334.40 | 1,196.98 |



(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| टिप्पणी 2.5 : दीर्घावधि प्रावधान (जारी) | NOTE 2.5 : LONG-TERM PROVISIONS (Contd.) | | |
| ख. संयंत्र परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण | B. Statement showing change in fair value of plan assets | | |
| लागू नहीं होता क्योंकि योजना पर वित्त–पोषण नहीं दिया जाता। | Not Applicable as Scheme is unfunded. | | |
| ग. विनिर्दिष्ट लाभ बाध्यता और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के वर्तमान मूल्य में पुनः समायोजन लागू नहीं होता क्योंकि योजना पर वित्त—पोषण नहीं | C. Reconciliation of present value of defined benefit obligation and fair value of plan assets. Not Applicable as Scheme is unfunded. | | |
| दियां जाता। घ. लाभ / हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय उपदान विशेष छुट्टी | D. Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss | Gratuity | Privilege Leave |
| वर्तमान सेवा लागत पिछली सेवा लागत | Current Service Cost Past Service Cost | 128.34 | 76.32 |
| ब्याज लागत | Interest Cost | 231.93 | 74.68 |
| योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ कटौती लागत | Expected return on Plan Assets Curtailment Cost | - | - |
| निपटान लागत बाध्यताओं का बीमांकिक लाभ / (हानि) | Settlement Cost Actuarial gain/(loss) of obligations | 250.86 | 261.55 |
| लाभ / हानि के विवरण में पतां लगाएं गए व्यय | Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss | 611.13 | 412.55 |
| ड. बीमांकिक अनुमान उपदान विशेष छुट्टी | E. Actuarial Assumptions | Gratuity | Privilege Leave |
| मासिक तालिका (एलआईसीआई) अधिवर्षिता आयु समय–पूर्व सेवा–निवृत्ति और विकलांगता (10 प्रति हजार प्रतिमाह) | Monthly Table (LICI) Superannuation Age Early Retirement & Disablement | 1994-96 58 | 1994-96 58 |
| (10 प्रांत हजीर प्रांतनाह) — आयु 45 वर्ष से अधिक — आयु 29 और 45 वर्ष से अधिक — आयु 29 वर्ष से कम छूट दर मुद्रा स्फीति दर संभावित प्रतिलाभ दर शेष कार्य जीवन | (10 Per Thousand P.A) - age above 45 - age between 29 and 45 - age below 29 Discount Rate Inflation Rate Expected Rate of Return Remaining Working Life | 6 3 1 8.0% 5.0% 0.0% | 6 3 1 8.0% 5.0% 0.0% |

च. उपर्युक्त पर टिप्पणियां

कंपनी की भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्त में यह निर्धारित है कि कर्मचारी ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर की तुलना में ईपीएफ की सांविधिक दर में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करेगा और पेंशन लाभ देने में कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी पेंशन निधि में कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित निधि की परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी को भविष्य में कोई कमी होने का अनुमान नहीं है।

F. Notes on above

The Company's Provident fund trust is exempted under section 17 of Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952. Conditions for grant of exemptions stipulate that the employer shall make good the deficiency, if any , in the interest rate declared by the trust vis-à-vis statutory rate of EPF and deficiency, if any in extending the pensionary benefits will be made good by the Company in the Employee Pension Fund. Having regard to the assets of the Fund managed by the Trusts and the return on the investments, the Company does not expect any deficiency in the foreseeable future.

| वि | वरण | | P A | RTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|----|---|----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| टि | प्पणी २.६ : व्यापार देयताएं | NO | TE 2 | 2.6 : TRADE PAYABLES | | |
| 1 | क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 1 | a) | Due to Micro, Small & Medium Enterprises | 6.76 | 0.01 |
| | ख) अन्य | | b) | Others | 5,623.88 | 6,178.50 |
| | योग | | | Total | 5,630.64 | 6,178.51 |
| 2 | एमएसई की उपर्युक्त राशि उपलब्ध सूचना से निकाला गई है। उपर्युक्त देयताओं को भुगतान 30 दिनों के अंदर किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत बकाया राशि का ब्योरा कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है जो निम्न प्रकार है। | 2 | Abo The Med Ent bas | ove amount of MSE has been identified from illable information. ove dues have been paid within 30 days. details of amounts outstanding to Micro, Small and dium Enterprise under the Micro, Small amd Medium erprises Development Act, 2006 (MSMED Act), ed on the available information with the Company as under. | | |
| | विवरण | | | Particulars | As at 31.03.13 | As at 31.03.12 |
| | क. मूल देय राशि और भुगतान न की गई बकाया राशि | | a. | Principal amount due and remaining unpaid | - | - |
| | ख. उपर्युक्त (क) पर देय राशि और भुगतान न किया गया ब्याज | | b. | Interest due on (a) above and unpaid interest | - | - |
| | ग. सभी एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विलंब से किए गए सभी भुगतानों पर दिया गया ब्याज | | c. | Interest paid on all delayed payments under the MSMED Act | - | - |
| | घ. वर्ष के दौरान नियुत दिन के बाद किया गया भुगतान | | d. | Payment made beyond the appointed day during the year | - | - |
| | ड. उपर्युक्त (ग) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय और दिया गया ब्याज | | e. | Interest due and payable for the period of delay other than (c) above | - | - |
| | च. प्रोद्भूत ब्याज और भुगतान न की गई शेष राशि | | f. | Interest accrued and remaining unpaid | - | - |
| | छ. आने वाले वर्षों में आगे देय और दिया जाने वाला ब्याज | | g. | Amount of further interest remaining due and Payable in succeeding years | - | - |



| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|---|---|---|
| टिप्पणी २.७ : अन्य वर्तमान देयताएं | NOTE 2.7 : OTHER CURRENT LIABILITIES | | |
| भारत सरकार के दीर्घावधि उधार की वर्तमान देयताएं भारत सरकार के उधार पर प्रोद्भूत ब्याज और देयताएं प्रोद्भूत ब्याज जो भारत सरकार के उधार पर बकाया न हो सांविधिक प्रेषण (भविष्य निधि, वैट, रोका गया कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि) नियत परिसंपत्तियों की खरीद पर देयताएं प्राप्त व्यापार / सुरक्षा जमा राशि ग्राहकों से अग्रिम अन्य i) व्यापार देयताओं के अलावा विविध लेनदार ii) व्यय देयताएं | Current dues of GOI Long Term Borrowing Interest accrued and due on GOI borrowings Interest accrued but not due on GOI borrowings Statutory remittances (Contributions to PF, VAT Withholding taxes, Excise Duty,VAT, Service Tax etc) Payable on purchase of Fixed Assets Trade / Security deposits received Advances from customers Others i) Sundry Creditors other than Trade Payables ii) Liability for expenses iii) Other liabilities | 40,465.70 56,620.27 2,685.11 178.04 81.06 30.49 506.34 7,700.96 2,882.26 36.14 | 30,570.50 47,073.11 2,276.19 213.04 144.24 30.49 809.45 3,076.92 2,589.47 1,010.64 |
| | | 111,186.37 | 87,794.05 |

टिप्पणी 2.8 : नियत परिसंपत्तियां NOTE 2.8 : FIXED ASSETS

| विवरण | | | GROSS B | LOCK | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------|
| | PARTICULARS | As at 01.04.2012 | Additions | Deductions for Write off | | As at 31.03.2013 |
| क. मूर्त परिसंपत्तियां | A. TANGIBLE ASSETS | | | | | |
| भूमि फ्रीहोल्ड पट्टा धारित | Land Freehold Leasehold | 166.12 10.83 | - - | - | - | 166.12 10.83 |
| भवन | Buildings | 3,971.10 | - | - | - | 3,971.10 |
| विद्युत स्थापनाएं | Electrical Installations | 239.27 | 7.67 | - | - | 246.94 |
| संयंत्र और मशीनरी | Plant and Machinery | 100,491.31 | 985.54 | (1,911.07) | - | 99,565.78 |
| फैक्टरी और कार्यालय उपकरण | Factory & Office Equipment | 432.13 | 26.20 | (5.33) | - | 453.00 |
| फर्नीचर और फिक्सचर | Furniture and Fixtures | 217.53 | 3.34 | (0.06) | - | 220.81 |
| कंप्यूटर | Computer | 113.16 | 12.93 | - | (0.06) | 126.03 |
| वाहन | Vehicles | 240.49 | 0.10 | - | - | 240.59 |
| सड़कें, पुल और पुलिया | Roads Bridges & Culverts | 225.01 | - | - | - | 225.01 |
| रेलवे साइडिंग | Railway Sidings | 799.29 | - | - | - | 799.29 |
| जल प्रणाली | Water System | 487.63 | - | - | - | 487.63 |
| योग (क) | Total (A) | 107,393.87 | 1,035.78 | (1,916.46) | (0.06) | 106,513.13 |
| ख. अमूर्त परिसंपत्तियां | B. INTANGIBLE ASSETS | | | | | |
| कंप्यूटर साफ्टवेयर | Computer software | 30.76 | 3.31 | - | - | 34.07 |
| योग (ख) | Total of (B) | 30.76 | 3.31 | - | - | 34.07 |
| (क+ख) का योग | Total of (A+B) | 107,424.63 | 1,039.09 | (1,916.46) | (0.06) | 106,547.20 |
| पिछला वर्ष | Previous year | 102,454.30 | 4,970.53 | - | (0.20) | 107,424.63 |
| विकास अधीन परियोजनाएं | Project under Development | 561.00 | 17.40 | - | - | 578.40 |
| चल रहा पूंजीगत कार्य | Capital Work in Progress | 3,800.87 | 2,058.44 | - | (1,228.61) | 4,630.70 |



| BLOCK | NET | R IMPAIREMENT | PROVISION FO | DEPRECIATION / AMORTISATION P | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------|---|----------|------------|--|--|--|--|
| As at 31.03.2012 | As at 31.03.2013 | As at 31.03.2013 | As at 01.04.2012 | Prior/ Upto riod/Other 31.03.2013 (djustment | | As at For the Deduction 01.04.2012 Year for Write off | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 166.12 - | 166.12 | - - | - | - 10.83 | - | - | - | - 10.83 | | | | |
| 669.44 | 597.75 | - | - | 3,373.35 | - | - | 71.69 | 3,301.66 | | | | |
| 23.32 | 29.59 | - | - | 217.35 | - | - | 1.40 | 215.95 | | | | |
| 43,470.12 | 39,567.25 | 112.96 | 112.96 | 59,885.57 | - | (1,293.36) | 4,270.70 | 56,908.23 | | | | |
| 107.18 | 119.22 | - | - | 333.78 | 0.16 | (2.28) | 10.95 | 324.95 | | | | |
| 38.48 | 37.75 | - | - | 183.06 | - | (0.02) | 4.03 | 179.05 | | | | |
| 37.93 | 41.45 | - | - | 84.58 | (0.02) | - | 9.37 | 75.23 | | | | |
| 78.22 | 58.68 | - | - | 181.91 | - | - | 19.64 | 162.27 | | | | |
| 73.35 | 70.09 | - | - | 154.92 | - | - | 3.26 | 151.66 | | | | |
| 278.48 | 240.63 | - | - | 558.66 | - | - | 37.85 | 520.81 | | | | |
| 208.57 | 204.83 | - | - | 282.80 | - | <u>-</u> | 3.74 | 279.06 | | | | |
| 45,151.21 | 41,133.36 | 112.96 | 112.96 | 65,266.81 | 0.14 | (1,295.66) | 4,432.63 | 62,129.70 | | | | |
| 1.80 | 4.86 | _ | - | 29.21 | - | - | 0.25 | 28.96 | | | | |
| 1.80 | 4.86 | | - | 29.21 | | | 0.25 | 28.96 | | | | |
| 45,153.01 | 41,138.22 | 112.96 | 112.96 | 65,296.02 | 0.14 | (1,295.66) | 4,432.88 | 62,158.66 | | | | |
| | 45,153.01 | 112.96 | 112.96 | 62,158.66 | 0.17 | (0.20) | 4,364.48 | 57,794.21 | | | | |
| 561.00 | 578.40 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2,092.70 | 2,922.53 | 1,708.17 | 1,708.17 | - | - | - | - | - | | | | |



- दिनांक 01 अप्रैल 2002 को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड से ली गई नियत परिसंपत्तियों पर मूल लागत और संबंधित एकत्रित मूल्य हास शामिल है।
- मूल्य ह्रास उपलब्ध कराया गया है या अन्यथा नीचे दिए गए अनुसार लिया/लिखा गया है:--

(रुपए लाख में)

| | 2012-13 | 2011-12 |
|---|-------------|----------|
| लाभ और हानि लेखा जमा : समायोजन | 4,432.88 | 4,364.48 |
| (क) जमाः पूर्व अवधि समायोजन (निवल) (ख) अन्य | 0.16 | 0.17 |
| समायोजन | (0.02) 0.14 | - 0.17 |
| कुल मूल्य हास | 4,433.02 | 4,364.65 |

3. सितंबर 2002 से नामरूप—। संयंत्र का प्रचालन बंद कर दिया गया था। नामरूप—। (अमोनिया—।) का आगे प्रचालन या अन्यथा वैकल्पिक उपयोग या बंद करने के बारे में भारत सरकार का निर्णय लंबित होने तक परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में मूल्यांकन लेखांकन मानक (एएस) — 28 के अंतर्गत मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता 'मैसर्स के.डी. कोहली एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा किया गया था।

उनकी रिपोर्ट के अनुसार नामरूप—। (अमोनिया—।) संयंत्र के बेकार पड़े होने का मूल्यांकन 3,450.86 लाख रुपए के अंकित मूल्य की तुलना में 1,308.58 लाख रुपए नियत किया गया था। इसलिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2008—09 के दौरान 2,142.28 लाख रुपए की राशि के नामरूप—। (अमोनिया—।) संयंत्र की हानि के लिए प्रावधान किया था।

वित्तीय वर्ष 2009—10 के दौरान कंपनी की आंतरिक तकनीकी समिति ने यह पता लगाया कि पुनरुद्धार के दौरान नामरूप—11 और 111 संयंत्रों में नामरूप—1 संयंत्र के उपकरणों और अतिरिक्त पुर्जों का प्रयोग किया गया था लेकिन उनकी पहले गणना नहीं की गई थी जो 458.77 लाख रुपए थी (पूंजीगत भंडारों में से 320.85 लाख रुपए सहित)। पूंजीकरण की तारीख की

- Includes original cost and corresponding accumulated depreciation on Fixed Assets taken over from Hindustan Fertilizer Corporation Limited as on 1st April, 2002.
- Depreciation has been provided or otherwise charged/written-back as detailed below :-

(₹ in lacs)

| | 2012-13 | 2011-12 |
|--|------------------------|--------------------|
| Statement of Profit & Loss Add: Adjustments | 4,432.88 | 4,364.48 |
| (a) Prior period adjustments (net) (b) Other | 0.16 | 0.17 |
| Adjustments (0 | 0.02) 0.14 4,433.02 | - 0.17 4,364.65 |

3. The operation of Namrup-I Plant was suspended since September, 2002. Pending decision of GOI about further operation or otherwise alternative use or closure of Namrup-I (Ammonia-I) plant, valuation under Accounting Standard (AS)-28 with regard to impairment of assets was done by M/s K.D Kohli Associates, New Delhi, approved valuers.

As per their report, valuation under redundant condition of Namrup-I (Ammonia-I) plant was fixed at ₹ 1,308.59 lacs as against book value of ₹ 3,450.86 lacs. Thus, the Company had made provision for impairment loss of Namrup-I (Ammonia-I) plant amounting to ₹ 2,142.28 lacs during the financial year 2008-09.

During financial year 2009-10, an in-house Technical Committee of the company identified that equipments and spares of Namrup I plant were used in Namrup II and III plant during revamp, but were not accounted for earlier to the extent of ₹ 458.77 lacs (including ₹ 320.85 lacs out of capital stores.) The date of capitalisation was identified as



21.11.2005 के रूप में पहचान की गई थी और तदनुसार राशि को पूंजीकृत किया गया था और नियमानुसार मूल्य हास किया गया था। इस पूंजीकरण को देखते हुए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009—10 के दौरान अनुमानित आधार पर 321.14 लाख रुपए (458.77 लाख रुपए का 70%) के हानि प्रावधान को पुनः दर्ज किया गया है।

- 4. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी (पुनरुद्धार) के मूल्य ह्वास से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रभाव 5.28% की तुलना में 6.33% की दर से हुआ है यह परिवर्तन एफआईसीसी मूल्य—निर्धारण नीति तथा वर्ष 2002—03 के दौरान सरकारी लेखा—परीक्षा के सुझावों के अनुसार लागू किया गया है।
- 5. कंपनी ने वर्ष के दौरान पूंजीकृत 976.55 लाख रुपए के बदले गए मूल्य को छोड़कर इस वर्ष तक पूंजीकृत अतिरिक्त पुर्जों और मंडारों के होने के कारण बदली गई नियत परिसंपित्तियों के पूरे मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया है। 620.80 लाख रुपए (मूल्य इास का निवल) की इस राशि को 31 मार्च 2003 को आंतरिक तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बट्टे खाते में डाला गया है क्योंकि बही मूल्य निश्चित नहीं था। बदली गई ऐसी परिसंपित्तियों का मुख्य भाग पिछले वर्षों से संबंधित है। कंपनी ने पूर्व अविध मदों में 438.09 लाख रुपए की राशि को हटा दिया है और शेष 182.71 लाख रुपए को "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया है।

- 21.11.2005 and accordingly the amount was capitalised and depreciation charged as per rules. In view of this capitalisation, the company has written back the impairment provision to the extent of ₹ 321.14 lacs during financial year 2009-10.
- 4. The effect of change in accounting treatment with regard to charging depreciation on Plant & Machinery (Revamp) @ 6.33% as against 5.28% as per the Companies Act, 1956 has been worked out to be ₹ 623.73 lacs for the year (previous year ₹ 623.73 lacs) and the cumulative effect thereof up to the year end is ₹ 4,786.12 lacs (Previous year ₹ 4162.39 lacs). The change is effected in view of FICC Pricing Policy and as per the suggestions of the Government Audit during 2002-03.
- 5. The company has written off the entire value of replaced fixed assets being spares and stores capitalised upto this year except the replaced value of ₹ 476.65 lacs capitalised during the year. This write off amounting to ₹ 620.80 Lacs (net of depreciation) has been done on the basis of report of an in house technical committee as on 31st March, 2013 since book value was not ascertainable. Major part of such replaced assets related to earlier years. The company has debited a sum of ₹ 438.09 lacs in prior period items and the balance ₹ 182.71 lacs have been written off during the current year under the head "Other Expenses".

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|--|----|---|--|--------------------------------------|
| टिप्पणी २.९ : दीर्घावधि ऋण और अग्रिम | NO | TE 2.9 : LONG TERM LOAN AND ADVANCES | | |
| क) पूंजी अग्रिम रक्षित, विचारार्थ वस्तु अरक्षित, विचारार्थ वस्तु संदिग्ध घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | a) | Capital Advances Secured, considered good Unsecured, considered good Doubtful Less: Provision for doubtful advances | 1,336.67 26.50 (26.50) 1,336.67 | 801.04 26.63 (26.63) 801.04 |
| ख) मजदूरी संशोधन 2007 के अनुमान में कर्मचारी अग्रिम अरक्षित, विचारार्थ वस्तु | b) | Employee Advances in anticipation of wage revision of 2007 Unsecured, considered good | - | 83.12 |
| योग (क+ख) | | Total (a+b) | 1,336.67 | 884.16 |

को उर्वरक विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र सं. रुपए की अंतरिम राहत तथा 01.01.2007 को प्रति माह 20 प्रतिशत (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की दर से एकमुश्त राशि प्रदान की है तथा इसे "कर्मचारी लाभ व्यय" के नाम डाल दिया गया है।

लंबित मजदूरी संशोधन होने तक कंपनी ने कर्मचारियों Against pending wage revision, the company has granted interim relief of ₹ 1,254.91 lacs to employees as on 96/13/2011-एचआर-। के आधार पर 01/01/2010 on the basis of letter no 96/13/2011-HR-1 01/01/2010 को कर्मचारियों को 1,254.91 लाख received from Department of Fertilizers, Government of India, a lumpsum amount @ 20% (Basic Pay + DA) per month as on 01.01.2007 and the same has been debited to "Employee Benefits Expense".

टिप्पणी 2.10 : अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां NOTE 2.10 : OTHER NON CURRENT ASSETS

| अन्य बट्टे | खाते | में | न | डाला | गया | आस्थगित | राजस्व | व्यय |
|----------------------|-------|-----|---|------|-----|---------|--------|------|
| 2 | ग्रोग | | | | | | | |

Deferred Revenue expenditures not written off

Total

255.11

255.11

टिप्पणी के लेखांकन मानक (नोट 1 का पैरा ज देखें) के अनुरूप लेखांकन नीति में परिवर्तन को देखते हुए कंपनी में वर्तमान वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह बटुटे खाते में डाल दिया है।

In view of changes in Accounting policy to comply with Accounting Standard (Refer para J of note 1) the company has fully written off Deferred Revenue Expenditure during the current year.



| वि | वरण | | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|----|---|----|--|-------------------------|-----------------------|
| टि | प्पणी २.11 : माल सूची | NO | TE 2.11 : INVENTORIES | | |
| 1. | अमोनिया के क्षेत्र में चल रहा कार्य (अनुमानित लागत या निवल प्राप्ति मूल्य से कम मूल्य पर) | 1. | Intermediate product/goods (Ammonia) (valued at lower of cost or net realisable value) | 58.14 | 148.21 |
| 2. | तैयार वस्तुएं (व्यापार यूरिया की प्राप्ति के अलावा) न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य से कम मूल्य पर जिसमें लागू रियायत मूल्य राजसहायता के तत्व और भाड़ा राजसहायता शामिल हैं, जहां भाड़ा व्यय राजसहायता से अधिक है (मार्गस्थ स्टॉक में शामिल हैं) | 2. | Finished goods (other than those acquired for Trading Urea) {valued at lower of cost or net realisable value including element of Concession Price Subsidy and Freight Subsidy, where freight expenses are more than Freight Subsidy (includes in-transit Stocks)} | 1,013.24 | 299.55 |
| 3. | स्टॉक–इन–ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त) (लागत या निवल प्राप्ति मूल्य से कम मूल्य पर) | 3. | Stock-in-trade (acquired for Trading) (valued at lower of cost or net realisable value) | - | - |
| 4. | अन्य (लागत या निवल प्राप्ति मूल्य से कम मूल्य पर) खाद्यान्नों का स्टॉक निरीक्षण के अधीन मंडार और अतिरिक्त पुर्जे मार्गस्थ में मंडार | 4. | Others (valued at lower of cost or net realisable value) Stock of Food Grains Stores & Spares under inspection Stores in Transit | 3.63 744.47 16.07 | 5.54 51.32 2.72 |
| | | | | 764.17 | 59.58 |
| 5. | खुले औजारों का स्टॉक | 5. | Stock of Loose Tools | 0.19 | |
| | | | | 0.19 | |
| 6. | भंडार और अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर) पैकिंग सामग्रियों का स्टॉक घटाः | 6. | Stores and spares (At cost) Stock of packing materials Less: | 4,360.07 218.55 | 4,095.55 109.06 |
| | क) पुरानेपन के लिए प्रावधान ख) कमी के लिए प्रावधान | | a) Provision for obsolescence b) Provision for shortage | (962.46) (30.67) | (962.46) (30.67) |
| | अ) परना के लिए प्रापधान | | 5, | 3,585.49 | 3,211.48 |
| | योग | | Total | 5,421.23 | 3,718.82 |
| | | | | | |

- 7. वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान तैयार वस्तु मध्यवर्तियों तथा पैकिंग सामग्रियों (एचडीपीई बैग) का वास्तविक सत्यापन किया गया और पाई गई किया गया है। बही रिकार्डों सहित मंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं जिसके लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान 30.67 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं।
- 8. कंपनी ने टिप्पणी 1 (घ)(v)(घ) में उल्लिखित 8. अनुसार पूंजीगत भंडारों और अन्य भंडारों की मांग सूची के आयु—वार प्रावधान के लिए एक व्यापक नीति बनाई है। कंपनी नीति के अनुसार और एक स्वतंत्र मूल्यांकन सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार भी समकक्ष प्रावधान करती है। इसलिए, कंपनी ने न तो प्रावधान किए हैं और न ही पहले से किए गए प्रावधान को बही खातों में वापस लिखा था।
- 7. Physical verification of Finished Goods Intermediaries, and Packing Materials (HDPE Bags) have been carried out during the financial year 2012-13 and discrepancies/ damages found have been properly dealt with in the accounts. Discrepancies noticed during physical verification of stores and Spares with book records against which the company has provided ₹ 30.67 lacs during the financial year 2010-11.
 - 8. The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning for inventories of capital stores and other stores and spares as stated in Note 1(D)(v)(d). The company holds provisions at par in accordance with the policy and also in line with the report of an independent valuation advisor. Therefore, the company has neither made further provision nor had written back provision already made.

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| DTE 2.12 : TRADE RECEIVABLES ade receivables outstanding for a period exceeding a months from the date they were due for payment Secured, considered good Unsecured, considered good Doubtful Less: Provision for doubtful trade receivables | 3.69 12.90 16.59 12.90 | 12.90 1,424.18 12.90 |
|--|--|---|
| months from the date they were due for payment Secured, considered good Unsecured, considered good Doubtful | 12.90 16.59 12.90 | 1,424.18 12.90 |
| Doubtful | 12.90 16.59 12.90 | 12.90 1,424.18 12.90 |
| Less: Provision for doubtful trade receivables | 12.90 | , |
| | 3.69 | 1.411.28 |
| | | .,0 |
| her Trade receivables Secured, considered good Unsecured, considered good Doubtful | 19,839.04 | 9,242.71 |
| Less: Provision for doubtful trade receivables | 19,839.04 | 9,242.71 |
| | 19,839.04 | 9,242.71 |
| Total | 19,842.73 | 10,653.99 |
| | Secured, considered good Unsecured, considered good Doubtful Less: Provision for doubtful trade receivables | Secured, considered good Unsecured, considered good Doubtful Less: Provision for doubtful trade receivables Total Total 19,839.04 19,839.04 19,839.04 19,839.04 19,842.73 |

(पिछले वर्ष 10,476.55 लाख रुपए) की from FICC ₹ 19,049.14 lacs (Previous year ₹ प्राप्तियों सहित व्यापार प्राप्तियां शामिल हैं। 10,476.55 Lacs)

टिप्पणी 2.13 : नकद और नकद समकक्ष

NOTE 2.13: CASH AND CASH EQUIVALENTS

| क | नकद और नकद समकक्ष (क) हाथ में नकदी (ख) हाथ में चेक, ड्राफ्ट योग (क) | A | Cash and Cash Equivalent (a) Cash on hand (b) Cheques, drafts on hand Total (A) | 1.63 | 1.57 - 1.57 |
|---|--|---|---|--|---|
| ख | अन्य बैंक बकाया (i) वर्तमान लेखा में (ii) आवधिक जमा राशि में (तीन माह या कम की परिपक्वता वाले) (iii) आवधिक जमा राशि में (बारह माह या कम की परिपक्वता वाले) (iv) उधार, गारंटी और अन्य वचनबद्धताओं की तुलना में मार्जिन धनराशि या सुरक्षा के रूप में रखी गई बकाया राशि | В | Other Bank Balances (i) In Current Accounts (ii) In Term deposit accounts (Having maturity of three months or less) (iii) In Term deposit accounts (Having maturity of twelve months or less) (iv) Balances held as margin money or security against borrowings, guarantees and other commitments | 1,094.75 - 22,151.32 1,695.89 | 1,869.51 7,900.00 12,947.62 386.88 |
| | योग (ख) | | Total (B) | 24,941.96 | 23,104.01 |
| | योग (क + ख) | | Total (A + B) | 24,943.59 | 23,105.58 |



(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| टिप्पणी २.14 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम | NOTE 2.14 : SHORT TERM LOANS AND ADVANCES | | | | |
| अरक्षित, विचारार्थ वस्तु | Unsecured, considered good | | | | |
| कर्मचारियों (अन्य) को ऋण और अग्रिम | Loans and advances to employees (other) | 196.72 | 36.65 | | |
| ठेकेदारों को अग्रिम | Advance to contractors | 159.91 | 39.18 | | |
| उत्पाद और सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशि | Deposit with Excise & Govt. Authorities | 87.00 | 37.77 | | |
| आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | Advance to suppliers | 44.24 | 47.88 | | |
| अन्य अग्रिम | Other Advances | 71.17 | 65.15 | | |
| अन्य प्राप्य | Other Receivable | 98.36 | 104.40 | | |
| अरक्षित, विचारार्थ संदिग्ध राशि | Unsecured, considered doubtful | | | | |
| अन्य प्राप्य | Other Receivable | 59.47 | 40.20 | | |
| घटाः संदिग्ध राशि के लिए प्रावधान | Less: Provision for doubtful receivables | (59.47) | (40.20) | | |
| आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध राशि का अग्रिम | Doubtful advances to suppliers | 23.88 | 23.68 | | |
| घटाः संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान | Less: Provision for doubtful advances | (23.88) | (23.68) | | |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | Prepaid expenses | 97.21 | 119.67 | | |
| योग | Total | 754.61 | 450.70 | | |
| अन्य प्राप्यों में लाइसेंस शल्क आदि की तुलना में देय | Other receivables include amount due against licence fee | | | | |

प्राधिकारियों, सरकारी स्वास्थ्य विभाग और अन्य व्यक्तियों जैसी पार्टियों से बातचीत करके प्राप्य लाइसेंस शुल्क को नियमित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उपर्युक्त प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ पार्टियों से देयताएं प्राप्त हो गई हैं। इसके अलावा, चूककर्ताओं को चेतावनी पत्र भी जारी किए गए हैं।

अन्य प्राप्यों में लाइसेंस शुल्क आदि की तुलना में देय Other receivables include amount due against licence fee राशि शामिल है। प्रबंधन बीएसएनएल, पुलिस विभाग etc.The management is taking necessary initiatives to recover the licence fee receivables etc., by calling on the parties like BSNL, Police Department authorities, Govt. health department and other individuals. Dues from some of the parties have been received in the process. Moreover, warning letters have also been issued to the defaulters.

टिप्पणी 2.15 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां **NOTE 2.15: OTHER CURRENT ASSETS**

Accruals जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued on deposits 90.79 61.29 योग Total 90.79 61.29

| विवरण | | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|----|---|---|--|
| टिपपणी 2.16 : प्रचालनों से राजस्व | NO | TE 2.16 : REVENUE FROM OPERATIONS | | |
| क. विनिर्मित उत्पादों की बिक्री यूरिया | A. | Sale of Manufactured Products Urea | 27,164.79 | 19,592.70 |
| जैंव उर्वरक कृमि खाद | | Bio Fertilizer Vermicompost | 10.44 3.69 | 12.29 2.96 |
| 'क' का योग | | Total of 'A' | 27,178.92 | 19,607.95 |
| ख. व्यापार वस्तुओं की बिक्री बीज एमओपी कीटनाशक एसएसपी रॉक फॉस्फेट सूक्ष्मपोषकतत्व | B. | Sale of Trading Goods Seeds MOP Pesticides SSP Rock Phosphate Micronutrient | 454.49 448.16 215.58 466.53 419.41 12.70 | 609.32 2,299.26 332.97 411.80 |
| 'ख' का योग | | Total of 'B' | 2,016.87 | 3,653.35 |
| (क+ख) का योग | | Total of (A+B) | 29,195.79 | 23,261.30 |
| प्राप्त / वसूली योग्य राजसहायता | | Subsidy Received/Recoverable | 27,803.18 | 17,448.82 |
| | | | 56,998.97 | 40,710.12 |
| घटा उत्पाद शुल्क | | Less: Excise Duty | 169.49 | 126.25 |
| प्रचालनों से राजस्व | | Revenue from Operations | 56,829.48 | 40,583.87 |

- ग. 27,803.18 लाख रुपए (पिछले वर्ष 17,448.82 C. लाख रुपए) की प्राप्त / प्राप्य राजसहायता को लाभ और हानि में जोड़ा गया है जिसमें पिछले वर्षों से संबंधित एफआईसीसी द्वारा वसूली गई / अल्प भुगतान की 'शून्य' (पिछले वर्ष शून्य रुपए) राशि शामिल है।
- घ. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से अधिसूचना जारी होने तक 5,097.60 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2,640.03 लाख रुपए) के बढ़े हुए प्राप्य मूल्य राजसहायता से संबंधित समायोजन की गणना भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, नीतियों, अनुदशों और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रोदभूत आधार पर की गई है।
- ड. एमओपी और कीटनाशकों के बिक्री / खरीद का बीजक मूल्य समान है और ऐसे उत्पादों की ट्रेडिंग पर अर्जित कमीशन को अन्य आय (टिप्पणी 2.17) में लिखा जाता है। ट्रेडिंग उत्पादों पर कुल 46.92 लाख रुपए कमीशन प्राप्त हुआ (पिछले वर्ष 42.09 लाख रुपए)। प्राप्त कमीशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है: (i) बीज 17.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष 24.17 लाख रुपए), (ii) कीटनाशक 9.70 लाख रुपए (पिछले वर्ष 17.92 लाख रुपए) और (iii) एमओपी 19.25 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य)

- C. Subsidy received / receivable of ₹ 27,803.18 lacs (previous year ₹ 17,448.82 lacs) credited to statement of profit and loss include ₹ N I L lacs (previous year ₹ N I L lacs) being recovery made/amount short paid by FICC pertaining to the earlier years.
- D. Pending notification from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), the adjustment relating to escalation price subsidy receivable amounting to ₹ 5,097.60 lacs (previous year ₹ 2,640.03 lacs) has been accounted for on accrual basis taking in to account the guidelines, policies, instructions and clarifications issued by the Govt. of India.
- E. Invoice value of Sale / Purchase of MOP and Pesticides are same and commission earned on trading of such products is accounted for in Other Income (Note 2.17). The commission received on trading products total ₹ 46.92 lacs (Previous year ₹ 42.09 lacs). The details of commission received are as follow: (i) Seeds ₹ 17.97 lacs (Previous year ₹ 24.17 lacs), (ii) Pesticides ₹ 9.70 lacs (Previous year ₹ 17.92 lacs) and (iii) MOP ₹ 19.25 lacs (Previous Year Nil).



| विवरण | | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|--|----|---|-------------------|-------------------|
| टिप्पणी २.17 : अन्य आय | NO | TE 2.17 : OTHER INCOME | | |
| क. ब्याज आय i) अल्पावधि जमा राशि पर ब्याज (46.17 लाख रुपए के टीडीएस की कटौती पिछले वर्ष 7.25 लाख रुपए) | A. | Interest income i) Interest on short term deposit (TDS deducted ₹ 46.17 lacs Previous year ₹ 7.25 lacs) | 2,101.45 | 1,645.63 |
| ii) टीडीएस की वसूली पर ब्याज iii) अन्यों पर ब्याज iv) क्रडिट बकाया पर ब्याज | | ii) Interest on refund of TDS iii) Interest on others iv) Interest on credit balances | 0.49 0.15 | 9.61 0.30 |
| | | | 2,102.09 | 1,655.54 |
| ख. कबाड़ और शेष सामग्रियों की बिकी | В. | Sale of Scrap & Salvaged materials | 78.84 | 205.35 |
| ग. कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क, मकान किराया, पानी के प्रभारों आदि की वसूली। | C. | Recovery of Licence fee, Electricity & Water charges etc. from employees & others. | 139.36 | 130.30 |
| घ. बेचे गए उत्पादों पर प्राप्त कमीशन (टीडीएस कटौती 0.97 लाख रुपए पिछले वर्ष 1.65 लाख रुपए) | D. | Commission received on traded products (TDS deducted ₹ 0.97 lacs Previous year ₹ 1.65 lacs) | 46.92 | 42.09 |
| ड. नियत परिसंपत्तियों की बिकी पर लाभ | E. | Profit on sale of Fixed Assets | - | 0.11 |
| च. प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं | F. | Provision no longer required | 20.18 | 7.91 |
| छ. यूरिया बैगों की लागत की वसूली | G. | Recovery of Cost of Bags Urea | 280.65 | 192.22 |
| ज. अन्य | Н. | Others | 238.92 | 123.59 |
| योग | | Total | 2,906.96 | 2,357.11 |

- झ. पानी और बिजली प्रभारों (पिछले वर्ष 86.57 लाख ।. रुपए) के कारण किराए से प्राप्त 96.86 लाख रुपए सहित किराए की वसूली।
- त्र. अन्य स्रोतों से प्राप्त आय में असम पेट्रोकेमिकल J. लिमिटेड को जल की बिक्री 43.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष 28.76 लाख रुपए)।
- ट. किरायादारी अधिनियम और नियमों के अंतर्गत K. अधिकारों को बचाने के लिए दोषी किरायादारों के खिलाफ किराए बिल जारी किए गए हैं। तथापि, 'राजस्व मान्यता' पर लेखांकन मानक 9 के बाद 27.02 लाख रुपए (7.75 लाख रुपए) के बकाया किराए की तुलना में 55.10 लाख रुपए (पिछले वर्ष 54.86 लाख रुपए) का प्रावधान रखा गया है।
- . Recovery of licence fee includes ₹ 96.86 lacs from tenant on account of water & electricity charges (pervious year ₹ 86.57 lacs).
- J. Others include sale of water to Assam Petrochemical Ltd. ₹ 43.47 lacs (previous year ₹ 28.76 lacs).
 - K. In order to protect rights under Tenancy Act and Rules, rental bills have been raised against the defaulting tenants. However, following Accounting Standard 9 on "Revenue Recognition", ₹ 27.02 lacs (Previous year ₹ 7.75 lacs) provision has been kept against arrear rent of ₹ 55.10 lacs (Previous year ₹ 54.86 lacs).

योग

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...) NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

1,980.69

3,408.57

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|---|---|--|
| टिप्पणी 2.18 : उपभोग की गई सामग्री की लागत | NOTE 2.18 : COST OF MATERIAL CONSUMED | | |
| प्राकृतिक गैस प्रारंभिक स्टॉक | NATURAL GAS Opening stock | <u>-</u> | <u>-</u> |
| जोड़ें खरीद | Add: Purchases | 9,807.42 | 6,799.90 |
| प्रारंभिक स्टॉक और खरीद का योग | Total of Opening Stock and Purchase | 9,807.42 | 6,799.90 |
| खपत संयंत्र - II संयंत्र - III | CONSUMPTION Plant - II Plant - III | 3,708.02 6,099.40 | 3,168.22 3,631.68 |
| खपत का योग | Total of Consumption | 9,807.42 | 6,799.90 |
| अंतिम स्टॉक | Closing Stock | _ | - |
| भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों की खपत | Consumption of Stores and Spare Parts | 995.28 | 673.37 |
| | | 995.28 | 673.37 |
| पैकिंग सामग्रियों की खपत | Consumption of Packing Materials | 1,303.43 | 847.90 |
| | | 1,303.43 | 847.90 |
| उपभोग की गई सामग्रियों की लागत का योग | Total of Cost of Materials Consumed | 12,106.13 | 8,321.17 |
| | | | |
| टिप्पणी 2.19 : स्टॉक—इन—ट्रेड की खरीद | NOTE 2.19 : PURCHASE OF STOCK - IN - TRADE | | |
| बीज एमओपी कीटनाशक एसएसपी रॉक फॉस्फेट सूक्ष्मपोषकतत्व | Seeds MOP Pesticides SSP Rock Phosphate Micronutrient | 450.11 448.16 215.58 451.06 404.38 11.40 | 600.42 2,159.43 311.47 337.25 |

Total



| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|
| टिप्पणी 2.20 : तैयार वस्तुओं, चल रहे कार्य और व्यापार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन | NOTE 2.20 : CHANGES IN INVENTORY OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND TRADING GOODS | | |
| वर्ष के अंत में माल-सूची | Inventories at the end of the year | | |
| क विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक यूरिया मध्यवर्तियां/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया) जैव उर्वरकों का स्टॉक | A Stock of Manufactured goods Urea Intermediaries product/goods (Ammonia) Stock of Biofertilizers | 1,012.37 58.14 0.87 | 299.40 148.21 0.15 |
| ख व्यापार, वस्तुओं का स्टॉक कीटनाशकों का स्टॉक एसएसपी का स्टॉक सब्जी के बीजों का स्टॉक | B Stock of Trading goods Stock of Pesticides Stock of SSP Stock of Vegetable Seeds | - - - | - - - |
| योग | Total | 1,071.38 | 447.76 |
| वर्ष के शुरू में माल सूचीः | Inventories at the beginning of the year: | | |
| क विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक यूरिया मध्यवर्तियों / अर्द्ध —तैयार वस्तुएं (अमोनिया) जैव उर्वरकों का स्टॉक कृमि खाद का स्टॉक | A Stock of Manufactured goods Urea Intermediaries product/goods (Ammonia) Stock of Biofertilizers Stock of Vermicompost | 299.40 148.21 0.15 | 81.30 49.93 0.78 |
| ख व्यापार वस्तुओं का स्टॉक कीटनाशकों का स्टॉक एसएसपी का स्टॉक सब्जी के बीजों का स्टॉक | B Stock of Trading goods Stock of Pesticides Stock of SSP Stock of Vegetable Seeds | - - - | 21.50 45.79 0.09 |
| योग | Total | 447.76 | 199.39 |
| स्टॉक में निवल (वृद्धि)/कमी | Net (Increase) / Decrease in stock | (623.62) | (248.37) |
| टिप्पणी 2.21 : कर्मचारी लाभ व्यय वेतन और मजदूरी भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान स्टॉफ कल्याण व्यय | NOTE 2.21 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE Salaries and wages Contributions to Provident and other funds Staff welfare expenses | 5,197.31 405.44 818.75 | 3,800.22 386.07 839.98 |
| | · | 6,421.50 | 5,026.27 |
| | | | |

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|--|---|----------------------|
| टिप्पणी २.२२ : वित्तीय लागत | NOTE 2.22 : FINANCE COST | | |
| ब्याज व्ययः क) भारत सरकार से लिए गए अरक्षित ऋण पर ब्याज i) सामान्य ब्याज ii) दंड ब्याज ख) भारतीय स्टेट बैंक से अरक्षित ऋण पर ब्याज विशेष बैंकिंग व्यवस्था के लिए | Interest expense: a) Interest on Unsecured loan from Govt. of India i) Normal Interest ii) Penal Interest b) Interest on Unsecured loan from State Bank of India for Special Banking Arrangements | 7,442.64 1,635.45 0.51 | 6,662.95 1,449.00 |
| योग | Total | 9,078.60 | 8,111.95 |
| टिप्पणी 2.23 : मरम्मत और अनुरक्षण | NOTE 2.23 : REPAIRS & MAINTENANCE | | |
| मरम्मत और अनुरक्षण — भवन मरम्मत और अनुरक्षण — मशीनरी | Repairs and Maintenance - Buildings Repairs and Maintenance - Machinery | 182.84 486.47 | 108.15 1,014.86 |
| मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य | Repairs and Maintenance - Others | 91.32 | 76.93 |
| योग | Total | 760.63 | 1,199.94 |
| टिप्पणी 2.24 : विद्युत और ईंधन | NOTE 2.24 : POWER & FUEL | | |
| विद्युत और ईंधन | Power and Fuel | 20,936.61 | 16,185.43 |
| योग | Total | 20,936.61 | 16,185.43 |
| टिप्पणी 2.25 : भाड़ा और दुलाई व्यय भाड़ा और प्रेषण (दुलाई) | NOTE 2.25 : FREIGHT & HANDLING EXPENSE Freight and forwarding (Handling) | 3,548.33 | 2,795.25 |
| योग | Total | 3,548.33 | 2,795.25 |
| 11 I | 1 0 401 | ======================================= | |



| स्थाण 2.26 : अन्य व्यय | विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| पट्टा किराया सहित किराया शिमा Insurance 110.60 99.81 इर्रे और कर (01 लाख रुपए के संपत्ति कर सहित, Rates and taxes (incl Wealth Tax र Nii Previous Year र .01 lacs) 88.05 90.96 संबार व्यय Communication Expenses 19.10 16.24 यात्रा और वाहन Travelling and Conveyance 24.13 20.95 मुद्रण और लेखन—सामग्री Printing and Stationery 19.90 22.96 किक्री कमीशन Sales Commission - 23.75 व्यवसाय संवर्षन Business promotion 0.57 2.28 यात्रा और अंश्वाम Donations and Contributions 1.37 0.90 विविध और व्यवसाय संवर्षन Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंबर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के विष् यिविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 पुरसा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 667.29 निदेशक व्यय (तीआईएसएफ) 700 611.30 611.30 पुरद्रो नकद मुगावान के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 पुरद्रो नकद मुगावान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 31.767 पुरद्रो नकद मुगावान के लिए प्रावधान Provision for Solescence & shortage of stores & spares 7.64 63.97 प्राविध प्रावधान प्रावधान Provision for Solescence & shortage of stores & spares 7.64 63.97 प्राविध प्रावधान प्रावधान Provision for Solescence & shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में बाला गया आस्थित राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध प्रावधान प्रावध परिष्ठ पुर्टे । विवध प्रावध परिष्ठ पुर्टे । व | टिप्पणी २.२६ : अन्य व्यय | NOTE 2.26 : OTHER EXPENSES | | |
| बींमा Insurance 110.60 99.81 पर वें और कर (01 लाख रुपए के संपत्ति कर सहित, Pates and taxes (incl Wealth Tax र Nil Previous Year र. 01 lacs) 88.05 90.96 स्वार वय | स्टॉक पर उत्पाद शुल्क | Excise Duty on Stock | 2.48 | 0.17 |
| सरें और कर (01 लाख रुपए के संपरित कर सहित, िषठा तर्ग शुन्य) | पट्टा किराया सहित किराया | Rent including Lease Rentals | 12.24 | 10.48 |
| षिछला वर्ष शुत्थ) Previous Year र .01 lacs) 88.05 90.96 संचार व्यय Communication Expenses 19.10 16.24 यात्रा और वाहन Travelling and Conveyance 24.13 20.95 मुद्रण और वाहन Printing and Stationery 19.90 23.96 बिक्री कमीयान Sales Commission - 23.75 व्यवसाय संबर्धन Business promotion 0.57 2.28 वान और अंग्रदान Donations and Contributions 13.7 0.90 विधि और व्यवसायिक शुल्क Legal and professional fee 12.79 4.47 लेख्य-परीह्मकों को मुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 फेक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 15.40 90.26 फेक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 15.41 एखा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses (CISF) 670.30 657.29 सिदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 सिदेश क्रव्य Director expenses (CISF) 670.30 657.29 पर्वान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 छुट्टी नकद मुगतान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 छुट्टी नकद मुगतान के लिए प्रावधान Provision for Caratify 15.51 89.37 विधिब प्रावधान Provision for Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विधिब प्रावधान मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विधिब प्रावधान य्य Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विधिब प्रावधान मृत्य व्यव Miscellaneous Administration expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े आंजारों का मृत्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - 5 प्राविक्टण में बट्टे खाते में डाली गई हाली गई हाली वर्ष हिस्त Assets written off on Capitalization 182.71 | बीमा | Insurance | 110.60 | 99.81 |
| यात्रा और वाहन Travelling and Conveyance 24.13 20.95 पुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and Stationery 19.90 23.96 विक्री कमीशन Sales Commission - 23.75 व्यवसाय संबर्धन Business promotion 0.57 2.28 दान और अंशदान Donations and Contributions 1.37 0.90 विषि और व्यवसाय संबर्धन Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध व्यर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय (सीआईएसएफ) Provision for doubtful debts 19.34 5.54 पेक्टरी के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 पुद्री नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरत्नी सामग्री और भंडारों और shortque व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आक्रिफक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 3.39 0.44 सुले में पड़े आजारों का मूल्य इास Depreciation on loose tools 0.10 - प्रजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई प्रशिप्य हिस्थ त्रिस्थ प्रशिप्य हिस्थ Assets written off 67 Capitalization of on Capitalization of Occapitalization of Capitalization of Capitalization of Capitalization of Ca | दरें और कर (01 लाख रुपए के संपत्ति कर सहित, पिछला वर्ष शून्य) | | 88.05 | 90.96 |
| मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and Stationery 19,90 23,96 किको कमीणन Sales Commission . 23,75 व्यवसाय संवर्धन Business promotion 0.57 2.28 वान और अंशदान Donations and Contributions 1.37 0.90 विधि और व्यावसायिक शुल्क Legal and professional fee 12,79 4.47 लेखा—परीक्षकों को मुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 कैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 कैक्टरी के लिए विविध व्यर्व Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses Director expenses (Taking auxing | संचार व्यय | Communication Expenses | 19.10 | 16.24 |
| बिकी कमीशन Sales Commission - 23.75 व्यवसाय संवर्धन Business promotion 0.57 2.28 दान और अंशदान Donations and Contributions 1.37 0.90 विधि और व्यावसायिक शुल्क Legal and professional fee 12.79 4.47 लेखा—परीक्षकों को भुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 पुरखा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 परिच्य ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 पुरवान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 पुरद्दी नकद मुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और अर्था कि कमी Shortage of stores & spares (0.34) बहुट खाते में डाला गया आएखगित राजस्य व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकरिसक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 3.39 0.44 खुले में पड़ अीजारों का मूल्य डास Depreciation on loose tools 0.10 - पूर्णीक्करण में बट्टे खाते में डाली गई आता गई शाली गई प्रतिक्थापित नियत परिसंपितियाँ off on Capitalization 182.71 | यात्रा और वाहन | Travelling and Conveyance | 24.13 | 20.95 |
| ख्यसाय संबर्धन Business promotion 0.57 2.28 दान और अंशदान Donations and Contributions 1.37 0.90 विधि और व्यावसायिक शुक्ल Legal and professional fee 12.79 4.47 लेखा—परीक्षकों को भुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 सिर्देश के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 सुरही नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और अंतिरक्त पुजी की कमी Provision for Obsolescence & shortage of stores & spares 7.777 54.69 विविध आकिस्मिक मजदूरी टाउनशिंप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - प्रिकेटण में बट्टे खाते में डाली गई डाल | मुद्रण और लेखन—सामग्री | Printing and Stationery | 19.90 | 23.96 |
| दान और अंशदान Donations and Contributions 1.37 0.90 विधि और व्यावसायिक शुल्क Legal and professional fee 12.79 4.47 लेखा—परीक्षकों को गुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 पुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध क्रण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 घुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और Provision for Obsolescence & Shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगित राजस्य व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 3.39 0.44 खुले में एउ उत्पादों एर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में एउ उत्पादों पर विशेष छूट Perceition on loose tools 0.10 - एंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई आतेजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - एंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई आतेजारों का मूल्य हास Peplaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | बिक्री कमीशन | Sales Commission | - | 23.75 |
| विधि और व्यावसायिक शुल्क Legal and professional fee 12.79 4.47 लेखा—परीक्षकों को गुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 खुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आख्धगित राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकरिमक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूर्णीकरण में बट्टे खाते में डाली गई प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियां लिंग Ocapitalization off on Capitalization off on Ca | व्यवसाय संवर्धन | Business promotion | 0.57 | 2.28 |
| लेखा—परीक्षकों को भुगतान Payments to auditors 2.78 2.10 फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 पुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 छुट्टी नकद सुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और Provision for obsolescence & shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिंगत राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आक्रिसक मजदूरी टाउनिशप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बच्चे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनिशप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पर्णीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off 182.71 - विशेषण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off off on Capitalization 182.71 - 6 | दान और अंशदान | Donations and Contributions | 1.37 | 0.90 |
| फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य Cleaning work inside Factory 154.60 90.26 फैक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 खुट्टी नकद शुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और Provision for obsolescence & shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगत राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनिशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनिशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े आजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पर्गीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off 182.71 - राजस्व परिसंपत्तियां विवार वारिसंपत्तियां विवार वार्य परिसंपत्तियां विवार वार्य परिसंपत्तियां विवार वार्य स्वार वार्य स्वार्य में बट्टे खाते में डाली गई प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियां विवार वार्य विवार वार्य होशे होशे वार्य होशे वार्य होशे होशे होशे होशे होशे होशे होशे होशे | विधि और व्यावसायिक शुल्क | Legal and professional fee | 12.79 | 4.47 |
| फंक्टरी के लिए विविध खर्च Miscellaneous Expenses for factory 159.01 115.41 सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 खुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और Provision for Dosolescence & Shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगित राजस्य व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आक्रिस्मक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मृत्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 | लेखा—परीक्षकों को भुगतान | Payments to auditors | 2.78 | 2.10 |
| सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) Security expenses (CISF) 670.30 657.29 निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 छुट्टी नकद सुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और Provision for obsolescence & shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगत राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 वेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई प्रितेस्थापित नियंत परिसंपालितयां off on Capitalization 182.71 | फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य | Cleaning work inside Factory | 154.60 | 90.26 |
| निदेशक व्यय Director expenses 7.64 5.52 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 छुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और Provision for obsolescence & shortage of stores & spares (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगत राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनिशप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनिशप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off no Capitalization 182.71 - | फैक्टरी के लिए विविध खर्च | Miscellaneous Expenses for factory | 159.01 | 115.41 |
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts 19.34 5.54 उपदान के लिए प्रावधान Provision for Gratuity 611.13 620.40 छुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान Provision for Leave Encashment 412.55 317.67 पुरानी सामग्री और भंडारों और अंतिरिक्त पुर्जों की कमी Provision for obsolescence & shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगित राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनिशप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनिशप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मृत्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) | Security expenses (CISF) | 670.30 | 657.29 |
| उपदान के लिए प्रावधानProvision for Gratuity611.13620.40छुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधानProvision for Leave Encashment412.55317.67पुरानी सामग्री और भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों की कमीProvision for obsolescence & shortage of stores & spares-(0.34)बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगित राजस्व व्ययDeferred revenue expenditure written off255.1189.37विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनिशपMiscellaneous Casual labour township77.7754.69विविध प्रशासन व्ययMiscellaneous Administration expenses179.38136.38बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूटSpecial rebate on traded products37.904.06विविध टाउनिशिप व्ययMiscellaneous Township expenses3.390.44खुले में पड़े औजारों का मृत्य हासDepreciation on loose tools0.10-पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई प्रतिस्थापित नियंत परिसंपत्तियांReplaced Fixed Assets written off on Capitalization182.71- | निदेशक व्यय | Director expenses | 7.64 | 5.52 |
| छुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान | संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts | 19.34 | 5.54 |
| पुरानी सामग्री और मंडारों और shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगत राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनिशप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनिशप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | उपदान के लिए प्रावधान | Provision for Gratuity | 611.13 | 620.40 |
| अंतिरिक्त पुर्जों की कमी shortage of stores & spares - (0.34) बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगत राजस्व व्यय Deferred revenue expenditure written off 255.11 89.37 विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | छुट्टी नकद भुगतान के लिए प्रावधान | Provision for Leave Encashment | 412.55 | 317.67 |
| विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनशिप Miscellaneous Casual labour township 77.77 54.69 विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | पुरानी सामग्री और भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों की कमी | | - | (0.34) |
| विविध प्रशासन व्यय Miscellaneous Administration expenses 179.38 136.38 वेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | बट्टे खाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय | Deferred revenue expenditure written off | 255.11 | 89.37 |
| बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट Special rebate on traded products 37.90 4.06 विविध टाउनशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनशिप | Miscellaneous Casual labour township | 77.77 | 54.69 |
| विविध टाउनिशिप व्यय Miscellaneous Township expenses 3.39 0.44 खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | विविध प्रशासन व्यय | Miscellaneous Administration expenses | 179.38 | 136.38 |
| खुले में पड़े औजारों का मूल्य ह्रास Depreciation on loose tools 0.10 - पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written off on Capitalization 182.71 - | बेचे गए उत्पादों पर विशेष छूट | Special rebate on traded products | 37.90 | 4.06 |
| पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई Replaced Fixed Assets written प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियां off on Capitalization 182.71 - | विविध टाउनशिप व्यय | Miscellaneous Township expenses | 3.39 | 0.44 |
| प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियां off on Capitalization 182.71 - | खुले में पड़े औजारों का मूल्य हास | Depreciation on loose tools | 0.10 | - |
| योग Total 3,064.94 2,392.76 | पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियां | · | 182.71 | - |
| | योग | Total | 3,064.94 | 2,392.76 |

| विवरण | | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|---|----|--|-----------------------------|-------------------|
| टिप्पणी २.२६ : अन्य व्यय जारी | NO | TE 2.26 : OTHER EXPENSES Contd | | |
| मंबंधित पार्टी खुलासा: भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी 'संबंधित पार्टी खुलासे' पर लेखांकन मानक 18 द्वारा अपेक्षित अनुसार संबंधित पार्टी खुलासा नीचे दिया गया है: | 1 | Related Party Disclosures: Related party disclosures as required by Accounting Standard 18 on "Related Party Disclosures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, are given herein below: | | |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिकः (1) श्री एस.डी सिंह, निदेशक (उत्पादन)/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01/10/2012 से) (2) श्री एन.के. साहा, निदेशक (उत्पादन)/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30/09/2012 तक) | | Key Management Personnel: (1) Shri S.D.Singh, Director (Production) / Chairman (from 01/10/2012 onwards) (2) Shri N. K. Saha, Director (Production) / Chairman (upto 30/09/2012) | | |
| संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन : | | Transactions with related Parties : | 2012-13 | 2011-12 |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक | | Remuneration to Key Management personnel | 10.28 | 17.81 |
| अंतरिम राहत | | Interim Relief | 0.56 | - |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को देय पारिश्रमिक की देयता | | Liability for remuneration payable to Key Management Personnel | 0.96 | 1.76 |
| निदेशकों का पारिश्रमिक : | | Directors Remuneration : | | |
| वेतन और भत्ते | | Salaries & Allowances | 9.89 | 16.21 |
| भविष्य निधि अंशदान | | Provident Fund Contribution | 0.95 | 1.60 |
| योग : | | Total: | 10.84 | 17.81 |
| इसके अलावा, निदेशकों के यात्रा व्यय पर 7.51 लाख रुपए (5.31 लाख रुपए) और चिकित्सा व्यय पर 0.13 लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.21 लाख रुपए) की राशि खर्च की गई थी। | | In addition, a sum of ₹ 7.51 lacs (Previous year ₹ 5.31 lacs) against travelling expenses and ₹ 0.13 lacs (Previous year ₹ 0.21 lacs) towards medical expenses was incurred for Directors. | | |
| 2 लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक : | 2 | Auditors Remuneration : | | |
| सांविधिक लेखा—परीक्षक लेखा—परीक्षक के रूप में सलाहकार के रूप में या निम्नलिखित के संबंध में किसी अन्य हैसियत से | | Statutory Auditors As Auditor As advisor or in any other capacity in respect of | 1.51 | 1.25 |
| i) कराधान मामले ii) कंपनी विधि मामले | | i) Taxation matter ii) Company Law matters | - | - |
| iii) प्रबंधन सेवाएं | | iii) Management Services | | |
| ग) अन्य किसी ढंग से | | c) In any other manner | - | _ |
| ं) कर लेखा—परीक्षक के रूप में | | c) In any other manner i) As Tax Auditor ii) Reimbursment of travelling and out of | 0.25 | 0.25 |
| | | i) Ás Tax Auditor | 0.25 0.60 0.42 | 0.25 |
| i) कर लेखा—परीक्षक के रूप में ii) यात्रा की प्रतिपूर्ति और जरूरत से अधिक व्यय | | Ás Tax Auditor Reimbursment of travelling and out of pocket expenses | 0.60 | |
| i) कर लेखा—परीक्षक के रूप में ii) यात्रा की प्रतिपूर्ति और जरूरत से अधिक व्यय iii) अन्य सेवाएं | | i) As Tax Auditor ii) Reimbursment of travelling and out of pocket expenses iii) Other Services | 0.60 0.42 | 0.60 |
| i) कर लेखा—परीक्षक के रूप में ii) यात्रा की प्रतिपूर्ति और जरूरत से अधिक व्यय iii) अन्य सेवाएं 1 का योग : 2. अन्य लेखा—परीक्षक | | i) As Tax Auditor ii) Reimbursment of travelling and out of pocket expenses iii) Other Services Total of 1: 2. Other Auditors | 0.60 0.42 2.78 | 2.10 |



| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, 2013 | MARCH 31, 2012 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| टिप्पणी २.२७ : पूर्व अवधि मदें | NOTE 2.27 : PRIOR PERIOD ITEMS | | |
| वर्ष के दौरान जमा राशि (–) | DEBIT DURING THE YEAR (-) | | |
| उपभोग की गई सामग्री (निवल) | Material consumed (net) | 0.16 | 18.26 |
| मरम्मत | Repairs | 19.99 | (5.33) |
| प्राकृतिक गैस | Natural Gas | - | 931.51 |
| मूल्य हास | Depreciation | 0.16 | 0.17 |
| विविध व्यय | Misc. Expenses | 2.86 | 2.47 |
| भारत सरकार के ऋण पर ब्याज | Interest on Gol Loan | 877.99 | 1,985.89 |
| मूल्य राजसहायता (निवल) | Price subsidy (Net) | 1,027.08 | 1,737.05 |
| भाड़ा राजसहायता | Freight Subsidy | 3.17 | 37.65 |
| हैंडलिंग प्रभार | Handling Charges | 31.43 | 38.35 |
| ठेकेदार कामगारों को भुगतान | Payment to Contractors Workers | - | 6.33 |
| ठेकेदार कामगारों को डीआरपीपी बोनस | Bonus to Contractor Workers | - | 2.53 |
| लेखा–परीक्षा व्यय | Audit Expenses | - | 0.20 |
| राशन वस्तुओं की खरीद | Purchase of ration commodities | 0.47 | - |
| आय कर, सेवा कर और अन्य | Income Tax, service Tax and others | 4.79 | - |
| विपणन व्यय | Marketing expenses | 0.73 | - |
| केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का खर्च | CISF Expenses | 33.24 | - |
| पूंजीकरण में बट्टे खाते में डाली गई प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियां | Replaced Fixed Assets written off on Capitalization | 438.09 | - |
| योग | TOTAL | 2,440.16 | 4,755.08 |
| वर्ष के दौरान जमा राशि (+) | CREDIT DURING THE YEAR (+) | | |
| एसटीडीआर पर ब्याज | Interest on STDR | 3.48 | - |
| बिक्री (सरकारी शेयर) | Sales (Govt share) | 165.46 | 382.18 |
| पुनः लिखा गया प्रावधान | Provision written back | - | 2.73 |
| प्रारंभिक व्यय नामरूप–4 | Preliminery Expenses Namrup - IV | - | 102.20 |
| विपणन व्यय | Marketing expenses | - | 2.59 |
| उत्पाद शुल्क | Excise Duty | 0.17 | 0.41 |
| असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को पानी की बिक्री | Sale of water to Assam Petrochemical Ltd | 1.42 | - |
| विविध आय | Miscellaneous Income | 0.01 | - |
| रेलवे भाड़ा | Railway Freight | 976.26 | - |
| योग | TOTAL | 1,146.80 | 490.11 |
| निवल नामे / जमा / (+) / (–) | NET DEBIT/CREDIT / (+)/(-) | 1,293.36 | 4,264.97 |

(रु. लाखों में) (₹ in Lacs)

| विवरण | PARTICULARS | MARCH 31, | MARCH 31, |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2012 |

टिप्पणी 2.28 : आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता की गणना

कंपनी के नोट—। की लेखांकन नीति सं. ढ तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी 'आय पर करों के लिए लेखांकन' संबंधी लेखांकन मानक 22 के अनुसार विवेकसम्मत उपाय के रूप में वर्ष के अंत में लेखाओं में मुख्यतः शामिल न किए गए मूल्य हास और अग्रेनीत करयोग्य हानियों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

NOTE 2.28 : CALCULATION OF DEFERRED TAX ASSET/LIABILITY

Year end deferred tax asset mainly arising out of unabsorbed tax depreciation and carried forward taxable losses has not been recoginzed in the accounts as a measure of prudence as per Accounting Policy No. N of note - 1 of the company and also the Accounting Standard 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

टिप्पणी 2.29 : प्रति शेयर आय

क) वर्ष के शुरू में इक्विटी शेयरों की संख्या

वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य

ख) वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारकों के लिए निश्चित की गई निवल हानि (असाधारण मदों से पहले पूर्व अवधि समायोजन)

वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारकों के लिए निश्चित की गई निवल हानि (पूर्व अवधि समायोजन के बाद और असाधारण मदों के बाद) (रुपए लाख में)

- ग) असाधारण मदों (रुपए/शेयर) से पूर्व कर के बाद लाभ का आधार और न्यूनीकरण
- घ) कर और असाधारण मदों (रुपए / शेयर) के बाद लाभ का आधार और न्यूनीकरण

NOTE 2.29: EARNING PER SHARE

| ۵) | Number of Equity Shares at the | | |
|----|--|------------|-------------|
| a) | beginning of the year | 3,658,324 | 3,658,324 |
| | Number of Equity Shares at the end of the year | 3,658,324 | 3,658,324 |
| | Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year | 3,658,324 | 3,658,324 |
| | Face Value of each Equity Share | 1,000 | 1,000 |
| b) | Net Loss for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments but before Exceptional items) (₹ in lacs) | (3,263.61) | (12,881.44) |
| | Net Loss for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments and Exceptional items) (₹ in lacs) | (3,263.61) | (12,881.44) |
| c) | Basic and Diluted earning per share on profit after tax before Exceptional items (₹/share) | (89.21) | (352.11) |
| d) | Basic and Diluted earning per share on | | |

(89.21)

(352.11)

profit after tax and

Exceptional items (₹/share)



| टिप्पणी 2.30 : आकस्मिक देनदारियां (लाख रुपए में) | NO | TE 2.30 : CONTINGENT LIABILITY | | (₹ in lacs) |
|--|----|---|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2012-13 | 2011-12 |
| क) कंपनी पर दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है: i) लिए गए सेवा कर या लागत के अधिक बढ़ने आदि के लिए पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न दावे नहीं दिए गए थे क्योंकि संबंधित कार्य आदेशों में इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्धारण | a) | Claims against the Company not acknowledged as debts: i) Various claims by the parties under Revamp Project towards Service Tax Charged or Cost Overrun etc. have not been recognized since no specific stipulation to this effect was available | | |
| नहीं किया गया था। ii) मार्च, 2008 से पूर्व की अवधि के लिए गैस प्रभारों के रूप में असम गैस कंपनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा दावे। iii) सीआईएससफ को विलंब से दिए गए भुगतान का ब्याज iv) वाणिज्यिक कर, पटना, बिहार के अधिकरण के समक्ष | | in the related Work orders. ii) Claims by Assam Gas Company Limited, Duliajan, as gas transmission charges for the period prior to March, 2008. iii) Interest on delayed payment claimed by CISF iv) Before the tribunal of Commercial Taxes, Patna, Bihar | 4,773.34 104.17 - 1.35 | 4,773.34 |
| योग | | TOTAL | 4,878.86 | 4,806.58 |
| ख) निम्नलिखित के पक्ष में जारी बैंक गारंटी i) असम राज्य फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमि. ii) एफए एंड सीएओ, एनएफ रेलवे, मालिगांव, गुवाहाटी | b) | Bank Guarantee issued in favor of : i) Assam State Fertilizers & Chemical Ltd. ii) FA & CAO, NF Railway, Maligaon, Guwahati TOTAL | 3.50 44.07 47.57 | 3.50 43.00 46.50 |
| ग) ऋण–पत्रों की उपयोग न की गई राशि | c) | Unutilized amount of Letters of Credit | 1677.25 | 386.88 |
| पूंजी खाते में निष्पादित की जाने वाली संविदा की अनुमानित राशि | d) | Estimated amount of contract remaining to be executed on Capital Account | 1688.04 | 2468.50 |

टिप्पणी 2.31 : खण्ड सूचना

परिवेश में अपने उत्पाद उपलब्ध करा रही है और बेच रही है अर्थात् यह एकल भौगोलिक खण्ड है। इसलिए कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

NOTE 2.31: SEGMENT REPORTING

कंपनी मुख्य रूप से यूरिया का उत्पादन करती है और उसकी बिक्री करती है और इसलिए यह सकल व्यापार खण्ड है | इसके अलावा, कंपनी भारत में एकूल आर्थिक company is engaged in providing and selling its products in single economic environment in India i.e. there is a single geographical segment. Hence, no further disclosures are

टिप्पणी 2.32 : वर्ष 2012–13 के लिए अतिरिक्त NOTE 2.32 : ADDITIONAL INFORMATION FOR THE YEAR 2012-13

आयात के मूल्य, विदेशी मुद्रा में व्यय, भण्डार और Additional information in regard to value of Imports, अतिरिक्त पुर्जों की खपत तथा अन्य संबंधित Expenditure in Foreign Currency, Stores & Spares विवरणों के संबंध में अतिरिक्त सूचना नीचे दी consumption, and other related details are furnished as under:

| गइ | ξ: | una | er: | | | | |
|-------------|--|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | (लाख रुपए में) | | | | | | (₹ in lacs) |
| क्र. सं. | विवरण | SI No. | Particulars | | | As on 31.03.2013 | As on 31.03.2012 |
| (1) | सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्यः (क) कच्ची सामग्री (ख) पूंजीगत वस्तुएं (ग) उपकरण और अतिरिक्त पुर्जें | (1) | Value of Imports calculated (a) Raw Materials (b) Capital Goods (c) Components & Spare Page 1 | | | 389.84 - | - 2296.82 - |
| (2) | विदेशी मुद्रा में व्ययः (क) उत्पादों की खरीद (ख) जानकारी (ग) व्यावसायिक परामर्शी शुल्क (घ) अन्य सामग्री (यात्रा) | (2) | Expenditure in Foreign Cur (a) Purchase of Products (b) Know-how (c) Professional Consultanc (d) Other Materials (Travelli | y Fees | | - - - | 215.90 |
| (3) | उपभोज्य रसायन और उत्प्रेरक सहित कच्ची सामग्रियों, भण्डारण और अतिरिक्त पुर्जों तथा घटकों का मूल्यः | (3) | Value of Raw Materials, Sto Spare Parts and Componer Chemicals & Catalysts con | nts including | | | |
| | (लाख रुपए में) | | | | | | (₹ in lacs) |
| | | | | As on 31.03.2013 | % | As on 31.03.2012 | % |
| | (क) आयातित (ख) स्वदेशी | | (a) Imported (b) Indigenous | 506.14 12,804.75 | 3.80% 96.20% | 1,714.22 11,976.03 | 12.52% 87.48% |
| | योग | | Total | 13,310.89 | 100.00% | 13,690.25 | 100.00% |
| (4) | विदेशी मुद्रा में आय (रुपए लाखों में) | (4) | Earning in Foreign Currenc (₹ in Lacs) | :у - | | - | |
| (5) | अनुसंधान और विकास (रुपए लाखों में) (क) राजस्व व्यय (ख) पूंजी व्यय | (5) | Research & Development (₹ in Lacs) (a) Revenue Expenditure (b) Capital Expenditure | - - | | - - | |



टिप्पणी 2.33 : पिछले वर्ष की तुलना

- क) आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित किया गया है, अन्यथा जहां उल्लेख किया गया हो।
- ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है, अन्यथा जहां उल्लेख किया गया हो।
- ग) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक था पुनः व्यवस्थित/पुनर्समूह/पुनः उल्लेख किया गया है।

NOTE 2.33: PREVIOUS YEARS COMPARISON

- Figures have been rounded off to the nearest lacs of rupees except where otherwise stated.
- Previous year's figures have been shown in brackets unless otherwise stated.
- Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified, wherever necessary.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह0 / — (आर.के. गुप्ता) कंपनी सचिव Sd/-(R.K.Gupta)

Company Secretary

ह0 / -(सी.वी. कृष्णा) निदेशक Sd/-(C.V. Krishna) Director ह0 / – (एस.डी. सिंह) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Sd/-(S.D. Singh) Chairman & Managing Director

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date annexed

> कृते जी. चौधरी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 310003ई For G. Choudhury & Associates Chartered Accountants Firm Regn. No. 310003E

> > ह0 ∕ −

गोपाल चौधरी पार्टनर सदस्यता सं0 017022 Sd/-Gopal Choudhury Partner Membership No. 017022

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 अगस्त, 2013 Place : New Delhi Date : August 30, 2013



निष्पादन एक नजर में PERFOMANCE AT A GLANCE

| क्र.सं. S.No. | विवरण Particular | 2012- 13 | 2011- 12 | 2010- 11 | 2009- 10 | 2008- 09 | 2007- 08 | 2006- 07 | 2005- 06 | 2004- 05 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | बिक्री SALES | 29026 | 23135 | 17589 | 17762 | 11245 | 15994 | 15317 | 9946 | 12469 |
| 2 | राजसहायता Subsidy | 27803 | 17449 | 22504 | 8416 | 3827 | 9381 | 13158 | 3469 | 2364 |
| 3 | योग कारोबार (1+2) TOTAL Turn Over (1+2) | 56829 | 40584 | 40093 | 26178 | 15072 | 25375 | 28475 | 13415 | 14833 |
| 4 | अन्य आय Other income | 2907 | 2357 | 1309 | 1529 | 1396 | 946 | 930 | 820 | 1030 |
| 5 | स्टॉक : वृद्धि (+) कमी (–) Stock: accretion(+)decretion(-) | 623 | 248 | -158 | -128 | -494 | -228 | -153 | 1132 | -2226 |
| 6 | कुल आय TOTAL INCOME | 60359 | 43189 | 41244 | 27579 | 15974 | 26093 | 29252 | 15367 | 13637 |
| 7 | कच्ची सामग्री (फीड स्टॉक) पैकिंग सामग्री आदि Raw materials (Feed Stock) packing materials etc. | 12106 | 8321 | 8005 | 5382 | 4841 | 5767 | 5472 | 3828 | 3210 |
| 8 | वेतन और भत्ते Salaries & Allowances | 6421 | 5010 | 4504 | 4156 | 4109 | 3868 | 4213 | 3426 | 2686 |
| 9 | मरम्मत और अनुरक्षण Repairs & Maintenance | 761 | 1200 | 767 | 1045 | 1230 | 1245 | 1164 | 667 | 448 |
| 10 | विद्युत और ईंधन Power & Fuel | 20937 | 16185 | 17011 | 9734 | 8418 | 9551 | 9560 | 6957 | 4672 |
| 11 | अन्य उत्पादन व्यय Other Manufacturing Expences | 8593 | 8613 | 7154 | 5772 | 7452 | 4975 | 4815 | 4052 | 3425 |
| 12 | योग व्यय TOTAL EXPENDITURE | 48818 | 39329 | 37441 | 26089 | 26050 | 25406 | 25224 | 18930 | 14441 |
| 13 | सकल लाभ (6—12) Gross Margin(6-12) | 11541 | 3860 | 3803 | 1490 | -10076 | 687 | 4028 | -3563 | -804 |
| 14 | ब्याज और वित्त Interest & Financial charges | 9079 | 8112 | 7446 | 6361 | 7951 | 7185 | 6137 | 2698 | 774 |
| 15 | मूल्यहास Depreciation | 4433 | 4364 | 4099 | 4071 | 3845 | 3951 | 3873 | 1900 | 709 |
| 16 | पूर्व अवधि समायोजन [ऋण (+)/क्रेडिट (–)] Prior Period Adjustment [Debit(+)/Credit(-)] | 1293 | 4265 | 767 | -2689 | -369 | 135 | 255 | 1816 | -520 |
| 17 | कर पूर्व लाभ Profit before taxation | -3264 | -12881 | -8509 | -6253 | -21503 | -10584 | -6237 | -9977 | -1767 |
| 18 | कर के लिए प्रावधान Provision for taxation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 19 | असाधारण आय Exceptional items | 0 | 0 | 0 | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 20 | ਜਿਕਲ ਗਾਮ ∕ हानि NET PROFIT/LOSS | -3264 | -12881 | -8509 | -2786 | -21503 | -10584 | -6237 | -9977 | 2254 |
| 21 | निवेश में अंतरण भत्ता आरक्षित Transfer to and from invesment Allowance Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | लाभांश के लिए प्रावधान Provision for dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | प्रस्तावित लाभांश पर निगमित कर Corporate tax on propose dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | सकल ब्लॉक Gross Block | 106547 | 107425 | 102454 | 101591 | 97819 | 97745 | 97808 | 96151 | 49665 |
| 25 | घटाः संचयी मूल्यहास Less: Cumulative Depreciation | 65296 | 62159 | 57794 | 53678 | 48879 | 45034 | 41221 | 37351 | 35450 |
| 26 | घटाः हानि के लिए प्रावधान Less: Provision for Impairement | 113 | 113 | 113 | 1821 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | निवल ब्लॉक Net block | 41138 | 45153 | 44547 | 46092 | 46798 | 52711 | 56587 | 58800 | 14215 |
| 28 | चल रहे पूंजीगत कार्य Capital work in progress | 4838 | 3455 | 2984 | 3750 | 2917 | 2807 | 2783 | 3496 | 42585 |
| 29 | वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम Current assets, Loan & Advance | 51052 | 38073 | 34894 | 26088 | 15875 | 20321 | 17244 | 12926 | 14400 |
| 30 | वर्तमान देयताएं और प्रावधान Current Liabilities & Provision | 25465 | 21657 | 20890 | 18204 | 13849 | 11658 | 11797 | 14687 | 12622 |
| 31 | निवेश Invesments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किए गए की सीमा तक) Misc. expenditure (To the extent not written off or adjusted) | 0 | 255 | 117 | 161 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| 33 | संचित हानि Accumulated Losses | 81111 | 77848 | 64966 | 56457 | 53671 | 32168 | 21584 | 15347 | 5369 |
| 34 | कुल उपयोगिता Total Utilisation | 152674 | 143127 | 126618 | 114344 | 105412 | 96349 | 86401 | 75922 | 64027 |
| 35 | कार्यशील पूँजी (29–30) WORKING CAPITAL (29-30) | 25587 | 16416 | 14004 | 7884 | 2026 | 8663 | 5447 | -1761 | 1778 |
| 36 | दीर्घ अवधि ऋण Long Term Borrowings | 116091 | 106544 | 90035 | 77610 | 68684 | 59687 | 49818 | 42425 | 32879 |
| 37 | अल्प कालिक ऋण | 0 | 0 | 0 | 151 | 145 | 79 | 0 | 0 | 0 |

| 38 | शेयर पूँजी Share Capital | 36583 | 36583 | 36583 | 36583 | 36583 | 36583 | 36583 | 33497 | 31148 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 39 | आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | आरक्षित और अधिशेष Reserve & Surplus | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | कुल स्रोत Total Sources | 152674 | 143127 | 126618 | 114344 | 105412 | 96349 | 86401 | 75922 | 64027 |
| 42 | निवल मूल्य (38+33) NET WORTH (38+33) | -44528 | -41265 | -28383 | -19874 | -17088 | 4415 | 14999 | 18150 | 25779 |
| 43 | नियोजित पूँजी (27+35) Capital Employed (27+35) | 66725 | 61569 | 58551 | 53976 | 48824 | 61374 | 62034 | 57039 | 15993 |
| 44 | तैयार माल Finished Goods | 1013 | 299 | 82 | 278 | 279 | 926 | 1182 | 1355 | 195 |
| 45 | कार्य प्रगति Work Progress | 58 | 148 | 50 | 79 | 153 | 53 | 26 | 5 | 35 |
| 46 | व्यापारिक वस्तुएँ Trading Goods | 0 | 0 | 68 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | स्टोर्स और स्पेयर्स Stores & Spares etc. | 4350 | 3271 | 3452 | 3614 | 3244 | 3023 | 3353 | 3444 | 3463 |
| 48 | विविध लेनदार Sundry Debtors | 19941 | 10758 | 13458 | 5664 | 1911 | 3659 | 4684 | 1567 | 2087 |
| 49 | नकद और बैंक शेष Cash & Bank Balance | 24944 | 23106 | 16833 | 15489 | 9352 | 11765 | 7288 | 5719 | 8049 |
| 50 | अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Other Current Assets | 339 | 278 | 355 | 390 | 515 | 581 | 436 | 142 | 98 |
| 51 | ऋण और अग्रिम Loans & Advances | 407 | 213 | 596 | 573 | 367 | 314 | 275 | 694 | 473 |
| 52 | योग (44 से 51) Total (44 to 51) | 51052 | 38073 | 34894 | 26088 | 15875 | 20321 | 17244 | 12926 | 14400 |
| 53 | घटाएं : वर्तमान देयताएं Less: Current Liabilities | 20934 | 17499 | 17032 | 15261 | 10152 | 8147 | 8226 | 10925 | 8969 |
| 54 | प्रावधान Provisions | 4531 | 4158 | 3858 | 2943 | 3697 | 3511 | 3571 | 3762 | 3653 |
| 55 | योग (53+54) Total (53+54) | 25465 | 21657 | 20890 | 18204 | 13849 | 11658 | 11797 | 14687 | 12622 |
| 56 | निवल कार्यशील पूँजी (52–55) NET WORKING CAPITA(52-55) | 25587 | 16416 | 14004 | 7884 | 2026 | 8663 | 5447 | -1761 | 1778 |
| 57 | सकल आंतरिक म्रोत (15+20) Gross Internal Resources (15+20) | 1169 | -8517 | -4410 | 1285 | -17658 | -6633 | -2364 | -8077 | 2963 |
| 58 | संस्थापित सकल आंतरिक संसाधन (25–33) Cumlative Gross Internal Resources (25-33) | -15815 | -15691 | -7172 | -2779 | -4792 | 12866 | 19637 | 22004 | 30081 |



| 59 | संस्थापित क्षमता (एन) INSTALLED CAPACITY (N) | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | यूरिया (मी.टन) Urea (MT) | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 351320 | 315000 |
| | योग Total | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 351320 | 315000 |
| 60 | उत्पादन (एन) PRODUCTION (N) | | | | | | | | | |
| | यूरिया (मी.टन) Urea (MT) | 390693 | 278889 | 285143 | 309577 | 190528 | 329977 | 308303 | 234578 | 203060 |
| | योग Total | 390693 | 278889 | 285143 | 309577 | 190528 | 329977 | 308303 | 234578 | 203060 |
| 61 | क्षमता उपयोगिता (%) यूरिया Capacity Utilisation (%) UREA | 76.61 | 54.68 | 55.91 | 60.70 | 37.36 | 64.70 | 60.45 | 66.77 | 64.46 |
| 62 | बिक्री की मात्रा (मी.टन) SALES QUANTITY (MT) | | | | | | | | | |
| | यूरिया Urea | 383354 | 276449 | 288303 | 308812 | 200067 | 333473 | 314676 | 213700 | 247572 |
| | योग Total | 383354 | 276449 | 288303 | 308812 | 200067 | 333473 | 314676 | 213700 | 247572 |